खण्ड-207, अंक-3
बुधवार, 11 भाद्रपद, शक संवत् 1881
(2 सितम्बर, 1959 ई0)

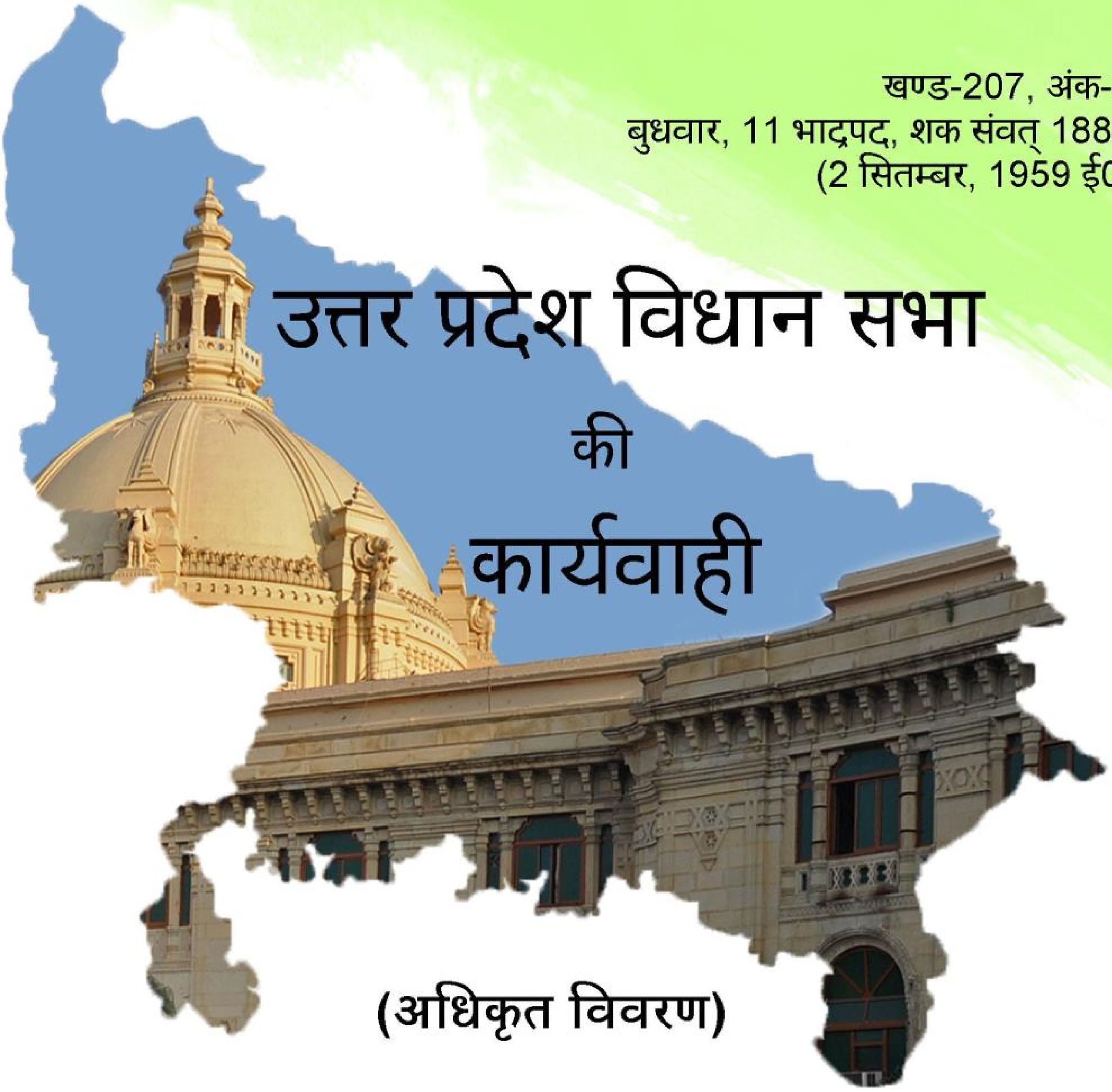

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 207 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २ सितम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३८२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ , श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अवधशकुमार सिंह, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी , श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह , श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दोषंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वाराकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री

पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम , श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह ,राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डय, श्री

राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव , श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक , श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी ,श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल , श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमी सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
व्रजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
शजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद , श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
शाममनोहर मिश्र, श्री

श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ , श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह , श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी , श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह , राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना , श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २ सितम्बर, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड में एक्जीक्यूटिव आफिसर तथा सेक्रेटरी की नई जगहों की आवश्यकता

१—श्री गौरी शंकर राय** (जिला बलिया), **श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) **तथा श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह सत्य है कि लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड में ऐक्जीक्यूटिव आफिसर तृतीय या सेक्रेटरी म्युनिसिपल बोर्ड की नई जगह बनाने की सिफारिश नगरपालिका के प्रशासक ने की है ?

स्वायत्त शासन उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—जी हां ।

२—श्री गौरीशंकर राय, श्री मदन पांडेय तथा श्री उग्रसेन**—क्या यह भी सत्य है कि इस प्रकार की सिफारिशों को सरकार द्वारा दो बार अस्वीकृत किया जा चुका है ?

श्री जयराम वर्मा—यह सत्य है कि अधिशासी अधिकारी के तृतीय पद के सम्बन्ध में की गई सिफारिश शासन द्वारा अस्वीकृत की जा चुकी है । सेक्रेटरी के पद को बनाने की सिफारिश इस समय विचाराधीन है ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि अधिशासी अधिकारी नम्बर ३ या सेक्रेटरी के पद के लिये एक बार अस्वीकृति मिली थी अब दूसरी बार विचाराधीन है, उस पद की संस्तुति के साथ किसी विशेष व्यक्ति की भी संस्तति की गई ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---जी हां ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि किन कारणों से पहले संस्तुति स्वीकृत नहीं की जा सकी सरकार के द्वारा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---कारण यह है कि कानपुर इससे बहुत बड़ा शहर है, लखनऊ से, वहां पर दो ही अधिशासी अधिकारी आज काम कर रहे हैं, इसलिये यहां के लिये ३ आदमी अनावश्यक समझे गये ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उस सेक्रेटरी के पद के लिये किसी विशेष व्यक्ति के नाम की संस्तुति की गई तो क्या उसके लिये अखबारों म विज्ञापन भी निकाला गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---अभी यह प्रश्न उठा ही नहीं है ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सेक्रेटरी का मामला विचाराधीन है उसके लिये एडवर्टीजमेंट भी निकाला गया है या नहीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, अभी तो सवाल शासन के सामने यह है कि उस पद को क्रिएट करें या न करें ।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासन ने जो तृतीय एग्जिक्यूटिव आफिसर के पद या सेक्रेटरी के पद की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपनी सलाह भेजी है उसमें उन्होंने उसकी सृष्टि के क्या कारण बताये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---काम की अधिकता ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जब कि कारपोरेशन का एलेक्शन बहुत निकट आगया है और इतने दिनों से इतने कर्मचारियों से काम चलता जा रहा है तो इन दो तीन महीनों के लिये क्या जल्दी है कि एक नया पद पैदा किया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैंने तो कहा कि यह प्रश्न अभी विचाराधीन ही है ।

तारांकित प्रश्न

बलिया जिला जेल में बन्दियों के मुलाकातियों के लिए बैठने का स्थान

*१---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में १९४२ में बन्दियों से मिलने वालों के बैठने के लिये जेल कम्पाउण्ड में कोई स्थान बना था ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---जी हां ।

*२---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (अनुपस्थित)---यदि हां, तो इधर ३ सालों से वह बैठका किस काम आ रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बन्दियों से मुलाकात करने जो आते हैं उनके बैठने के काम में ।

नगरपालिका ऐक्ट के अन्तर्गत जुर्माने में प्राप्त धन आजमगढ़ नगरपालिका को न मिलना

*३—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरपालिकाओं के क्षेत्र में नगरपालिका ऐक्ट के अन्तर्गत चालानी केसों में हुए जुर्माने की रकम वितरण की व्यवस्था सरकार और नगरपालिकाओं के बीच किस प्रकार की जाती है ?

श्री जयराम वर्मा—प्रदेश की नगरपालिकाओं के क्षेत्र में यू० पी० नगरपालिका ऐक्ट के अन्तर्गत चालान किये हुए केसों में जो जुर्माने होते हैं उनसे प्राप्त धनराशि पहले सरकारी कोष में जमा होती है जिसकी सूचना नगरपालिकाओं से सम्बन्धित ट्रेजरी आफिसर के पास रहती है। इस सम्बन्ध में नरपालिकाओं को ये आदेश हैं कि वे जुर्माने की धनराशि की सूचना हर तीन महीने के समाप्त होने के एक माह के अन्दर अनुदान पाने के लिये सरकार को स्वयं भेजें। जब नगरपालिकाएं अपने से सम्बन्धित ऐसी धनराशियों का विवरण अपने ट्रेजरी आफिसर से प्रमाणित कराकर शासन को भेजती हैं तब शासन उक्त धनराशियों को सम्बन्धित नगरपालिकाओं को अनुदान के रूप में दे देता है। इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना है कि जब तक किसी नगरपालिका से ऐसा प्रमाणित-पत्र प्राप्त नहीं होता तब तक उसे जुर्माने की धनराशि नहीं वितरित की जाती है।

*४—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका ऐक्ट के अन्तर्गत कितने चालानी केसों में १ जनवरी, १९५७ से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक कुल कितना जुर्माना कोर्ट द्वारा किया गया और आजमगढ़ नगरपालिका को कितना धन उक्त जुर्मानों का सरकार द्वारा दिया गया ?

श्री जयराम वर्मा—नगरपालिका ऐक्ट के अन्तर्गत नगरपालिका आजमगढ़ के क्षेत्र में १ जनवरी, १९५७ से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक कुल ५०७ चालानी केस हुए-जिनमें कोर्ट द्वारा ५६ रुपए जुर्माना हुआ। इसमें से नगरपालिका को कुछ भी धन नहीं दिया गया।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिकाएं जब ट्रेजरी अफसर से प्रमाणित कराके के धनराशि का विवरण शासन को भेजती हैं तो शासन कितने दिनों में नगरपालिकाओं को भुगतान कर देता है ?

श्री जयराम वर्मा—जल्द से जल्द कर देता है।

श्री मुक्तिनाथ राय—५६ रुपये कितने मामलों में और कितने दिनों में जुर्माना हुए और शेष चालान कोर्ट द्वारा फाइल कर दिये गये या नगरपालिका ने वापस ले लिये ?

श्री जयराम वर्मा—नोटिस चाहिये।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—जो अदालत से जुर्माना होता है वह नगरपालिका किस काम में प्रयोग करती है ? क्या मेहतरों की भलाई में प्रयोग में होता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वह म्युनिसिपैलिटी को दे दिया जाता है, वे क्या करती हैं इसका हमें पता नहीं है।

श्री मक्तिनाथ राय—१ जनवरी, १९५७ से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक क्या आजमगढ़ नगरपालिका ने अपनी ट्रेजरी अफसर से प्रमाणित कराके धनराशि का विवरण सरकार के पास भेजा ? यदि हां, तो कब ?

श्री जयराम वर्मा—नहीं भेजा है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये नगरपालिकायें निर्धारित अवधि के अन्दर ट्रेजरी अफसर से प्रमाणित कराके अनुदान की मांग करती हैं या यदि अवधि के बाहर मांग करती हैं तो सरकार उस पर विचार करती है या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा---बाद में सूचना आने पर भी धन उनको दिया जाता है ।

श्री उग्रसेन---५६ रुपया जुर्माना कितने मामलों में हुआ ?

श्री जयराम वर्मा---५०७ मामले थे, यह कहना मुश्किल है कि कितने मामलों में यह हुआ ।

आगरा, इलाहाबाद तथा वाराणसी नगरपालिकाओं को भवन निर्माणार्थ ऋण

*५---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ इन पंचनगरियों में जहां नगर महापालिकाओं की स्थापना किये जाने का निर्णय किया जा चुका है, इन में से किस नगरी की नगरपालिका ने महापालिका के भवन बनवाये जाने हेतु सरकार से कितने धन के ऋण की मांग की है और उनमें से कितनों को ऋण दिया जा चुका है और किनको दिया जाना शेष है ?

श्री जयराम वर्मा---नगरपालिका कानपुर तथा लखनऊ ने कुछ भी ऋण की मांग नहीं की है। नगरपालिका वाराणसी ने २०,००,००० रु० के ऋण की मांग की थी जो उसे दिया जा चुका है। नगरपालिका आगरा ने १०,००,००० रु० के ऋण की मांग की थी जिसमें उसे ६,००,००० रु० दिये जा चुके हैं। शेष ४,००,००० रुपये आगामी वित्तीय वर्ष में दिये जायेंगे। नगरपालिक इलाहाबाद ने ३,००,००० रु० के ऋण की मांग की थी जो उसे दिया जा चुका है।

*६---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पंच नगरों म नगर महापालिकाओं के भवनों की रूप-रेखा (डिजाइन) एक ही प्रकार की होगी या भिन्न-भिन्न प्रकार की ?

श्री जयराम वर्मा---भवनों की डिजाइनें हर नगर में भिन्न-भिन्न प्रकार की होंगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री इस पर विचार करने की कृपा करेंगे कि जब नगरपालिकाओं के भवनों का निर्माण नये सिरे से होना है तो क्या यह उचित नहीं होगा कि ये सब भवन एक ही डिजाइन के हों जिससे विदेश से आये हुये पर्यटकों पर भी हमारी योजना का अच्छा प्रभाव हो ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इस दृष्टि से अलग-अलग नमूने बनाना अच्छा होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या सरकार ने कर्जा देने से पहले यह देख लिया था कि उनकी आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि बनारस नगरपालिका के पास पहले ही बहुत बड़ी इमारत थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह देख लिया था।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---वाराणसी नगरपालिका की नई इमारत के लिये सरकार ने कितना रुपया दिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---२० लाख।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---आगरा नगरपालिका ने कितने रुपये की मांग की थी और उसमें से कितना रुपया दिया गया ?

श्री जयराम वर्मा--१० लाख की मांग की थी, ६ लाख दिया जा चुका है और ४ लाख अगले वित्तीय वर्ष में दिया जायगा।

श्री राजनारायण--क्या सरकार की जानकारी है कि बनारस नगर के नागरिकों ने नई इमारत का विरोध किया है और कहा है कि जब उस नगरपालिका के पास पहले ही से अच्छी इमारत है तो फिर २० लाख रुपया लगाकर नई बिल्डिंग की क्या आवश्यकता है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा-- कुछ आदमियों ने ऐसा किया है।

श्री राजनारायण--वे कुछ आदमी कौन हैं, क्या बनारस की जन-संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं या कोई इधर-उधर के हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसकी सूचना इस समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि जब इन नगरपालिकाओं के पास पहले से ही अच्छी बिल्डिंग थी तो सरकार ने उनकी रिपोर्ट पर ही क़र्जा दे दिया या जांच करके दिया?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--अपने आप भी देखा तब स्वीकार किया।

श्री चन्द्रजीत यादव--बनारस के लोगों के विरोध की जांच कराई या नहीं? यदि कराई तो क्या नतीजा निकला?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--उसकी आवश्यकता नहीं महसूस की गयी।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को जानकारी है कि बनारस की ऐसी संस्थाओं ने और ऐसे लोगों ने भी नई बिल्डिंग का विरोध किया, जो कि गत निर्वाचन में जनता का काफ़ी प्रतिनिधित्व हासिल किये थे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा-- मेरे सामने वह लिस्ट नहीं है कि किन-किन लोगों ने विरोध किया।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--इस इलाके के असेम्बली में प्रतिनिधि से क्या सरकार ने कोई मश्विरा किया?

श्री अध्यक्ष--फेहरिस्त उनके पास नहीं है, तब वह कैसे बतलावेंगे?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार का यह नियम है कि जब कोई नगरपालिका किसी विशेष खर्चे के लिये रुपया चाहती है तो सरकार उसकी स्वयं अच्छी तरह से जांच-पड़ताल करती है? यदि हां, तो इस खर्चे के लिये सरकार ने जांच की?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मैं उत्तर दे चुका हूं कि की।

श्री राजनारायण--क्या सरकार बतलायेगी कि बनारस में नई इमारत की नीव का उद्घाटन किसने किया?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--उसका उद्घाटन मैंने किया था।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दुबे जी के सवाल में उन्होंने स्पष्ट तरह से पूछा कि नगरपालिका ने जांच की तो उन्होंने कहा कि हां की और फिर कहा नहीं की। तो इनमें दोनों में कौन सा उत्तर सही है?

श्री अध्यक्ष--यह आप गलत बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार ने भी जांच की।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, मंत्री जी अधूरा उत्तर देते हैं जैसे कि श्री अनन्तशयनम् आएंगर कराते हैं।

श्री अध्यक्ष--अधूरा सवाल होगा तो अधूरा ही जवाब मिलेगा।

श्री शिव प्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नये भवन बन जाने के बाद पुराने भवनों के बारे में क्या योजना है, वे बेंचे जायेंगे या सरकार के अधीन हो जायेंगे या उनमें भी कार्यालय कायम रहेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--उसके सबसे उत्तम प्रयोग पर विचार किया जायगा। अगर बेंचने से पैसा ज्यादा मिल सकेगा तो बेंच दिया जायगा और अगर दूसरी प्रकार से उसका अच्छा उपयोग हो सकेगा तो वह किया जायगा।

श्री राजनारायण--क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो इस समय नगरपालिका हैं, उसके कर्मचारी और उसके प्रशासक हैं या वहां की कमेटी हैं, क्या उनसे भी इस सम्बन्ध में राय ली गई थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--बहुत कुछ प्रस्ताव उधर से ही आया था।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि नये भवन बनाये जाने के बाद, जो पुराने भवन उपयोग में नहीं रहेंगे क्या उनको बेचा जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि इसके ऊपर बाद में विचार किया जायगा और जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार जो अच्छे से अच्छा उपयोग उनका हो सकेगा, वह किया जायगा। अगर बेचने से ज्यादा पैसा मिल सकेगा तो बेचा जायगा और अगर उसका और ज्यादा अच्छा उपयोग हो सकेगा तो वह किया जायगा। अभी से कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि यही किया जायगा, दूसरी बात न होगी।

बस्ती जिले में पंचायत मंत्रियों को गत सामान्य निर्वाचन संबंधी पारिश्रमिक न मिलना

*७--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में सन् १९५५ में विधान सभा के निर्वाचन के लिये बनायी गयी मतदाता सूचियों का पारिश्रमिक उक्त जिले के सभी पंचायत निरीक्षक क्षेत्रों के मंत्रियों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा--जिला बस्ती की तहसील बस्ती के पंचायत मन्त्रियों को पारिश्रमिक १९५५-५६ में दिया जा चुका है। शेष तहसीलों के पंचायत मन्त्रियों के पारिश्रमिक के बिल तहसीलदारों के पास से जिला निर्वाचन कार्यालय में बहुत विलम्ब से प्राप्त हुए थे। जिला निर्वाचन कार्यालय में भी अधिकांश बिल कुछ समय तक हेड क्लर्क के पास पड़े रहे जिनकी मृत्यु हो गई है। सन् १९५७ में जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी धारा सभाओं के सामान्य निर्वाचन में व्यस्त रहे जिसके कारण इन बिलों का भुगतान उस समय नहीं हो सका। इन बिलों के भुगतान के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री मुक्तिनाथ राय--पांचवां वर्ष चल रहा है, लेकिन अभी तक समस्त मंत्रियों को पारिश्रमिक नहीं मिला है, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो भुगतान की कार्यवाही चल रही है वह कब तक पूरी हो जायगी और पारिश्रमिक का भुगतान कब तक हो जाने की आशा है ?

श्री जयराम वर्मा--यह शीघ्र ही हो जायगा।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो पांच साल से भत्ता नहीं मिला है उसका दोषी कौन था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--यह उत्तर म कहा गया है कि वास्तव में बिल बनाने में देरी हुई। यहां भी पड़ा रहा। कोशिश यह की जा रही है कि अब विलंब न हो। एक दिक्कत जरूर यह आयेगी कि उसका हमें प्री आडिट कराना पड़ेगा। पुराने बिलों को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जायगी।

श्री प्रताप सिंह--कितने बिलों का कितना रुपया भुगतान होना है?

श्री जयराम वर्मा--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--जिसके पास यह सूची पड़ी रही उसके खिलाफ़ क्या कार्यवाही की गई?

श्री जयराम वर्मा--जिस हेड क्लर्क के पास सूची पड़ी रही उसका देहान्त हो गया है।

श्री प्रतापसिंह--क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि कितने व्यक्तियों को यह भुगतान होना है?

श्री जयराम वर्मा--सिर्फ एक तहसील का हुआ है बाकी का अभी बाकी है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस तरह की शिकायत बस्ती जिले की है क्या इस तरह की शिकायत प्रदेश के सारे जिलों से आयी हैं? क्या सरकार इस तरह के आदेश देने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सारे सेक्रेटरियों को भुगतान हो जाय?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--यह तो आदेश हैं ही, लेकिन अगर कहीं से कोई शिकायत आयेगी तो खास तौर से उसको देख लिया जायगा।

रिक्शा प्रथा की क्रमिक समाप्ति के लिए आदेश

*८--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या उसने प्रदेश की नगरपालिकाओं को कोई आदेश भेजे हैं कि नये रिक्शा चालकों को रिक्शा चलाने की आज्ञा न दी जाय?

श्री जयराम वर्मा--सरकार ने रिक्शा प्रथा की क्रमिक समाप्ति के संबध में आदर्श उप-विधियां (model bye laws) बना कर प्रदेश की नगरपालिकाओं को भेजा है, जिन्हें अपना (adopt) कर वे नये रिक्शा चालकों को रिक्शा चलाने का अनुज्ञापत्र (licence) नहीं देंगी।

*९--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कुल रिक्शा चालकों की संख्या क्या है?

श्री जयराम वर्मा--अभी तक (२७-८-१९५९) ३७ जिलों से सूचना प्राप्त है, जिसके अनुसार इन जिलों के रिक्शा चालकों की कुल संख्या ५२,२६० है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि माडल बाईलाज जो बनाये गये हैं उसमें कोई व्यवस्था रखी गयी है कि प्रदेश के रिक्शा बिलकुल खत्म कर दिये जायं?

श्री जयराम वर्मा--श्रीमन्, प्रति वर्ष १० प्रतिशत संख्या कम करनी होगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस आज्ञा का पालन किन-किन नगरपालिकाओं में हो रहा है ?

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, इसके उल्लंघन की कहीं से कोई शिकायत तो आयी नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन रिक्शा चालकों का रिक्शा चलाने का काम बन्द कराने के बाद सरकार ने उनके लिये किसी दूसरे धंधे की व्यवस्था कर ली है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---ऐसी अभी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है इसीलिये प्रति वर्ष १० प्रतिशत कम करने की बात रखी है ताकि थोड़ा-थोड़ा कर के वे अपना स्वयं भी प्रबन्ध कर लें।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रिक्शा चलाना बन्द हो जायगा तो कौन सी सवारी इस्तेमाल की जायगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह प्रश्न अभी विचाराधीन है कि क्या होगा। इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से एक साथ बन्द न कर के धीरे-धीरे उनका चलाना बन्द कर रहे हैं ताकि इस प्रश्न की जितनी पेचीदगियां हैं वे सरकार के सामने आवें और उनका कोई हल हो सकता है, तो निकल सके।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ये बाईलाज कब बना कर भेजे गये और इनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सब से मुख्य बात है कि प्रति वर्ष १० प्रतिशत कम करें। दूसरी बात यह है कि जिनके पास ज्यादा है उनका ज्यादा कम किया जाय, जो पुराने हैं वे पहले कम किये जायं, जो लोग श्रमिकों के द्वारा किराये पर चलाते हैं, उन को कम किया जाय, जो स्वयं चालक हों उनको तरजीह हो और कोआपरेटिव बेसिस पर जो रिक्शे चलते हों उनको और ज्यादा तरजीह दी जाय।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रिक्शा चलाने का काम बन्द कराने की सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, सारे हिन्दुस्तान के श्रमिक मंत्रियों की एक कांफ्रेन्स हुई जिसमें यह विचार विनिमय हुआ कि यह जो रिक्शा चलाने का काम है जिसमें इन्सान को घोड़े का काम करना पड़ता है, यह बहुत अमानुषिक है, लोगों का जीवन इससे खतरे में पड़ता है और लोगों को जल्दी जल्दी बीमारी होती है जिससे वे मर जाते हैं। इसलिये इस प्रथा को खत्म करना चाहिये। सामाजिक दृष्टि से भी यह चीज बुरी है कि इन्सान के ऊपर इन्सान सवारी करे। इसलिये इस प्रथा को बन्द करने के विचार से सब प्रान्तों को आदेश भेजा गया है जिसके मुताबिक यहां पर कार्यवाही हो रही है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार ऐसे रिक्शा चालकों के रिक्शे के सम्बन्ध में जो कि स्वतः अपना रिक्शा बनवा कर उसे स्वतः चलाते हैं, यदि उनका रिक्शा चलाना बन्द करवा दिया जायगा तो उनके रिक्शे को खरीदने या और कोई व्यवस्था करने के प्रश्न पर उसने विचार किया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, सरकार की इच्छा है कि जो स्वतः चालक हैं उनको सब से बाद में बन्द किया जाय।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि देश भर के श्रमिक मन्त्रियों की कांफ्रेंस हुई और ह्यूमनिटेरियन आधार पर उसे बन्द करने का निर्णय हुआ। उसमें यह भी निर्णय हुआ कि रिक्शा चालकों और मालिकों के लिये अनिवार्य कर दिया जाय कि वे अपने रिक्शे में आटो साइकिल और आटो मोटर यूनिट फिक्स करालें जैसा कि पूना कारपोरेशन और दिल्ली में हुआ है। तो इस दृष्टि से माननीय मंत्री जी उस प्रोविजन को इसमें लगाने पर विचार कर रहे हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस प्रश्न पर बहुत पहले इस प्रदेश में विचार किया गया था और उस वक्त यह समझा गया था कि आटो-रिक्शा खतरनाक चीज है और छोटे छोटे शहरों के लिये वह उचित नहीं है। उस विचार में अभी तक कोई अन्तर नहीं हुआ है, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट की कमी महसूस होगी तब फिर यह सवाल सामने आ सकता है और उस समय जो परिस्थिति होगी उस के अनुसार उस पर विचार किया जायगा।

बकाया पंचायत कर की वसूली

*१०—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत जून, १९५९ में पंचायतराज विभाग की ओर से कितने जिलों में बकाया पंचायती टैक्स वसूली पखवारा मनाया गया?

श्री जयराम वर्मा—पंचायत राज विभाग की ओर से ऐसा कोई पखवारा नहीं मनाया गया, परन्तु संचालक, पंचायत राज के प्रोत्साहन पर १६ जिलों को ग्राम सभाओं ने स्वयं बकाया पंचायती टैक्स वसूली पखवारा मनाया।

*११—**श्री सजीवनलाल**—क्या सरकमर यह बताने की कृपा करेगी कि इस पखवारे में कितना बकाया टैक्स वसूल हुआ और कितना बाकी रहा?

श्री जयराम वर्मा—पंचायत राज विभाग द्वारा टैक्स वसूली पखवारा मनाये जाने के आदेश जारी न होने के कारण यह प्रश्न उठता ही नहीं है, परन्तु इन १६ जिलों की ग्राम सभाओं के स्वतः प्रयास के फलस्वरूप ५,६५,७२० रु० वसूल हुआ और ८८,६२,७९१ रु० शेष रहा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो ८८ लाख ३२ हजार रुपया बाकी है वह केवल १६ जिलों का है या पूरे सूबे भर का है? यदि यह १६ जिलों की ही बकाया है तो कृपा कर पूरे सूबे की बकाया बता दें?

श्री जयराम वर्मा—यह बकाया १६ जिलों की है, पूरे सूबे की बकाया इस वक्त बताना संभव नहीं है।

श्री सजीवनलाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रोत्साहन किसी आदेश द्वारा दिया गया था या किसी नये प्रकार से दिया गया था? यदि आदेश द्वारा तो वह आदेश क्या था?

श्री जयराम वर्मा—इसके पहले कुछ इस तरह से गांवसभाओं ने काम किया था वह अच्छा काम था तो यहां से जो पत्र भेजा गया उस के लिये उस में उन की प्रशंसा की गई और कहा गया कि इसी तरह से काम जारी रखें तो अच्छा होगा।

श्री सजीवनलाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत टैक्स की वसूली के वक्त कोई विशेष कुर्क अमीन मुकर्रर किये गये थे?

श्री जयराम वर्मा—इस की सूचना तो नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५ लाख वसूल हुआ और ८८ लाख ३२ हजार का बकाया है, इस बड़े अनुपात को देखते हुए क्या सरकार इस पंचायत टैक्स को बिल्कुल खत्म करने का विचार करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसको सरकार अनावश्यक समझती है क्योंकि सरकार ने यह निर्णय पंचायतों पर स्वयं छोड़ रखा है, वह उचित समझेंगी तो माफ कर सकती हैं।

श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो धनराशि बकाया है उसके संबंध में किन-किन जिलों की किन-किन ग्राम पंचायतों से उसकी माफी की दरख्वास्तें आई हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह प्रश्न नया है, वह तो पंचायत राज संचालक के पास आयेंगी, उसका रिकार्ड यहां नहीं है।

लखनऊ में दौलतगंज व चौक वार्ड से गुजरने वाले नाले का बहाव रुकना

*१२—**श्री त्रिलोकी सिंह** (जिला लखनऊ)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में दौलतगंज व चौक वार्ड के बीच से हो कर जो नाला गुजरता है उसके करीब कोई सीवर बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को इत्तला है कि सीवर बनने से मौजूदा नाला भठ गया है और पानी निकलने की दिक्कत हो रही है ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां, सीवर बनाने के कारण जो भी मलवा निकलता है, साधारणतया वह तुरन्त हटा दिया जाता है। परन्तु ऐसा करने के बावजूद मलवे का कुछ अंश नाले में गिर पड़ा जिसके कारण उसके पानी के बहाव में कुछ रुकावट हो गई। सीवर के खोदे जाने के पूर्व भी कुछ सिल्ट नाले में जमा थी जिससे भी पानी के बहाव में रुकावट हुई। अब मलवा और सिल्ट को शीघ्रातिशीघ्र हटाने की कोशिश नगरपालिका द्वारा की जा रही है। संभवतः १५-९-५९ तक यह कार्य पूरा हो जायगा, तत्पश्चात् पानी के बहाव में कोई रुकावट न होगी।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जब बरसात के दिन थे और नया सीवर डाला जा रहा था तो यह एहतियात क्यों नहीं बरती गई कि नाले में मिट्टी न जाने पावे और पानी न रुकने पावे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यही निवेदन किया गया कि एहतियात तो की गई, लेकिन बहुत से मजदूर मिट्टी का काम करते हैं, हर एक आदमी पूरी एहतियात नहीं बरत सकता इसलिये किसी की जरा सी गलती से कुछ मिट्टी उसमें चली गई, थोड़ी सी लापरवाही से ऐसा हुआ।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब सीवर बनाने की योजना थी तो उसके पहले वहां से सिल्ट क्यों नहीं हटाई गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इसमें थोड़ी लापरवाही जरूर है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सीवर किसकी निगरानी में बन रहा था और कौन उसको बनवा रहा था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो थोड़ी बहुत लापरवाही हुई उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वहां काम कराने वाले हैं वही जिम्मेदार हैं और कौन होगा। मैं तो हो नहीं सकता।

श्री सुरथ बहादुर शाह—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो शख्स उसके जिम्मेदार ठहराये गये उनसे कोई जवाब-तलब किया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मेरे पास प्रश्न अभी आया। यदि सदन की इच्छा होगी कि जवाब-तलब किया जाय तो करा लेंगे। लेकिन छोटी-मोटी गलती अक्सर हो जाती है जहां इतने लोग काम करते हैं, कोई बड़ी भारी गलती नहीं है।

वाराणसी नगरपालिका द्वारा अनुदान के प्रयोग में अनियमितता की शिकायत

*१३—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को पता है कि स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षक के कार्यालय से वाराणसी नगरपालिका के सन् ५६-५७ के हिसाब किताब की जो आडिट रिपोर्ट हाल में प्रकाशित की गई है उसमें वाराणसी नगरपालिका द्वारा सरकारी अनुदानों के उपयोग में की गई कुछ गहरी अनियमितताओं की कड़ी आलोचना की गई है ? यदि हां, तो वे अनियमिततायें क्या-क्या हैं ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां, सन् १९५६-५७ की आडिट रिपोर्ट में इस नगरपालिका द्वारा सरकारी अनुदानों के उपयोग की अनियमितता के संबंध में आडिट ने कुछ आलोचना की थी जिस पर बोर्ड ने समुचित कार्यवाही कर ली है। यदि सदस्य महोदय आडिट आपत्तियों को देखना चाहें तो उनको विभाग द्वारा दिखा दी जायंगी।

श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि उस रिपोर्ट में इस बात की भी आलोचना की गई थी कि जो कम आय वाले मकान बनाने के लिये रुपया दिया गया था उसी रुपये से नगरपालिका ने १,७४,००० रु० से विजयानगरम की मार्केट बिना सरकार की स्वीकृति के खरीद ली थी ?

श्री जयराम वर्मा—इसका उल्लेख इसमें नहीं है।

श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि नगरपालिका ने अपनी धनराशि से कुछ अधिकारियों को मोटरगाड़ियां खरीद कर दीं, ऐसी भी आलोचना उसमें की गई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जो नोट इस समय हमारे सामने है उसमें कोई जिक्र इसका नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वह शायद आडिट रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं। (श्री ऊदल से) आप जरा स्पष्ट करें।

श्री ऊदल—श्रीमन्, उसमें गहरी अनियमितताओं की कड़ी आलोचना की गई है। मैं यह जानना चाहता था कि वे अनियमिततायें क्या हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी ने गोल-मोल जवाब दे दिया। तो क्या माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को सूचना मानकर जांच कराके, यदि गोलमाल हुआ है तो, कड़ी कार्यवाही करेंगे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—गोलमाल कुछ नहीं हुआ है। जो मोटर खरीदने की बात है वह सरकार के सामने आ चुकी है और उसके ऊपर विचार भी हुआ है। लेकिन जो नोट यहां से मेरे पास आया है उसमें इनका उल्लेख नहीं है। अगर माननीय सदस्य यह शंका करते हैं कि आडिट रिपोर्ट में ये बातें हैं और यहां नहीं हैं तो मैं दिखवा लूंगा और सदन को सूचना दे दूंगा।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आडिट रिपोर्ट में, जो रकम जिस मद के लिये सरकार की ओर से अनुदान स्वरूप दी गई थी वह रकम उस मद में नहीं खर्च हुई, इसकी आपत्ति भी की गई है और उदाहरणार्थ रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि छोटे-छोटे मकानों को बनाने में जो रुपया दिया जाना चाहिये था उससे विजयानगरम की मार्केट खरीदी गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं अभी निवेदन कर चुका हूं कि मेरे पास यहां पर तीन शिकायतें आडिट रिपोर्ट की हैं जोकि सन् ५६–५७ के संबंध में है। अगर माननीय सदस्य का यह खयाल है कि इसके अलावा भी कोई शिकायत है तो जैसा मैंने अभी कहा, मैं दिखवा कर बता सकता हूं और अगर होंगी तो उसका जवाब फिर निवेदन कर दूंगा।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि वाराणसी में जो बहुत ही प्राचीन जगतगंज का मोहल्ला है जहां मोची जूते बनाते हैं उनकी छोटी-छोटी दुकानों को उजाड़ कर फिर कोई बड़े आदमी द्वारा बनाया हुआ क्वार्टर खरीदने की कोशिश की जा रही है और अनावश्यक धन उसमें लगाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—यह क्या आडिट रिपोर्ट में है ?

श्री राजनारायण—जी हां, सब उसमें है।

श्री अध्यक्ष—आप अपना प्रश्न स्पष्ट करें।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को जानकारी है कि आडिट रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रकार की भी आपत्ति की गई है कि जहां पर छोटे-छोटे मकानों को बना कर छोटे-छोटे लोगों को रुपया दे करके रहने की व्यवस्था की जानी चाहिये थी वहां किसी बड़े आदमी द्वारा अपने पैसे से बनाये हुए मकान को खरीदने की कोशिश की जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं उत्तर दे चुका हूं कि वास्तव में इन सब का जिक्र इसमें नहीं है और अगर माननीय सदस्य का ऐसा खयाल है . . . .

श्री अध्यक्ष—आपके पास आडिट रिपोर्ट है या उसका ऐक्स्ट्रैक्ट है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आडिट रिपोर्ट में जो एतराज हैं उनका ऐक्स्ट्रैक्ट है इसलिये मैं समझता हूं यह इन इटसेल्फ कमप्लीट है और अगर नहीं है और माननीय सदस्य का खयाल है कि ऐसी बातें हो रही हैं तो मैंने कहा कि जितनी बातें कहेंगे मैं उनको देख कर बतला दूंगा।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी को इस बात का पता है कि जो कम आय वालों को रुपया सरकार ने दिया था मकान बनाने के लिये वहां की नगरपालिका ने सरकार को जो रिपोर्ट दी है कि वह रुपया उसी काम में लाया जा रहा है वह रुपया वास्तव में उस काम में खर्च न करके उस रुपये से विजयानगरम का मार्केट खरीदा गया ? इसकी जांच मंत्री जी करायेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, जो छोटी आय वाले हैं उनके लिये जमीनें अलग ले करके प्लाट्स बेचे जा रहे हैं। लेकिन जो सूचना अब मुझे माननीय सदस्य दे रहे हैं मैं इसको देख लूंगा।

कन्धारी बाजार जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम, लखनऊ के अन्तर्गत गृह-निर्माण संबंधी शर्तों पर आपत्ति

*१४—**श्री सजीवन लाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कंधारी बाजार जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम, लखनऊ के अन्तर्गत १–१–५८ से ३०–४–५९

तक भवन निर्माण के हेतु कितने व्यक्तियों के प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये गये और कितने व्यक्तियों के प्रार्थनापत्र इस आधार पर अस्वीकृत किये गये कि उनके मकान उक्त स्कीम के अन्तर्गत आते हैं।

श्री जयराम वर्मा—उक्त अवधि में लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को केवल ३ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। उनमें से दो प्रार्थना-पत्र तथा नक्शे ट्रस्ट ने स्वीकृत किये। एक नकशा ट्रस्ट के विचाराधीन है।

*१५—**श्री सजीवन लाल**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त जिन व्यक्तियों को भवन निर्माण की इजाजत दी गई है क्या उनसे कोई इकरारनामा किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और यह बतायेगी कि किन विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार के इकरारनामे लिखा कर इजाजत दी गई?

श्री जयराम वर्मा—एक व्यक्ति को बिना किसी शर्त के भवन निर्माण करने की आज्ञा ट्रस्ट ने दी है क्योंकि उनकी भूमि ट्रस्ट की स्कीम की सीमा के अन्तर्गत तो थी पर उसे स्कीम के लिये एक्वायर नहीं करना था। अन्य व्यक्ति को इस शर्त पर मकान बनाने की इजाजत दी गई है कि ट्रस्ट को उनकी जो भूमि चाहिये वह उसे ट्रस्ट को बिना मूल्य दे देंगे तथा ट्रस्ट उनको कुछ अपनी भूमि प्रचलित बाजार दर पर मकान बनाने के लिये देगा। प्रस्तावित इकरारनामा अभी तैयार किया जा रहा है। अतः सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा ३० की उपधारा (३) तथा (४) के अन्तर्गत इस प्रकार की इजाजत की आवश्यकता है। अन्यथा ट्रस्ट को आर्थिक हानि होने की संभावना रहती है।

*१६—**श्री सजीवन लाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि उक्त व्यक्तियों के जिन्हें मकान बनाने की इजाजत दी गयी है प्लान को पास करने में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने संबंधित उपविधियों के पालन और पड़ोसियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखा है?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं। ट्रस्ट ने संबंधित उपविधियों तथा पड़ोसियों की सुविधा का ध्यान रख कर ही नक्शे पास किये हैं।

श्री सजीवनलाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो नक्शा ट्रस्ट के विचाराधीन है उसके बारे में आज्ञा देने की ट्रस्ट क्या शर्त रखता है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इस स्कीम को ले करके सरकार के सामने कई प्रश्न हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आखिरी रूप क्या होगा वह अभी निश्चय नहीं कर सके हैं इसलिये किसी को मकान बनाने की इजाजत देते हैं तो यह शर्त लगा देते हैं कि जिस दिन अपनी स्कीम चलायेंगे तो हम मुआवजा नहीं देंगे। यह कोई स्वीकार कर लेता है तो हम मंजूरी दे देते हैं। कोशिश यह करते हैं कि जो हमारी स्कीम में आते हैं उनको इजाजत न दें। लेकिन अगर कोई आता है तो उसके साथ यह शर्त लगा देते हैं। तो इस तरह लोगों को ऐकोमोडेट करने की कोशिश की जाती है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सरकार ने धारा ३० की उपधारा (४) का हवाला दिया है तो १९३९ में जो नोटिफिकेशन इश्यू किया उसके मुताबिक जनरल इम्प्रूवमेंट की स्कीम यह है कि जिस पर सेक्शन ३० लागू नहीं होगा वह केवल उस सेक्शन के (f) पर लागू होता है। तो सरकार इस बात को विचार करते हुए इसको क्यों लागू कर रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने कहा इस स्कीम में, इसके बीच में पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से लेने का एक भाग था। तो यह सब प्रश्न है और उनके ऊपर कोई अंतिम निर्णय नहीं कर सके इसलिये यह दिक्कत सामने आ रही है।

श्री सजीवन लाल—जिस व्यक्ति का नक्शा विचाराधीन है उसमें कई व्यक्ति रहते हैं क्या यह सरकार को मालूम है यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि जो व्यक्ति उसमें रह रहे हैं उनके लिये क्या सोच रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सोचा यह जा रहा है कि जहां यह स्कीम लागू की जा गी, जो लोग डिस्प्लेस होंगे उनको किसी न किसी तरह से बसाने की इम्प्रूवमेंट व नगर-पालिका की तरफ से कोशिश की जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि इस स्कीम में कई पुख्ता मकान तोड़े जायेंगे और उनको कितना मुआविजा देना होगा ?

श्री जयराम वर्मा—यह कहना मुश्किल है लेकिन १० आदमियों के अपने मकान हैं और ४० ऐसे जो किरायेदार हैं उनको हटाया जायगा।

कानपुर नगरपालिका के पार्क विभाग, क्षेत्र सं० २ के मालियों को वेतन वृद्धि न मिलना

*१७—**श्री राजनारायण**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड कानपुर के पार्क विभाग जोन नं० २ के मालियों को (१) वेतन में तरक्की (इंक्रीमेंट) कब से नहीं दी गयी है, (२) वेतन महीने के किस तारीख को दिया जाता है और (३) सवैतनिक वार्षिक विभागीय छुट्टियां दी जाती हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड के पार्क विभाग जोन नं० २ के मालियों को वेतन-वृद्धि विभिन्न तिथियों से नहीं दी जा सकी है।

२—उनके वेतन वितरण के लिये प्रत्येक महीने की १० तारीख निर्धारित है पर अगले महीने से इसे और जल्दी करने की व्यवस्था की जा रही है।

३—उन्हें छुट्टियां नियमानुसार दी जाती हैं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है १९५४ से कुछ मालियों को तरक्की नहीं दी गयी।

श्री जयराम वर्मा—यह तो बतलाया गया है कि विभिन्न तिथियों से उनको इंक्रीमेंट नहीं मिला है। इसका कारण यह है कि पहले पार्क विभाग में थे, फिर जोन में आये। उसके रेकार्ड्स पूरे नहीं थे। अब रेकार्ड्स पूरे हो गये हैं और आदेश हो गये हैं कि उनको इंक्रीमेंट्स दे दिये जायं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार उन विभिन्न तिथियों को बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—यह तो मेरे पास सूचना नहीं है कि हर एक की अलग-अलग तिथि क्या है।

श्री राजनारायण—श्री उदयराम माली, श्री मंगल माली, श्री रामनाथ माली, श्री बद्री माली को १९५९ से तरक्की नहीं दी गयी और श्री गुरदीन माली, श्री रामचन्द्र माली और श्री रामसेवक माली को सन् ५६ से नहीं दी गयी, मेरे पास सब सूचना है तो सरकार के पास क्यों नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---आप तैयार हो कर आये हैं और सरकार को मालूम नहीं था कि आप यह सवाल करेंगे।

श्री राजनारायण---यही तो प्रश्न था कि इनको कब से तरक्की नहीं मिली है?

श्री अध्यक्ष---यह तो बतला दिया कि नहीं मिली है।

श्री भगवती सिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें सबसे पुराना मामला कितने दिन का है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सन् ५४ से नहीं मिला है और इसलिये नहीं मिला है कि रेकार्ड नहीं थे। उनके सामने यह दिक्कत थी कि जब रेकार्ड नहीं है तो किसको किस आधार पर दें। इसी रेकार्ड को पूरा किया जा रहा है और जैसे ही पूरा हो जायगा तो वह दे दिया जायगा।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात को बतलाने की कृपा करेगी कि २४ क्वार्ट्स मालियों को दिये गये हैं उनमें रहने वाले मालियों की तनख्वाह जून, जुलाई, अगस्त तीन महीने की नहीं दी गयी है?

श्री जयराम वर्मा---वेतन न दिये जाने की कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रेकार्ड वहां रखे नहीं जाते या वे खो गये हैं?

श्री जयराम वर्मा---ये पार्क विभाग में काम करते थे। वहां मालूम यह होता है कि ठीक से रेकार्ड नहीं रखे गये, फिर जोन में आये। जब जोन से सूचना मांगी तो वह सूचना दी नहीं गयी। जो वेतन दिये जाते थे रेकार्ड्स से वह सूचना पूरी की गयी है और यह आदेश दिया गया है कि जिसको जिस तारीख से वेतन वृद्धि नहीं दी गयी है उसको उसी तारीख से वेतन वृद्धि दी जाय।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को मालूम है कि कुछ ऐसे भी माली हैं जो ५ महीने और ३ महीने से लगातार छुट्टी चाहते हैं और उनके घर पर लोग बीमार पड़े हैं, तार भी आये हैं, चिट्ठियां भी आयी हैं तब भी उनको छुट्टी नहीं दी जा रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

कंधारी बाजार जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम, लखनऊ के अन्तर्गत गृह निर्माणार्थ शर्तों पर आपत्ति

*१८---कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---क्या सरकार को पता है कि कन्धारी बाजार जनरल इम्प्रूव मेंट, लखनऊ स्कीम के अन्तर्गत जो लोग मकान बनाने की इजाजत मांगते हैं उनसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इजाजत देने के लिये प्लान पर विचार करने की यह शर्त रख देता है कि वे स्कीम के भीतर पड़ने वाले अपने मकान के भाग को ट्रस्ट को बिना मुआविजा लिये दे दें या एक्जीक्यूशन के वक्त नये निर्माण का मुआवजा न लें?

श्री जयराम वर्मा---जी हां।

कुंवर श्रीपाल सिंह---कुछ इस किस्म के मकान वालों को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर वे यह कह दें कि हम मुआविजा नहीं लेंगे तो उनको इजाजत दी जायगी, तो यह असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में यह है कि किसी की भी जायदाद बगैर मुआविजा दिये हुए नहीं ली जा सकती है। लेकिन अगर मंत्री जी मानते हैं कि यह असंवैधानिक नहीं है तो किस धारा के अन्तर्गत व उसको सही मानते ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सोशल कांट्रेक्ट के अन्दर अगर शर्तें पहले मन्जूर हो जाती हैं तो उसके मुताबिक दोनों पार्टिज बंधी रहती है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---क्या सरकार इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को यह आदेश देने की कृपा करेगी कि वह इस प्रकार की अवैधानिक शर्तें न लगाया करे ?

श्री अध्यक्ष---वह तो उन्होंने अवैधानिक माना नहीं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---जब यह स्कीम अभी फाइनलाइज नहीं हुई तो अभी इजाजत क्यों दी जाती है, कल को अगर कोई घर तोड़ना पड़े तो ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब वे दे चुके हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव---कन्धारी बाजार स्कीम का नोटिफिकेशन सन् १९३९ में हुआ था, २० वर्ष हो गये । इस बीच में सरकार लोगों को मकान बनाने की इजाजत नहीं देती है तो उनको कम्पेन्सेशन देने की कृपा करेंगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---शेडल्यूल की धारा १४ के मुताबिक जब एक्वायर किये जायेंगे तो जरूर कम्पेन्सेशन दिया जायगा । मकान तो उनकी सुविधा के लिये छोड़े गये हैं । उनको आनन्द है कि जब तक मकान में रहने का मौका मिल जाय तो दे दिया जाय । म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऐसा किया गया है ।

तालबेहट, टाउन एरिया के चेयरमैन का त्याग-पत्र

*१९---**श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तालबेहट, जिला झांसी की टाउन एरिया के चेयरमैन ने दिसम्बर, १९५८ में त्याग-पत्र दे दिया था और त्याग-पत्र में अधिकारियों पर कुछ आरोप भी लगाये गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्री जयराम वर्मा---(क) जी हां ।

(ख) आरोप सत्य नहीं थे, अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता न थी ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि त्याग-पत्र अधिकारियों के ऊपर क्या आरोप लगाये गये थे और उन आरोपों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ?

श्री जयराम वर्मा---आरोप कोई निश्चित नहीं लगाये गये । सिर्फ इतना कहा गया कि सदस्यों के विरुद्ध जो लिखा-पढ़ी की गयी उस पर उच्च अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और न कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में की गयी । यह बात सही नहीं है, उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---एक चुने हुए जन-प्रतिनिधि ने अपने आरोपों के सिलसिले में इस्तीफा दिया, तो क्या सरकार ने उनसे पुछवाया कि क्या कारण है, क्यों इस्तीफा दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने जवाब दे दिया कि इसके ऊपर जांच हो रही है । आरोप निराधार पाये गये ।

श्री शिव प्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तालबेहट टाउन एरिया के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने सेक्रेटरी, एक्जीक्यूटिव अफसर पर आरोप लगाये या कर्मचारियों पर लगाये या मेम्बरों के खिलाफ लगाये ?

श्री जयराम वर्मा--श्रीमन् जी, यह चार्ज मेम्बरों के खिलाफ था कि वह टैक्स वसली में सहायता नहीं करते हैं और काम में बाधा डालते हैं और अधिकारियों के खिलाफ यह था कि जो लिखा-पढ़ी की जाती है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। जांच करने पर कोई बात अधिकारियों के खिलाफ सही नहीं पाई गई जिससे कोई कार्यवाही की जाय।

झांसी जिले में पंचायत घरों का निर्माण

*२०--**श्रीमती बेनीबाई** (जिला झांसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिल में इस समय कितने पंचायतघर बन चुके हैं, कितने अधूरे पड़े हैं और कितने ऐसे हैं जिनमें केवल नीव पड़कर रह गई है ?

श्री जयराम वर्मा--झांसी जिले में इस समय १६८ पंचायत घर बन चुके हैं, १०७ अधूरे पड़े हैं और ४५ ऐसे हैं जिनकी केवल नींव पड़कर रह गई है।

श्रीमती बेनीबाई--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो पंचायत घर अधूरे पड़े हुए हैं या नींव भर गयी है वह कब तक पूरे किये जायेंगे ?

श्री जयराम वर्मा--श्रीमन्, आदेश दे दिये गये हैं कि जो अधूरे पड़े हैं या नींव भर कर रह गये हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाय।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन ब्लाकों में पंचायत-घर बन रहे हैं, वह अधूरे पड़े हैं और उनका रुपया खर्च हो चुका है तो उनको विशेष अनुदान देने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा--श्रीमन्, टैक्सेज उनके पास हैं, उनसे पंचायत घर बन सकते हैं। अलग से धन देने की जरूरत नहीं है।

*२१-२३--**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती)--[हटा दिये गये।]

मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी, लखनऊ की जमीन पर से शराब की दुकान हटाने की मांग

*२४--**श्री त्रिलोकी सिंह**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित चारबाग स्टेशन के सामने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा नजूल की जो आराजी मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी को दी गयी थी उसकी लीज की शर्तें क्या हैं ?

श्री जयराम वर्मा--उक्त भूमि मोती लाल मेमोरियल सोसाइटी को, जिसके मुख्य उद्देश्य संक्षेप में, सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्वर्धन, पुस्तकालय चलाना, मुर्दा अजायबघर खोलना और जनता का सर्वांगीण बौद्धिक विकास आदि हैं, की पूर्ति के लिये १ रु० वार्षिक के नाम मात्र किराये पर सन् १९४० में लीज पर दी गई थी। उक्त भूमि पर स्थित या बनी इमारतों के टैक्स आदि की देनदार सोसायटी होगी। जब तक उपरोक्त उद्देश्यों के हेतु भूमि काम में लाई जायगी, वह सोसायटी के पास रहेगी। इस लीज के अनुसार जयंती रेस्टोरेन्ट तथा पेट्रोल पम्प जो पहले से वहां थे, की भूमि सम्बन्धी लीज के अधिकार सोसाइटी को हस्तांतरित कर दिये गये। उक्त शर्तों के उल्लंघन पर किसी समय भी लीज खत्म की जा सकती है।

*२५--**श्री त्रिलोकीसिंह**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस स्थान पर कितनी इमारतें इस वर्ष तक तामीर हो चुकी हैं और इनमें से कितनी इमारतें तिजारत के काम के लिये बनाई गयी हैं ?

श्री जयराम वर्मा--उक्त स्थान पर १६ इमारतें बन चुकी हैं। इनमें से ११ इमारतें तिजारत क काम में आ रही हैं।

श्री सुरथबहादुर शाह---क्या सरकार बतायेगी कि जब लीज टर्म्स के खिलाफ तिजारत के लिये इमारत बनाने के आदेश दिये गये हैं और आमदनी हो रही है तो क्या वजह है कि लीज टर्मिनेट न की जाय?

श्री जयराम वर्मा---लीज का उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---एक रुपये वार्षिक पर जितनी जमीन दी गई है उसका रकबा क्या है?

श्री जयराम वर्मा---२० बीघा ३ बिस्वा ५ बिस्वांसी ५ कचवांसी।

श्री सुरथबहादुर शाह---श्रीमन्, सरकार का उत्तर लीज के विषय में सुन नहीं पड़ा।

श्री अध्यक्ष---वह कहते हैं कि लीज के टर्म्स के विरुद्ध कोई बात ही नहीं हुई।

श्री सुरथबहादुर शाह---यह टर्म्स क्या थे, वह सरकार बताने की कृपा करेगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, यह उत्तर में लिखा हुआ है। उसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित है। यदि आमदनी के लिये वह सबलेट कर देते हैं तो बाधक नहीं होता है बशर्ते कि सारा पैसा उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये खर्च किया जाय।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी जो कहा गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संवर्धन, पुस्तकालय चलाने, मुर्दा अजायब घर खोलने और जनता के सर्वांगीण बौद्धिक विकास के लिये लीज पर दिया गया है तो क्या कारण है कि ११ इमारतों पर तिजारत चल रही है?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है।

कुंवर श्रीपाल सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मोतीलाल ममोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष कौन हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, इस समय मेरे पास तो सूचना है नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---जो ११ मकान तिजारत के काम में उठे हुए हैं उनका मासिक किराया क्या है?

श्री जयराम वर्मा---इसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)---क्या यह सही है कि जो जमीन लीज पर दी गई है उस पर एक होम्योपैथिक अस्पताल, बच्चों के खेलने के लिये एक बगीचा और एक म्युजियम है?

श्री जयराम वर्मा---जी हां।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह तिजारत चल रही है क्या वह मोतीलाल सोसाइटी चला रही है या अन्य व्यक्ति को लीज में दे कर वह चला रहे हैं?

श्री जयराम वर्मा---जहां तक मेरी सूचना है दूसरे आदमियों को लीज पर दिया गया है वह चला रहे हैं और उनको इससे रेंट मिलता है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी उन आदमियों का नाम बताने की कृपा करेंगे जिनको ट्रस्ट की जमीन लीज में दी गयी है?

श्री जयराम वर्मा--सर्वश्री गणेशप्रसाद रामगोपाल का पेट्रोल पम्प, दूसरे जयन्ती रेस्टरां, तीसरे शराब की दूकान, पान की दूकानें तीन, भूसे की दूकानें दो, मुर्गी की दूकान एक, परचून की दूकान एक और सुरजीतसिंह की मोटर की वर्कशाप एक।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन सोसायटी को दी गयी उसमें यह बात तय थी कि शराब की दूकान खोली जायगी या नहीं ? अगर नहीं तय थी तो उसको बन्द कराने की कोशिश क्यों नहीं की गयी ?

श्री जयराम वर्मा--उसमें यह शर्त नहीं थी कि ऐसी दूकान खोली जायगी और न जब जमीन लीज पर सोसाइटी ने दी, इस काम के लिये खास तौर से दी।

कुंवर श्रीपाल सिंह--क्या इस बात को देखते हुए कि यह सोसाइटी एक बहुत ही उच्च कोटि के देशभक्त के नाम से है वहां पर शराब की दूकान खोली है उसको बन्द करवाने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इस सोसाइटी में काफी जिम्मेदार आदमी हैं जो उसको चलाते हैं। सरकार के पास अगर कोई ऐसी शिकायत आयेगी कि उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य हो रहा है तो सरकार विचार कर सकती है।

श्री गेंदासिंह--यह शराब की दूकान खुलने की सूचना सरकार को कब मिली और उसके बाद शराब की दूकान बन्द करवाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, यह लीज सन् ४० में दी गई जब तक कि इस सरकार का कोई वजूद ही नहीं था। हमारे सामने यह प्रश्न इस प्रश्न के उत्तर के साथ पहली बार आया है कि शराब की दूकान भी वहां है इसलिये ऐसे प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वह उठते ही नहीं हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह लीज जो दी गई इतने सस्ते रेट पर कुछ उद्देश्यों को रखकर के तो जब शराब की दूकान या दूसरे तिजारत की दूकानें यहां खोली गईं तो इस सम्बन्ध में सरकार से कोई आज्ञा प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया और अगर नहीं तो सरकार इस बात की जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--मैं इस बात की इजाजत नहीं देता हूं। अगर आप लीज की शर्तों के बारे में सवाल रखेंगे तो मैं इजाजत दूंगा लेकिन अगर उसके खिलाफ आप ऐसी बात पूछेंगे जो महज एक कीचड़ उछालने के लिये हो तो मैं ऐसे प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव--मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस सोसाइटी ने यह शराब की दूकान खोलने के पहले सरकार को इस बात की सूचना दी थी कि वहां एक शराब की दूकान खोली जायगी ?

श्री अध्यक्ष--पहले तो आप यह पूछें कि इस तरह की इजाजत शर्तनामे के अनुसार मांगना लाजिमी था और क्या इस तरह की शर्त उसमें थी। जब तक यह चीज शर्तनामे में होना प्रतीत नहीं होती तब तक मैं इन प्रश्नों की इजाजत नहीं दे सकता।

नोट--तारांकित प्रश्न २५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

हाथरस श्रमिक बस्ती की मल उपवहन योजना

*२६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में जो श्रमिक क्वार्टर्स बने हैं उनकी फ्लश लैट्रीन बनाने के लिये जो गटर्स बनाने की योजना है वह कितने रुपये की है और उसका ठेका कितने रुपये का है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—हाथरस लेबर कालोनी की स्वीकृत मल उपवहन योजना (Sewage Disposal Scheme) का अनुमानित व्यय ४२,७२० रुपये है। उक्त कार्य के लिये टेंडर आमंत्रित किये गये हैं। अभी उस का ठेका नहीं दिया गया है।

*२७—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से कितना रुपया इन क्वार्टरों के ट्यूबवेल तथा गटरों को बनाने के लिये कर्ज अथवा सहायता का दिया गया है ? और इनके बनाने के लिये कितना समय निर्धारित किया गया है ?

श्री विचित्रनारारण शर्मा—मल उपवहन योजना (Sewage Disposal Scheme) का अनुमानित व्यय ४२,७२० रुपया है और जल सम्भरण योजना (Water Supply Scheme) का अनुमानित व्यय ७७,१२० रु० है। इसके हेतु श्रमिक आवास योजना के कोष से ४७,५२० रु० मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग को दिये जाने के आदेश दिये गये हैं, तथा शेष ७२,३०० रु० हाथरस नगरपालिका को उक्त विभाग द्वारा इन योजनाओं को पूरा करने के लिये ऋण के रूप में दिया गया है। अभी कार्य की समाप्ति के लिये समय निर्धारण नहीं हुआ है।

*२८—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त काम का पिछली वर्ष से अब तक निर्माण कार्य किन कारणों से नहीं हुआ ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रमिक आवास योजना के अन्तर्गत विकास कार्य के लिये केवल ४७,५२० रु० उपलब्ध था, जब कि मल उपवहन तथा जल सम्भरण योजनाओं का अनुमानित व्यय १,१९,८४० रु० था, काफी प्रयत्न के बाद हाथरस नगरपालिका को उक्त योजनाओं की पूर्ति में योग देने के लिये राजी किया जा सका तथा शासन ने नगरपालिका को इस काम के लिये शेष धनराशि ऋण के रूप में दी। नलकूप (Tube-well) का कार्य आरम्भ हो चुका है।

*२९-३१—श्री सजीवन लाल—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण ९ सितम्बर के लिये प्रश्न संख्या ३२-३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३२-३३—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण छठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३४—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण ९ सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*३५—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण ९ सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*३६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण ९ सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर म्युनिसिपिल बोर्ड में अनियमिततायें

*३७—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर म्युनिसिपल-बोर्ड का १९५३ से १९५६ का हिसाब आडिट हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आडिट रिपोर्ट में जिन अनियमितताओं की ओर विशेषरूप से ध्यान आकर्षित किया गया है उन्हें समग्र रूप से अथवा संक्षिप्त रूप से सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड के वर्ष १९५३–५६ तक का हिसाब आडिट हो चुका है। आडिट रिपोर्ट में जिन अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है उसका संक्षिप्त विवरण नत्थी "क" में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क आगे पृष्ठ २४८ पर)

*३८—श्री मदन पांडेय—क्या यह सही है कि उक्त आडिट रिपोर्ट में गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड के कतिपय कर्मचारियों पर गबन सम्बन्धी गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन आरोपों को सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। आडिट में लगाये गये मुख्य आरोपों का संक्षिप्त विवरण नत्थी "ख" में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४८ पर।)

मकनपुर मेले में जाली रसीदों से कर उगाही

*३९—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मेला मवेशियान स्थान मकनपुर (कानपुर) के माह फरवरी, १९५९ में लगने वाले मेले में जाली रसीदों से टैक्स वसूल करने की कुछ शिकायतें सरकार या जिलाधीश कानपुर को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है।

*४०—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[निर्माण मंत्री से सम्बन्धित ८ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न सं० १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री गरीबदास (जिला जालौन)—मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में एक सूचना चाहता हूं और वह यह कि जो प्रश्न नहीं आ पाते हैं और जिनके उत्तर मन्त्री जी की तरफ से हमारे पास आ जाते हैं वह क्या सही माने जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह माना जायगा कि वे उत्तर दिये गये और वे छप जाते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न पूछना चाहता हूं प्रश्नों के सम्बन्ध में . . .

श्री अध्यक्ष—मैंने तो आपको आज के लिये कहा है कि साढ़े तीन बजे आप आ जायं मेरे कमरे में।

श्री रामस्वरूप वर्मा—बात यह है कि बहुत से प्रश्न इनकार होकर आ गए थे। मैंने सचिव से भी इस बात के लिये पूछा था कि वह कोई सहायता हमको दें ताकि यह प्रश्न किसी तरह आ जायं। आप के यहां भी गया तो आपको मौका ही नहीं मिलता . . .

श्री अध्यक्ष—मैंने तो आज के लिये कहा है। आज आप साढ़े तीन बजे आ जायें। इतनी जल्दी कोई चीज खत्म तो नहीं होती।

श्री चरणसिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—अब जो विशेषाधिकार का प्रश्न श्री राजनारायण जी ने उठाया था श्री चरण सिंह जी के वक्तव्य न देने के सम्बन्ध में और श्री चरण सिंह जी ने यह कहा था कि २ तारीख को इस विषय में उनको जो कहना है कि प्रस्ताव की इजाजत दी जाय या न दी जाय उस बात को वह आज कहेंगे।

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, आपकी मेहरबानी से मैंने उस रोज की कार्यवाही देख ली है जिस रोज कि माननीय राजनारायण ने और कदाचित् एक दो और मित्रों ने यह सवाल उठाया था। कार्यवाही के देखने से मेरे ज्ञान में कोई इजाफा नहीं हुआ, मालूमात में कोई वृद्धि नहीं हुई। जैसा अखबार में मैंने पढ़ा था वही बात उसमें थी। दो बातें उठाई गयी थीं। एक तो यह कि स्पीकर महोदय से समय लेने के बाद बयान का न देना सदन को धोखा देना है और सत्य को छिपाना है अतएव विशेषाधिकार की अवहेलना हुई। और दूसरे किसी एक मित्र ने उस वक्त अपनी तकरीर में यह भी कहा था कि मैंने अखबारों को पहले सूचना दे दी और स्पीकर महोदय को गालिबन उसके बाद दी। बस यही दो दलीलें उसमें दी गई हैं।

(व्यवधान)

हां, तीसरा यह है कि बयान की कापी प्रेसीडेंट साहब के पास भेज दी गई। बस यही तीन दलीलें दी गई थीं। इस कारण सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना मेरे द्वारा हुई।

अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि जैसा मैंने उस रोज अर्ज किया था कि प्राइमाफेसी, बजाहिर कोई अवहेलना किसी अधिकार की नहीं हुई है और माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य और गालबन माननीय नवलकिशोर जी और एकाध और मित्रों ने इसका पूरा जवाब भी उस रोज दे दिया था। यह बयान देना या न देना मेरे अधिकार की बात है। यह मेरा राइट था। यह मेरा कोई कर्तव्य नहीं था। अब मैं अगर उस राइट को एक्सरसाइज न करूं तो किसी सज्जन को कोई शिकायत उस सिलसिले में नहीं हो सकती। उसके जवाब में यह कहा जा सकता है कि क्योंकि सदन का समय मुकर्रर करा लिया गया और फिर उस राइट को एक्सरसाइज न करें तो अवहेलना है। यह भी अवहेलना नहीं है। हम रोज देखते हैं कि सवाल एजेन्डे पर आते हैं। बिल छपते हैं, प्रस्ताव छपते हैं। उसमें जिस आदमी ने सवाल का नोटिस दिया और जिसने यह बिल पेश किया, उनको यह कहने का अधिकार है कि मैं यह सवाल पूछना नहीं चाहता हूं या बिल को पेश करना नहीं चाहता हूं या प्रस्ताव को उपस्थित नहीं करना चाहता। क्योंकि लिस्ट पर वह चीज आ गई है, वह मद लिस्ट पर आ गई है इसलिये उस अधिकार को उस वक्त एक्सरसाइज न करने के कारण आज तक कभी ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल नहीं उठा, और दरअसल में यह ब्रीच नहीं है क्योंकि यहां २१ तारीख को वह न आई थी और न लिस्ट के ऊपर वह चीज चढ़ी थी।

दूसरी बात यह है कि मैंने अखबारों में पहले खबर दे दी तो गालबन आपने उस रोज साफ कर दिया था। उस रोज आपको फोन पर नौ सवा नौ बजे जब मुझे मालूम हुआ, मैंने आप को सूचना दे दी थी और अखबारों को जो बयान दिया वह मैंने उसके बाद दिया था। इसलिये दूसरी दलील जो है वह भी सारहीन है।

तीसरी बात यह है कि मैंने कोई बयान कांग्रेस अध्यक्षा को भेज दिया इसलिये अवहेलना हुई है, यह बात भी सही नहीं है। अव्वल तो यह कि कोई अपनी बात, जिस आर्गनाइजेशन से मैं सम्बन्धित हूं, उसके किसी उच्च अधिकारी को भेज भी दी जाती है और कोई आपसी बात लिख भी मैं देता हूं तो उससे अवहेलना नहीं होती है और कोई सवाल इस बात का नहीं होता। यह वाक़या है कि मैंने उनको कुछ भेजा नहीं है और वास्तव में यह बात गलत है। इसलिये

कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता और न हाउस का अवमान हुआ है क्योंकि हाउस की जो प्रोसीडिंग है उसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई है। इसलिये अवमान भी नहीं हुआ है।

एक बात और कही गयी जिसको राजनारायण जी ने अपनी तकरीर में कहा था कि बड़ा पब्लिक इन्टरेस्ट था कि बयान देंगे और चरण सिंह को पब्लिक इन्टरेस्ट में यह उचित था कि बयान दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग यहां पर जो पब्लिक से दिलचस्पी रखते हैं बल्कि जो यहां पर माननीय सदस्य हैं और इस हाउस में काम करते हैं या नहीं करते हैं, वह सब पब्लिक इन्टरेस्ट में काम करते हैं और जो नहीं करते हैं वह भी पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं। तो पब्लिक इन्टरेस्ट की कोई डेफिनिशन नहीं है। मैं उचित समझता हूं, बयान नहीं देता। हाउस यह कह सकता है कि क्यों नहीं उचित समझते हो। यह मेरे ऊपर है। मैं किसी चीज को उचित समझता हूं या नहीं समझता हूं इसमें कोई एतराज मेरे ऊपर किसी मित्र को करने का अधिकार नहीं है। तब भी यह ठीक है कि मैं बयान देना चाहता था। फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। इस वजह से कुछ मित्रों को निराशा हुई। वह समझते थे कि उनकी मालूमात में कुछ इजाफा होगा। इस वजह से अगर किसी को कोई असुविधा हुई है तो उस पर मुझे खेद है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त और मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, अब आपको इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री राजनारारण—उस दिन तो पूरी बात भी नहीं कही थी, तो अगर आप दो, चार मिनट मुझे दें तो अच्छा होगा, क्योंकि चौधरी साहब को सुनने के बाद बहुत सी नयी बातें आयी हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। मैं अनुमति दूं या न दूं सिर्फ यही सवाल है और वह मेरे लिए डिस्क्रिशनरी है। मैंने इतना समय दे दिया। इतना काफी है।

मैं समझता हूं कि नियम २७५ स्पष्ट है जिसमें यह दिया हुआ है कि जो मंत्री त्याग पत्र दे वह अगर चाहे तो अपना वक्तव्य दे सकता है। तो जहां तक वक्तव्य देने या न देने का प्रश्न है यह उस मंत्री की इच्छा पर, जो त्याग पत्र देता है, छोड़ा हुआ है। वक्तव्य देना लाजमी नहीं है। उसके लिये वह बाध्य नहीं है, उसका कर्त्तव्य भी यह नहीं है कि वह इस तरह का वक्तव्य दे ही। दे ा चाहे तो दे सक ा है। इसलिये वक्तव्य न देने की वजह से कोई विशेषाधिकार की अवहेलना होती हो यह बात बिलकुल गलत है और मैं समझता हूं कि प्राइमाफेसी केस इस सम्बन्ध में उठ ही नहीं सकता।

जिस वजह से मैंने थोड़ी चर्चा करने की इजाजत दी वह यह थी कि वक्तव्य के लिये समय उन्होंने मांगा और उसके बाद यह थी एक तारीख मुझसे मुकर्रर करा ली और उसमें भी लम्बा समय मुझसे मांगा। तो इस कारण से कोई सदस्य यह कह सकता था कि वह व्यवहार विशेषाधिकार की अवहेलना जिस अर्थ में कही जाती है उसमें तो नहीं, लेकिन कंटेम्प्ट आफ दि हाउस की शकल में कहा जा सकता है। तो इस दृष्टिकोण से भी मैंने पूरी तरह से गौर किया और इस सम्बन्ध में मैंने एक दफा कह भी दिया था कि ऐसे किसी भी कार्य की बाबत सदन निश्चय कर सकता है कि उसका अवमान हुआ लेकिन उसमें जो व्यक्ति कोई काम करता है या किसी काम को करने से इंकार करता है, उसका उद्देश्य देखा जाता है। यह देखा ज ता है कि उसका इरादा काम करने या न करने में क्या था। क्या जानबूझ कर इस तरह की प्रतिष्ठा की परवाह न करने की दृष्टि से कार्य किया ा या, या अपमान करने की दृष्टि से किया गया। जानबूझ कर यदि उन्होंने सदन का समय ले कर वक्तव्य देने का समय बढ़ाया हो सदन को चकमा देने की गरज से, अगर ऐसा उनका कार्य होता तो कंटेम्प्ट का सवाल उठ सकता था, लेकिन जब उन्होंने

[श्री अध्यक्ष]

आज स्पष्ट कह दिया कि उनके वक्तव्य से सदस्यों को जो ज्यादा मालूमात होतीं वह न होने से कुछ माननीय सदस्यों को जो निराशा हुई या उनका थोड़ा सा समय खर्च हुआ और उन्हें बुरा लगा है, उसके लिये वह कहते हैं कि उन्हें खेद है इतना उनका कथन काफी था, उनका इरादा स्पष्ट करने के लिये कि उनका इरादा अवमान करने का नहीं था। इसलिये कंटेम्प्ट का सवाल इसमें उठता नहीं क्योंकि इरादतन या जानबूझकर सदन का समय नष्ट करने के लिये यह व्यवहार उन्होंने नहीं किया था। इसलिये न तो साधारण विशेषाधिकार के अर्थ में और न कंटेम्प्ट का या अवमान के अर्थ में जिसे विशेषाधिकार की अवहेलना का ही एक अंग समझा जाता है, उनके व्यवहार में उठता है और इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं कि प्रश्न उठाया जाय।

अब एक प्रश्न अखबारों में उनका कुछ बयान छापने के बारे में बचता है। मेरी राय स्पष्ट है इस विषय में कि कोई वक्तव्य जो कि कोई सदस्य देने वाला है चाहे वह कोई मंत्री ही हो यदि उस वक्तव्य को इस सदन में देने के पहले छपवा दे तो मैं समझता हूं कि सदन का अवमान होता है, लेकिन सदन के बाहर यह कहना कि मैं वक्तव्य नहीं दूंगा अध्यक्ष को इसकी इत्तला देने के पहले या अगर कोई पहले कहता है कि मैं वक्तव्य दूंगा और फिर कहता है कि नहीं दूंगा, यह दोनों बातें सदन के बाहर कभी भी कहने का पूर्ण अधिकार हर उस सदस्य को है। तो इसमें भी मैं विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं समझता यद्यपि वाकया यह है कि उन्होंने मुझे सूचना पहले दे दी थी और उसके बाद उन्होंने बाद में अखबारों से कहा कि वे वक्तव्य नहीं देंगे। रात को ही मुझे १९ तारीख को उन्होंने फोन द्वारा बता दिया था। उसके बाद उन्होंने अखबार में वक्तव्य दिया, लेकिन अगर वह मुझे सूचित करने के पहले दे भी देते अखबारों को यह खबर कि वे वक्तव्य नहीं देने वाले हैं तो भी उससे कोई सदन का अवमान नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही तो कहा कि वे वक्तव्य नहीं देंगे उस वक्तव्य को जो वे सदन में देने वाले थे, उसे तो अखबारों को उन्होंने नहीं दिया, इसलिये इस दृष्टि से भी मैं समझता हूं कि कोई सदन का अवमान नहीं हुआ।

नियम ४५ के अन्तर्गत श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा श्री चरणसिंह से प्रश्न पूछने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--दो और प्रश्न हैं। एक श्री राम स्वरूप जी वर्मा का है। उन्होंने कुछ प्रश्न श्री चरण सिंह जी से पूछे हैं, तो मैं इन प्रश्नों के लिये इजाजत नहीं देता हूं कि वह प्रश्न मंत्री जी से पूछे जा सकते हैं, जिन्होंने कि त्यागपत्र दिया, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछना नियम के अनुसार नहीं हैं। सदन के नियम में तो यह दिया हुआ है कि अगर कोई बिल इत्यादि कोई व्यक्ति यहां पर पेश करना चाहता है या कोई अन्य बात करना चाहता है तो उस सम्बन्ध में अगर प्रश्न पूछना चाहे उक्त सदस्य से तो कुछ प्रश्न उससे पूछे जा सकते हैं उस नियम का उपयोग इस वक्तव्य के सम्बन्ध में माननीय राम स्वरूप वर्मा करना चाहते हैं। यह अनियमित है, इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं।

नियम १०६ के अन्तर्गत प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--गौरीशंकर राय जी को मैंने कहा था कि जब यह प्रश्न समाप्त हो जाय विशेषाधिकार का तो वह बतायें कि वह किस तरह से नियम १०६ में इस प्रश्न को ला सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव इस आदरणीय सदन के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं कि भूतपूर्व माल मंत्री . . .

श्री अध्यक्ष--मैंने इजाजत आपको दी नहीं है अभी। मैंने आपसे सिर्फ यह पूछा है कि आप नियम १०६ के हिसाब से इस प्रश्न को कैसे सदन में ला सकते हैं? नहीं तो मैं आपको प्रस्ताव लाने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, धारा १०६ के अन्तर्गत हमको अधिकार है। इसमें है, "संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़ कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक-हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।" तो इसमें जो उपबन्ध लागू हैं, उन सारे उपबन्धों को आप, देखें तो स्पष्ट है कि इन सभी नियमों के अन्तर्गत यह प्रश्न आ सकता है। पहला है, "उसमें सारवान् रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायगा।" तो एक ही उठाया है कि उनके कांडक्ट पर सदन को खेद है, स्पेसिफिक प्रश्न है दूसरा यह है। "उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे।" कहीं भी मेरे प्रस्ताव में ऐसा स्थान नहीं है जिसमें कोई व्यंग हो या आक्षेप हो। तीसरा है "उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा"। मैंने निर्दिष्ट किया है कि भूतपूर्व मंत्री और सदस्य की हैसियत में जो उनके कार्य हैं, सदन में उनकी चर्चा हो। "उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायगा," तो इसमें कहीं विशेषाधिकार की चर्चा नहीं है। "उसमें ऐसे विषय पर फिर से चर्चा नहीं उठायी जायगी जिस पर उसी सत्र में अथवा पिछले ६ मास के भीतर, जो भी समय पहले पड़ता हो, चर्चा हो चुकी हो," तो अध्यक्ष महोदय, इस मामले को बहुत कम दिन हुये और जो चर्चा उठायी गयी थी वह भी नहीं उठ पायी। "उसमें ऐसे विषय की पूर्वाशा नहीं की जायगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की संभावना हो" और सातवां है, "वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यालयालय के न्यायनिर्णयन के अन्तर्गत हो" तो कहीं इस विषय से सम्बन्ध इसका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप मानते हैं कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस जो है, जोकि हाउस आफ कामंस के नियम हैं वह आपके नियम हैं और उनके यूसेजेज और प्रैक्टिस आपकी हैं। इसमें बड़ा स्पष्ट है, जोकि सिक्सटींथ एडीशन के ४०० सफे पर है,

"*Rules Governing subject-matter of Motions.*

Matters to be dealt with by a substantive motion.

Certain matters cannot be debated, save upon a substantive motion which admits of a distinct vote of the House. Among these may be mentioned the conduct of the sovereign, the heir to the throne, the Governor General of the Dominions (d), the Lord Chancellor (e), the Speaker (f), the Chairman of Ways and Means(g), members of the either house of Parliament and judges of the superior courts of the United Kingdom, including persons holding the position of a judge, such as a judge in a court of bankruptcy and of a county court, or a recorder (h)."

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन को पूर्ण अधिकार है कि इस आदरणीय सदन के किसी माननीय सदस्य के ही नहीं बल्कि आपके कन्डक्ट के सम्बन्ध में भी वह डिस्कशन कर सके। इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं कि इस पर डिस्कशन . . . .

श्री अध्यक्ष—आप यह तो बताइये कि कैसे आता है।

श्री गौरीशंकर राय—सब्स्टैंटिव मोशन में आता है। जिसके अन्तर्गत मैं डिस्कस करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कुछ शब्दों में बताना चाहता हूं, ३० तारीख को माल मंत्री श्री चरण सिंह जी ने इस्तीफा दिया था, उसका जिक्र अखबार में उनके बयान के रूप में इन्वर्टेड कामाज में छपा है.....

श्री अध्यक्ष—मैं उसके पढ़ने की इजाजत आपको नहीं दूंगा। आप सिर्फ यह बताइये कि इस पर बहस करने के अधिकार को मेंज पालियामेंटरी प्रैक्टिस के जरिये आप यह कैसे साबित कर सकते हैं जब कि हमारे नियम में यह है "उसमें यक्तियों के पटेन या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा।" आप को सिद्ध करना होगा कि सार्वजनिक हैसियत से जो उन्होंने काम किया वह एक मेम्बर को नहीं करना चाहिये।

[श्री अध्यक्ष]

यदि आप इसे कन्टेम्प्ट कहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि सदन में या उसके बाहर उनको क्या नहीं करना चाहिये था और क्या उनका कर्त्तव्य था करने का जो उन्होंने नहीं किया मेम्बर की हैसियत से। जब तक इस बात को स्पष्ट आप नहीं बताते हैं तबतक मैं आपको किसी मोशन के लाने की इजाजत नहीं दे सकता। इसलिये आप पहले यह बतायें।

श्री गौरीशंकरराय—उसके सब्सीट्यूट में मैं उन्हीं का बयान पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—पहले आप नतीजा निकालें, बयान का सवाल नहीं है।

श्री गौरीशंकरराय—जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा कि सरकार के विरूद्ध एफीशिएन्सी, इन्टेगरिटी, पार्शलटी, इस प्रकार के चार्जेज हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सन् १९५७ में उन्होंने जो इस्तीफा दिया था वह भी इन्ही कारणों पर दिया था और उस पर मुख्य मंत्री जी ने उनसे कहा कि यह कारण दूर हो जायंगे।

श्री अध्यक्ष—आप उनके बयान को चैलेन्ज करके कन्टेम्प्ट का सवाल लाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनके बयान न देने के बारे में आपने हमारे सामने प्रस्ताव रखा है, उसके संबंध में आप कहें।

श्री गौरीशंकरराय—एक सदस्य होने के नाते जो उनका कर्तव्य था वह मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने अपना इस्तीफा देते समय सार्वजनिक महत्व, विधान सभा, उत्तर प्रदेश की सरकार और जनता से संबंध रखने वाले सार्वजनिक कार्यों के संबंध में बताया कि सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता और पक्षपात के चार्जेज हैं और उन्होंने यह भी कहा कि अगले दिन जब मैं सदन.....,

श्री अध्यक्ष—आप अपनी बात रिपीट क्यों करते हैं।

श्री गौरीशंकरराय—मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने बयान न देकर, जो सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार और दूसरे चार्जेज पर प्रकाश डाला था, जो सरकार के दोष थे उनको छिपाया है। इसलिये सदन के सामने सदस्य की हैसियत से या मंत्री की हैसियत से जो उनके द्वारा चर्चा होनी चाहिये थी उसके विपरीत उन्होंने कार्य किया है। इस आदरणीय सदन को उसी जानकारी से अवगत होना चाहिये था जोकि सार्वजनिक महत्व रखती है। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, उनका स्टेटमेन्ट होता तो उसपर मुख्य मंत्री या दूसरे मंत्री भी अपना बयान दिये होते और उस समय सारी सार्वजनिक बातों का स्पष्टीकरण होता।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं इतना अर्ज करूंगा कि इस सदन को यह अधिकार है कि किसी माननीय सदस्य के कान्डक्ट के संबंध में बिचार करे और अपनी राय दे। मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस (१६वीं एडीशन) के पृष्ठ ४०० पर बिलकुल साफ लिखा है। सिर्फ सवाल इतना है कि भूतपूर्व मंत्री जी ने जब इस्तीफा दिया तब यह एलान किया कि इस्तीफा देने के उनके कुछ कारण हैं और वह कारण ऐसे हैं कि जिनसे इस प्रदेश की जनता और इस प्रदेश के राज्य का सुधार हो सकता है। उन्होंने कोशिश की सुधारने की लेकिन नहीं कर पाये, इस कारण स्तीफा दे दिया। यह बात उन्होंने बहुत साफ साफ कही। इसका संबंध पूरे साढ़े ६ करोड़ आदमियों से हो सकता है और यह हमें नहीं भूलना चाहिये कि वह इस आदरणीय सदन के एक माननीय सदस्य हैं। जब उनके इल्म में ऐसी बातें हैं जिनके करने से और उनकी राय के जानने से इस प्रदेश की जनता और सरकार का हित होगा तो उन बातों के छिपाने के कारण उनके कान्डक्ट पर उसको इस सदन को पूरे तौर पर अधिकार है कि विचार करे। बलिया जिले के माननीय सदस्य ने, जिन्होंने मान्यवर की सेवा में प्रस्ताव भेजा है, उस प्रस्ताव में, मैं यह

स्वीकार करता हूं कि इस बात को बहुत नुमायां और साफ तौर पर नहीं कहा गया है लेकिन मैं मान्यवर की सेवा में, बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा, और जैसा कि आप स्वयं करते आये हैं और सारे संसार के अध्यक्ष सारी पार्लियामेंट्स में यह करते आये हैं कि किसी टैक्नीकल एरर की वजह से, यदि भाषा ठीक नहीं है तो भाव को लेकर ही आप माननीय चरणसिंह के कान्डक्ट के बारे में उनके मंत्रिपद से स्तीफा देने के कारण व्यक्त करने पर, बल्कि उन्हें छिपाया है उससे सार्वजनिक जीवन पर, जनता पर और इस राज्य पर जो असर पड़ा है, इसलिए उनके चरित्र पर विचार करने की आप आज्ञा प्रदान करें।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—मान्यवर, गौरीशंकर राय जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके संबंध में मेरा ऐसा विश्वास है कि उन्होंने रूल १०८ को अपनी दृष्टि में नहीं रखा है। उसके सब-रूल ३, ४ और ५ इस प्रकार हैं—

"(iii) it shall not refer to the conduct or character of persons except in their public capacity :

(vi) it shall not raise a question of privilege ;

(v) it shall not revive discussion of a matter which has been discussed in the same session or within the last six months, whichever is earlier;"

मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि यह विषय अभी अभी सदन के सामने था और उसके संबंध में एक निर्णय श्रीमन् ने अभी दिया है अतः उप नियम ५ के अन्तर्गत वह आता नहीं है। जहां तक उपनियम ३ का संबंध है चौधरी चरणसिंह जी ने जो किया है वह पब्लिक कैपेसिटी में भी नहीं आ सकता। उन्होंने भूतपूर्व मंत्री की हैसियत से यह इच्छा व्यक्त की थी कि मैं एक बयान देना चाहूंगा, उस पर श्रीमन्, ने कुछ समय भी निर्धारित किया था। उन्होंने उस अपने अधिकार को काम में नहीं लिया और बाद में बयान देने से इंकार कर दिया। अपने अधिकार को काम में न लेना किसी भी अवमान का प्रश्न नहीं बन सकता। उससे किसी भी प्रकार से पब्लिक कंडक्ट ऐसा नहीं होता कि जिससे निन्दा का प्रश्न बन सके। आपके निर्णय के अनुसार भी उनको ऐसा करने का अधिकार और उसके ऊपर कभी भी किसी सदन के सामने किसी निन्दा या और किसी प्रकार से करेक्टर के विषय में सदन में बिचार नहीं हो सकता। इसलिये इस प्रकार का प्रश्न उपनियम ३ और ५ तथा धारा २७५ के अन्तर्गत नहीं उठ सकता तथा मौलिक रूप से यह निन्दा का प्रस्ताव गलत है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मेरा अपना विचार यह है कि सेक्शन १०८ जिसका जिक्र माननीय गौरीशंकर राय ने किया उसमें यह बात नहीं आती है। यदि मुझे आप आज्ञा दें तो मैं यह कहूंगा कि एक प्रकार से जिस विषय पर आपकी स्पष्ट रूप से एक रूलिंग हुई है उसी चीज को फिर घुमा फिरा कर इस हाउस में उठाया जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि चौधरी चरणसिंह जी ने अपना इस्तीफा दिया उन्होंने अपनी यह इच्छा अखबारों में प्रकट की, कि जब हाउस बैठेगा उस समय जिन कारणों से स्तीफा दिया है, उन पर बयान देना चाहूंगा। यह भी उनको हक था कि वे इस तरह का कोई बयान अखबार को देते या न देते। तो केवल उन्होंने उस इच्छा को प्रकट कर दिया और उस इच्छा के प्रकट करने के बाद उन्होंने स्वयं भी अखबारों में ऐसा कह दिया और आज उनका बयान भी हो गया कि यह उनके अधिकार की बात थी पर उस अधिकार का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। वे तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ गये और उन्होंने कहा कि अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो मैं अपना खेद प्रकट करता हूं इतना होने के बाद मैं नहीं समझता कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ गयी।

[श्री नवलकिशोर]

एक बात और कही गयी कि उन्होंने पब्लिक केपेसिटी में बात कही। तो जैसा अभी आचार्य जी ने कहा, मैं नहीं समझता कि बहैसियत एक मेम्बर के उनकी तब जो पब्लिक कैपेसिटी थी वह इसलिए थी क्योंकि भूतपूर्व मंत्री की बात थी उस पर नियम २७५ के अन्तर्गत आपने फैसला दे दिया। तो मैं नहीं समझता कि बहैसियत एक साधारण व्यक्ति के, एक साधारण मेम्बर के उनके ऊपर इस तरह की कोई बात आयद होती है। यह कहना कि किसी दबाव से उन्होंने कुछ किया, इसके अन्दर कोई तत्त्व नहीं है।

†श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक विशेषाधिकार की अवहेलना का संबंध है, आप उस पर पहले निर्णय दे चुके हैं और उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन आज जो प्रश्न माननीय गौरीशंकर राय जी ने उठाया है पब्लिक कंडक्ट के बारे में उस संबंध में मेरा निवेदन है कि चौधरी चरणसिंह ने जो कुछ किया वह पब्लिक कैपेसिटी में किया। उनका कोई भी काम जिस पर यहां चर्चा हुई है प्राइवेट कैपेसिटी में नहीं हुआ वे न केवल भूतपूर्व मंत्री रहे बल्कि इस आदरणीय सदन के सदस्य भी हैं। तो वह पब्लिक ही है, वह प्राइवेट नहीं है, उनके घर का काम नहीं है और जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि ९८ आदमियों ने जो वक्तव्य दिया उसमें उनका हस्ताक्षर है, वह एक पब्लिक कंडक्ट था और ९८ आदमियों के बयान में काफी आक्षेप किया गया है यहां के मंत्रिमंडल पर और सरकार पर, वह भी पब्लिक कंडक्ट था। उसके बाद यह सवाल आता है कि अपने त्याग पत्र के संबंध में वे एक बयान देना चाहते थे तो उससे निश्चय ही एक निष्कर्ष निकलता है कि जो ९८ आदमियों ने बयान दिया है उन आक्षेपों के संबंध में ही वे बयान देना चाहते थे कि इन्हीं कारणों से मैंने भी त्याग पत्र दिया है लेकिन अब उन्होंने बयान देने से इन्कार कर दिया है। यह भी पब्लिक कंडक्ट है। ये दोनों पब्लिक कंडक्ट हैं, तो आप समझ लें कि यह उचित है या नहीं है, इस पर सदन विचार कर लें। और मेरा तो ऐसा विचार है कि सदन को पब्लिक कंडक्ट पर विचार करने का पूरा अधिकार है। यही मेरा निवेदन है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष—मैं अब इस पर बोलने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—जरा मुझे सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आप बैठें।

श्री राजनारायण—बड़े दुख की बात तो यह है कि जो बात मैं जानता हूं उसको भी नहीं कह पा रहा हूं। मेरे तर्क को भी थोड़ा सुन लिया जाय जो कि और लोग नहीं समझ पाये हैं।

श्री अध्यक्ष—अच्छा आप कहें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं बहुत आभारी हूं अपने मित्र श्री गौरीशंकर राय जी का कि उन्होंने नियम १०६ के अन्दर इस प्रश्न को प्रस्तुत कर दिया था। सही में यह प्रश्न आज ही प्रस्तुत हो सकता था। यदि यह विशेषाधिकार का प्रश्न बन गया होता तो यह नियम १०६ में न आता। अगर इसको देखा जाय तो इसमें स्पष्ट लिखा है। नियम १०६ में लोकहित के किसी विषय पर प्रस्ताव द्वारा चर्चा करने की जो बात की गयी है उसकी शर्तें नियम १०८ में दी गयी हैं। उसके (४) में यह लिखा है "उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा?" अगर ऐसे विषय पर जिस पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, तब तो वह नियम १०६ में नहीं आयेगा। कोई विशेषाधिकार

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का प्रश्न उस पर नहीं उठाया जा सकता है जैसा कि आपने अभी अपनी आज्ञा प्रदान की और वह विषय ऐसे महत्त्व का बन गया १०६ के अन्दर लिए जाने लायक अभ: माननीय नवल-किशोर जी और हमारे लायक दोस्त आचार्य लक्ष्मी रमण आचार्य जी जो मथुरा से आते है, मैं बहुत आदर के साथ उनसे कहता हूं कि जरा वह इस बात को देखें कि जो उन्होंने आगे बढ़कर ६ मास की अवधि की बात कही वह यहां पर लागू नहीं होती। एक ही विषय था कि आप के सामने विशेषाधिकार का प्रश्न रखा गया और आप की आज्ञा हुई कि वह नहीं उठाया जा सकता, तभी अब यह प्रश्न आता है। अब आप अर्थ की विडम्बना को देखें जो प्रकृति की विडम्बना में परिणत हो रही है, उसको देखा जाय, पृष्ठ ७५ पर २७५ धारा है "किसी सदस्य को जिन्होंने मंत्रिपद का त्याग किया हो, अध्यक्ष की सम्मति से अपने त्याग पत्र के स्पष्टीकरण में एक व्यक्तिगत वक्तव्य देने का अधिकार होगा।" यानी त्याग पत्र के स्पष्टीकरण के लिये बयान होगा तो चौधरी साहब ने स्तीफा दिया वह किसी अपनी बीमारी के कारण नहीं, किसी स्वास्थ्य रोग से नहीं बल्कि उन्होंने जनहित में त्याग-पत्र दिया और अब वह जो वक्तव्य नहीं दे रहे हैं उसके कारण में भी उन्होंने यही कहा कि जनहित में वक्तव्य नहीं देंगे।

अब उनको वक्तव्य क्या देना था? जनहित की दृष्टि से जिन कारणों से वशीभूत होकर उन्होंने स्तीफा दिया उन्हीं का वह एक स्पष्टीकरण मात्र होता अगर वह कोई दूसरी बात कहते तो आप इजाजत नहीं देते क्योंकि नियम में लिखा है कि त्याग पत्र के कारण का स्पष्टीकरण उसमें होगा लेकिन अगर स्पष्टीकरण न करना जनहित है तो फिर त्याग पत्र देना क्या हुआ? देखी जाय अर्थ की विडम्बना। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि एक बार त्याग पत्र दिया जाता है जनहित की दृष्टि से और उसके कारणों को भी जनहित की दृष्टि से नहीं बताया जाता। तो यह चौधरी साहब का व्यक्तिगत चरित्र नहीं हुआ बल्कि उनका पबलिक चरित्र हुआ यह उनका सार्वजनिक आचरण हुआ। एक मिनट और लूंगा श्रीमन्, कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा .... देखा जाय कि नियम ४५ में यह कहीं नहीं लिखा है कि किसी विधेयक या संकल्प तक ही यह बात सीमित रहेगी, उसमें लिखा है कि सदन की कार्यवाही और अन्य विषयों से संबंधित हो जो विशेषाधिकार का प्रश्न था उसको आप अस्वीकार कर चुके हैं परन्तु इतना तो आप अधिकार देंगे ही क्योंकि संसदीय परम्परा में यह बात आती है कि आप के प्रति पूर्ण आदर रखते हुए हम अपनी असहमति प्रकट कर सकते हैं....

श्री अध्यक्ष—ऐसी बात आप बाद में मेरे कमरे में कीजिये।

वित्त मंत्री (श्री सैयद अलीजहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं बराबर बड़े गौर से जो बहसें उधर से हो रही थीं उनको सुन रहा था और मुझे यह मालूम होता है कि जो बहस की जा रही है वह असल में घुमा फिराकर वही बहस है जो अभी अहेलना के सम्बन्ध में की गई थी, सिर्फ फर्क इतना है कि अब वह उसको दफा १०६ और १०८ के द्वारा लाना चाहते हैं। १०६ और १०८ को अगर आप देखें तो और तो कोई चीज इसमें काबिले गौर नहीं है सिर्फ यह है १०८ (३) में कि :—

"it shall not refer to the conduct or character or persons except in their public capacity;"

इसके माने यह लगाए जा रहे है कि अगर किसी शख्स का कंडक्ट कोई पब्लिक कैपेसिटी में हो तो उसके लिये मोशन आ सकता है। यह सारी बहस है। लेकिन जब आप गौर करेंगे तो वह सिर्फ इतनी सी है कि जो बयान उनको २७५ के मातहत देना चाहिए था वह उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ बहस यह है कि एक वक्त स्तीफा दिया तो कुछ कहा और उसके बाद जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने बयान नहीं दिया। तो मैं उनके लिये अर्ज करूंगा कि अगर आप २७५ देखेंगे तो उसमें है कि स्टेटमेन्ट देने का राइट है मिनिस्टर का, जैसा कि अभी चरणसिंह जी ने बताया और आपने मंजूर किया कि वह उनका

[श्री सैयद अली जहीर]

एब्सोल्यूट राइट है, कोई ड्यूटी नहीं है कि कोई बयान जरूर देंगे । तो यह उनका राइट था जिसे उन्होंने एक्सरसाइज किया । ऐसे हक का उन्होंने इस्तेमाल किया जो कि नियम में था वही चीज नियम १०८ में मिसकंडक्ट हो गई क्या, यह सवाल सामने है । जिस चीज के लिये आपने कहा कि ब्रेच आफ प्रिविलेज नहीं हुआ लेकिन वही एक उनसे मिसकंडक्ट हुआ जिसका कि उनको आलरेडी राइट था और जिसको उन्होंने एक्सरसाइज किया । श्रीमन्, दफा १०९ अगर आप देखें तो उसमें बिल्कुल क्लियर है कि:—

"The Speaker shall decide whether a motion or a part thereof is or is not admissible under these rules and may disallow any motion or a part thereof when in his opinion it is an abuse of the right of moving a motion or calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules."

मैं यह निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि दिस इज एन एब्यूज आफ दि राइट आफ मूविंग ए मोशन । एक मैटर को एक फार्म में लाए और उसी को इस फार्म में लाए कि बयान क्यों नहीं दिया । तो जिस चीज के लिये एक सेपरेट रूल बना हुआ है उसका कंट्रावेन्शन है कि वह राइट उनसे ले लिया जाय जो कि उस रूल में दिया है और उनको फोर्स किया जाय । इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जो बहस की गई है उसमें कोई ज्यादा फोर्स नहीं है ।

श्री गेंदासिंह—(जिला देवरिया)—मैं एक मिनट लेना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैं इस तरह की बहस नहीं चाहूंगा क्योंकि मुझे निश्चय करना है और मैं जिनकी राय लेना चाहूंगा उनसे राय लूंगा ।

श्री गेंदासिंह—लेकिन मैं तो समझता हूं कि आपको निर्णय करने में हमारी बात भी सुननी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—आप त्रिलोकीसिंह जी को बता दें, वह आपकी बात बता देंगे ।

श्री त्रिलोकीसिंह—अध्यक्ष महोदय केवल इतना अर्ज करना है कि मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं कि इस वैज्ञानिक प्रश्न पर दोबारा समय ले रहा हूं आपकी इजाजत से—माननीय चरणसिंह जी ने इस्तीफा दिया मंत्री के पद से । पब्लिक रीजन्स से, प्राइवेट रीजन्स से नहीं । इस बात को उन्होंने व्यक्त कर दिया था । इस इजहार का आज तक खंडन नहीं किया गया । जब यह बात है कि वह सार्वजनिक कारणों से अलग हुए तब बहैसियत इस आदरणीय सदन के एक माननीय सदस्य के यह उनका कर्तव्य हो जाता है कि उन कारणों को व्यक्त करें । यह मैं मानता हूं कि वह इन कारणों को यहां व्यक्त कर सकते थे, लेकिन इस सदन का कोई नियम ऐसा नहीं है कि उन कारणों को यदि वे सदन के बाहर व्यक्त करना चाहते तो मुमानियत होती । पहले था कि यहां वक्तव्य देंगे । मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस्तीफा का कारण देने के सार्वजनिक हैं, इसलिए यह पब्लिक कंडक्ट में है । वह यहां न देकर बाहर भी देते तो कोई शिकायत का मौका न होता ।

श्री अध्यक्ष—मैंने सब बात सुन ली । इसमें नियम यह है कि लोक-हित के किसी विषय पर प्रस्ताव द्वारा चर्चा । नियम १०६ में यह है :—

"१०६—लोक-हित के किसी विषय पर प्रस्ताव द्वारा चर्चा—

संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़ कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक-हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी ।"

लोक-हित का विषय होना चाहिये। पहली बात तो आवश्यक यह है कि क्या यह लोक-हित की चीज है? मैं पहले इसको कसौटी पर कसना चाहता हूं। इस आदरणीय सदन में जो बहसें और प्रस्ताव होते हैं उनसे लोक-हित हो सकता है क्या। यदि एक सदस्य यह जानता है कि कोई घटना खराबी की हुई है और वह व्यक्ति सदन के बाहर यह प्रकाशित कर देता है कि अमुक घटना बुराई की हो गई है, परन्तु यदि वह सदन में आकर नहीं कहता यद्यपि वह पब्लिक हित की बात है तो क्या सदन उसके ऊपर एक प्रस्ताव ला करके, उसका सदन में वह बात न बताना जो बाहर कह चुका है इसलिये उसके कंडक्ट को जो कि पब्लिक कंडक्ट है उस पब्लिक कंडक्ट पर क्या सदन असंतोष प्रकट करने का प्रस्ताव ला सकता है या नहीं? अगर इस तरह से प्रस्ताव आने लगे तो यह हो सकता है जिन-जिन सदस्यों ने कोई बात सदन में नहीं कही या कहने से इन्कार कर दिया उस पर यदि अन्य सदस्य यह समझता है कि उसका कर्तव्य था अमुक बात कहना तो मैं समझता हूं बहस इन्हीं वार्ता पर रोजाना हुआ करेगी। सदन का काम तो बिलकुल ही रुक जायगा। इसलिये इन बातों में जनहित की बात होने की कसौटी यह है कि जो बोध कर्त्तव्य समझी जाती है किसी सदस्य के करने की यदि उस काम को उसने नहीं किया और जनहित का प्रश्न उसमें होता है तो उस चीज के बारे में बहस की इजाजत देनी चाहिये। यदि ऐसी स्थिति न हो तो दफा १०९ में यह दिया हुआ है कि अध्यक्ष यह देखेंगे कि कहीं प्रक्रिया नियमावली के नियम का फायदा उठा कर बेकार प्रस्ताव रखकर इस सदन का कार्य ही कहीं सब ठप न कर दिया जाय यदि ऐसी प्रथा चल जाय तो उसके परिणाम स्वरूप कोई सदस्य अपने को सुरक्षित नहीं पावेगा। इस कारण इस तरह के प्रस्तावों को मैं समझता हूं कि उससे बहुत खतरा है। तो पहली तो बात यह है कि कर्तव्य होना चाहिये किसी सदस्य का कोई बात करना और जब कहीं वह कर्तव्य न करे तो उसके लिये आप कह सकते हैं कि इसके बर्ताव को प्रस्ताव द्वारा हम बैनेंत करते हैं। इस विषय पर मैंने पहले ही कह दिया था कि मंत्री जी का यह कर्तव्य नहीं है कि वह इस्तीफा देने पर सदन में अपना वक्तव्य जरूर ही दें। पहले उन्होंने विचार किया कि यहां देना चाहिये बाद में सोचा कि नहीं देना चाहिये क्योंकि जनहित में नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अपना मत परिवर्तित करने का अधिकार न देना किसी व्यक्ति को इसमें तो अत्याचार हो जायगा उस व्यक्ति के प्रति। इन कारणों से मैं यह समझता हूं कि १०६ नियम के अन्तर्गत उस पर बहस नहीं हो सकती। अगर उसका कर्तव्य था यह मान लिया जाय तो अवश्य उसके ऊपर मैं समझता हूं बहस हो सकती थी। कर्तव्य जब तक नहीं माना जाय तब तक बहस नहीं हो सकती। इसलिये मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं कि इस प्रस्ताव को उपस्थित किया जाय।

श्री गौरीशंकरराय—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने जैसा बताया ठीक है। लेकिन व्यवस्था में यह चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा कार्य मंत्री की हैसियत से हो जाय जिससे सारे प्रदेश के बनने बिगड़ने का सवाल हो, इतने बड़े महत्व का सवाल हो इतने बड़े महत्व का सवाल है जिस पर सारे प्रदेश का . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप स्वयं बहुत कुछ कर सकते हैं, आपकी शक्ति में मुझे विश्वास है, खाली मंत्री जी की शक्ति को नहीं मानता हूं जो वक्तव्य न देकर आपकी शक्ति को हरण कर ले। क्या आप नहीं कह सकते जो मंत्री जी कह सकते थे। आप तो हमेशा कह सकते हैं। मैं इसे नहीं मानता कि उनके न कहने से आपके काम में कोई रुकावट हुई।

श्री गौरीशंकरराय—आपने सुना नहीं और व्यवस्था दे दी।

श्री अध्यक्ष—आप कहते हैं मंत्री.....

श्री गौरीशंकरराय—मैं मंत्री नहीं कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि सरकार के भीतर जो भ्रष्टाचार और पक्षपात था उसकी जानकारी मंत्री जी को थी और सन् ५७ में उन्होंने ऐसा किया था। आप अपनी व्यवस्था दें कि इस प्रकार के सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर जिसमें सरकार के विरुद्ध इतने बड़े-बड़े चार्जेज हों उनको छिपाया जाय तो यह मिसकंडक्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम सदस्य सदन के अन्दर हैं। जो सरकार के काम में गड़बड़ी हो उससे देश और प्रदेश का अनहित होगा। अगर वह सब हमको मालूम हो तो हम सदन में उसकी घोषणा कर दें कि सरकार के फलां फलां काम गलत हैं। तो क्या फिर उस सदस्य का यह कर्तव्य नहीं होगा कि वह सदन में अपनी बात कह दे और अगर सदन में वह सदस्य वह बात नहीं कहता तो क्या उस सदस्य का कंडक्ट सेंसरेबिल नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। आपको पूरा स्वातंत्र्य है कहने का और न कहने का। उस स्वातंत्र्य को मैं समाप्त नहीं कर सकता। यह स्वातंत्र्य संविधान में दिया हुआ है। अगर किसी को इस तरह से मैं बाध्य करने लगूं तो उस स्वातंत्र्य का हरण होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—मैं इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं किसी भी सदस्य के कहने से सरकार पर कुछ लांछन हो और सरकार को यह मौका न हो कि वह अपने लांछन को धो सके।

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त।

कुंवर श्रीपालसिंह—उन्होंने अपने वक्तव्य देने की बात कही। उस वक्तव्य से जब सूबे भर में और तमाम माननीय सदस्यों के हृदय में यह एक भावना पैदा हुई कि वास्तव में हमारी सरकार करप्ट है अगर वे वक्तव्य दे दिये होते तो सरकार को अपने ऊपर लगे हुए लांछन को धोने का मौका मिलता . . . .

श्री अध्यक्ष—यह आपका कोई प्रस्ताव नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह—इसलिये जो जनहित की बात कही जा रही है किसी भी सरकार . . . . .

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठें। मैं इजाजत नहीं देता। यह आपका कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री राजनारायण—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मनुष्य के जनहित के कर्म व वाणी में विभेद हो तो यह जनहित का प्रश्न बनता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। कमरे में आकर आप दो घंटे बहस कर लें।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं और आपकी व्यवस्था चाहता हूं। उसमें यह है कि . . . .

श्री अध्यक्ष—पहले मुझे कामरोको प्रस्ताव निबटा लेने दीजिये।

चीन द्वारा उत्तर प्रदेश की सीमा पर अधिकार करने तथा सेनापतियों द्वारा त्यागपत्र देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री मलिखानसिंह जी का है। वह चीन द्वारा उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा पर अधिकार करने के सम्बन्ध में है और केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है। उन्होंने जो अखबार में पढ़ा किसी सेनापति ने इस्तीफा दे दिया उसका जिक्र किया है इसमें इत्यादि-इत्यादि। वह इस सरकार से सम्बन्धित नहीं है। मैं उसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

मुजहना, जिला देवरिया में श्री पूजन की मां के भूख से मरने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री उग्रसेन का है। "देवरिया जिलान्तर्गत ग्राम मुजहना लाला थाना देवरिया कोतवाली में श्री पूजन हरिजन की मां भूख से तड़प तड़प कर मर गई। दिनांक १२-९-५९ को उसकी दयनीय स्थिति का समाचार पाने पर माननीय राजस्व मंत्री जी को सूचना दी गई, फिर भी इस बीच कोई सहायता नहीं दी गई। इस प्रकार समूचे जनपद में अकाल की स्थिति है। भुखमरी व्यापक पैमाने पर होने की आशंका है और एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई है।

अतः उक्त विषय पर विचार करने के लिये सदन आज की कार्यवाही स्थगित करता है। मैं राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनको कोई सूचना ऐसी दी गयी है।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—एक खत हमारे दोस्त ने लिखा था। उसके बारे में जिलाधीश से मैंने रिपोर्ट मांगी है और उनको रिमाइन्डर भी भेजा है कि इसके वाक्यात क्या हैं। इतनी सूचना है और कोई नहीं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह सूचना आने पर आप सदन को दे देंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जब मेरे पास सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री श्री रामेश्वर लाल जी द्वारा सूचना आयी कि पूजन हरिजन की मां की हालत बहुत दयनीय है तो मैंने तुरन्त मंत्री जी को लिखा कि उसकी जांच करा ली जाय और उसको कुछ सहायता दी जाय और अब तार आया कि वह मर गयी . . . . .

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठें। मैं इसको दूसरे रोज लूंगा। माल मंत्री जी जब सूचना आपके पास आ जाय तो कृपा कर सदन को दे दें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, सूचना किसकी मांगेंगे, उसके मरने की या माननीय उग्रसेन ने जो १२ दिन पहले सूचना दी थी कि खाद्य सामग्री नहीं रह गयी है, उसकी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—घबराइये नहीं, कोई कसर बाकी नहीं रहेगी।

बाराबंकी जिले में घाघरा की भयंकर बाढ़ के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब एक काम रोको प्रस्ताव है श्री जंगबहादुर वर्मा का कि "घाघरा नदी के तट पर स्थित ग्राम सरदहा, परगना बदो सर य, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी में घाघरा के बाढ़ के कारण सख्त खतरा पैदा हो चुका है । कई घर कट कर गिर चुके हैं और पूरे गांव के कट जाने की सम्भावना है । बाढ़ पीड़ितों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है । समस्त ग्रामीण लोग बाहर पेड़ों के नीचे जानवरों की तरह रह रहे हैं ।"

इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को क्या कहना है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--मुझे इत्तला मंगानी पड़ेगी, सरदहा गांव का बतलाया है उन्होंने ।

श्री अध्यक्ष--तो इत्तला आने पर आप सदन को सूचना देंगे ।

नन्दगांव (मथुरा) में पुलिस द्वारा गोली चलाने के फलस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने जो प्रश्न उठाया है उसको मैं स्वीकार करता हूं :

"गत २८ अगस्त को नन्दगांव (मथुरा) में पुलिस ने अकारण जनता पर गोली चलाई जब लोग एक दंगल देखने में व्यस्त थे । फलस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कई व्यक्ति घायल हैं जिनमें से एक की हालत चिन्ताजनक है । इस घटना से जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है । अतः मैं इस वर्ष सार्वजनिक एवं आवश्यक प्रश्न की ओर सम्बन्धित मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं ।"

माननीय गृह मंत्री जी इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे ? अगर सूचना हो तो आज वक्तव्य दे सकते हैं ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--आपकी आज्ञा से प्रस्तुत कर रहा हूं कि २७ अगस्त को नन्दगांव के लोगों ने एक दंगल आयोजित किया था । यह दंगल प्रति वर्ष जन्म अष्टमी के अवसर पर होता है और इस बार भी यह दंगल हुआ । देहली वाली धर्मशाला कहलाती है नन्दगाव बरसाना रोड पर उसी के पास यह दंगल आयोजित था । इस दंगल में करीब १५-२० हजार आदमी इकट्ठा थे और देखने वालों में पंजाब, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश के भी लोग थे । करीब स ा ५ बजे जबकि आखिरी कुश्ती हो रही थी दंगल में दो पहलवान लड़ रहे थे । एक सज्जन जिनका नाम जोखी है, वह जिस पहल ान के पक्ष में वे थे उसे कुछ परेशान देख कर कुश्ती में उसकी मदद करने के लिये वे अखाड़े में कूद पड़े । वहां पी० ए० सी० के कुछ सिपाही शान्ति बनाये रखने के लिये पोस्टेड थे । उसमें पी० ए० सी० के सूबेदार यह देख कर कि उनकी मदद करने के लिये वे चले जो ड्यूटी पर तैनात सिपाही थे पी० ए० सी० के वे भी कूद कर आ गये और उन्होंने उन्हें हटाने की कोशिश की । उन्होंने इंकार किया अखाड़े से हटने से । इसमें धक्कम धक्का हुई और सिपाहियों से और उनसे मुक्केबाजी होने लगी । जो लोग इकट्ठा थे, यह देखकर कि मारपीट हो रही है, कुछ आदमी और पब्लिक के इस समय खड़े हो गये और जोखी की मदद करने के लिये दौड़ पड़े । इधर पी० ए० सी० के ९-१० सिपाही थे । उन्होंने यह देखकर कि इतने आदमी दौड़े हैं, वह भी कूदकर वहां

आ गये, पी० ए० सी० के साथियों की मदद करने के लिये और आपस में मारपीट शुरू हो गई । हंगामा मच गया दंगल में, शोरगुल मचने लगा, ढेलेबाजी होने लगी और एक अव्यवस्था की स्थिति भी पैदा हो गई । इसी बीच में जो लोग वहां इकट्ठा थे उनमें से किसी एक सज्जन ने गोली चलाई पब्लिक के आदमियों में से अपनी बंदूक से और लज्जाराम सिपाही की जांघ में वह गोली लगी और वह गिर पड़े । जिन्होंने गोली चलाई थी उनके पास अनलाइसेंस्ड वैपन साधारण सी बनी हुई देशी बन्दूक थी और छर्रे उन्होंने चलाये थे । अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी क्योंकि वह फरार हैं ।

यह देखकर इस अव्यवस्था में और हंगामें में, पी० ए० सी० के सिपाहियों ने यह सोचकर कि गोली चली, हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, तीन गोलियां चलाईं । एक गोली हवा में इस विचार से चलाई कि भीड़ हट जाय लेकिन भीड़ के न हटने पर दो गोलियां और चलाई । जिसके परिणाम स्वरूप एक सज्जन की वहीं मृत्यु हुई और एक को अस्पताल ले जाया गया और मथुरा के अस्पताल में रात्रि में मृत्यु हुई । लज्जाराम के जो गोली लगी थी उसमें ऐसा कहा जाता है कि एक्सरे हुआ और ५० छर्रे उनकी जांघ में मौजूद पाये गये जिनको निकालने की कोशिश वहां के सिविल सर्जन कर रहे थे । पी० ए० सी० के ६ कांस्टेबिल्स घायल हुये उनमें से तीन के मामूली चोटें थीं जिनको इलाज करके जाने दिया गया । तीन के गहरी चोटें थीं वह अस्पताल में दवा दारू के लिये दाखिल हुये ।

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने २८ तारीख को मौका मुआयना किया और अब वहां शान्ति है । किसी प्रकार की कोई बात नहीं है और इस बात की इंक्वायरी वह एक मजिस्ट्रेट से करा रहे हैं कि किन हालतों में गोली पुलिस को चलानी पड़ी । यह सूचना है श्रीमन् ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह दंगल जिसमें उनकी सूचना के अनुसार १५-२० हजार आदमी जमा होते थे और पंजाब तथा राजस्थान आदि स्थानों से आते थे तो इसमें किसी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई थी ? यदि नहीं, तो जो गोली वहां चली वह किस के हुक्म से चलाई गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वहां किसी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी नहीं थी । प्रतिवर्ष यह नन्दगांव का दंगल इसी तरह से होता था और इस साल भी आयोजित था और किसी मजिस्ट्रेट की वहां ड्यूटी नहीं थी । बरसाना के एस० ओ० वहां मौजूद थे और पी० ए० सी० के आदमियों ने गोली चलाई वह किसी की इजाजत से नहीं । यह देखकर कि शायद इनकी जान खतरे में है उन्होंने गोली चलाई ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में पब्लिक और पुलिस दोनों की तरफ से मिला कर कितने लोगों को चोटें आई और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--गिरफ्तारी की खबर तो नहीं है । सिर्फ यह खबर है कि जिन्होंने गोली चलाई थी पुलिस पर, उनकी गिरफ्तारी के लिये कोशिश हो रही है और अब तक वह फरार हैं और किसी की गिरफ्तारी की खबर मेरे पास नहीं है । केवल दो आदमियों की मृत्यु जिन की दुर्भाग्य से मृत्यु हुई और पब्लिक के आदमियों के घायल होने की कोई खबर नहीं क्योंकि तीन गोलियां ही चली जिनसे दो की मृत्यु हुई और एक हवा में फायर हुई थी । इतने से भीड़ हट गई । तो पब्लिक के आदमियों के घायल होने की खबर नहीं है । पुलिस वालों में तीन कांस्टेबिल हैं, एक लज्जाराम जिनको पचास छर्रे लगे और बालेश्वर प्रसाद और रामस्वरूप को गहरी चोटें आई जो अस्पताल में हैं । बाकी तीन को साधारण चोटें थीं । उनको दवा दारू करके छोड़ दिया गया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस व्यक्ति ने लज्जाराम पर गोली चलाई, जिसको फरार बताया जाता है वह कौन है और कहां का है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, नन्दगांव के ही है । क्या नाम बता दूं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आपकी तबियत है । मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं यह समझ रहा हूं कि उसकी इन्क्वाइरी मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं । अभी किसी का नाम न बताया जाता तो अच्छा था ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो पी० ए० सी० के लोग मौजूद थे उस दंगल में, वे प्रबन्ध की दृष्टि से ड्यूटी पर थे या दर्शक की दृष्टि से गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उनकी वहां तैनाती थी ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार यह बतायेगी कि वह दंगल किनकी ओर से चलाया गया था, कौन प्रबन्धक थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---नन्दगांव के ही लोग बराबर दंगल कराते हैं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अधिकारी को छोड़ कर बाकी कोई सिविल अथारिटी वहां थी ? यदि हां, तो कौन ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने निवेदन किया कि वहां पी० ए० सी० के १० कांस्टेबिल थे । उनके सूबेदार थे । और एस० आ० बरसाना थे । और कोई नहीं था ।

श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे स्थान पर जहां पर १५-२० हजार आदमी थे ऐसे स्थान पर अनलाइसेंस्ड हथियार ले कर उनको घूमने की इजाजत किस तरह से थी ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आदमी फरार है उसके खिलाफ कोई एफ० आई० आर० वकूआ के बाद दर्ज हुई और उसका नाम लेकर रिपोर्ट हुई या नहीं और कितने घंटे बाद रिपोर्ट हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इतनी तफसील तो मेरे पास नहीं है । लेकिन उसकी रिपोर्ट जरूर लिखाई गई है और इन्क्वायरी हो रही है ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो व्यक्ति मरे हैं उनके लिये कोई अन्तरिम मुआवजा की व्यवस्था भी उनके आश्रितों के लिये की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी भी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पी० ए० सी० के जो लोग गये थे वे जब दूसरे दंगलों में तैनात होते हैं तो बन्दूक ले कर जाते हैं या बिना बन्दूक के जाते हैं ? अगर बन्दूक ले जाते हैं तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष---इससे घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना में जिसमें दोनों तरफ से गोली चलाई गई है इस बात को ध्यान में रखते हुये इसकी जुडीशल इन्क्वायरी या कम से कम डिवीजनल कमिश्नर से इन्क्वायरी करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जूडिशियल इन्क्वायरी का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। मैजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी हो रही है इसमें, और मैं समझता हूं कि वह काफी है।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जहां लगभग २० हजार आदमी उपस्थित थे वहां फिर यह कहा जाता है कि लज्जाराम को नाजायज हथियार से मारा गया तो यह तत्काल कैसे पता चला कि किसने मारा. . . .

श्री अध्यक्ष—इसकी भी मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि लज्जाराम नाम के पी० ए० सी० के कांस्टेबिल के जो छर्रा लगा उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट है और अगर है तो क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास जो संक्षेप में है वह मैं पढ़े देता हूं :—

"The X-ray revealed about 50 Pellets around the wound. Irregular Gun shot wounds $1\frac{1}{2}'' \times 2''$ on the greater grochanter of right fover bone. It is deep through and through going internally where the wound of outltet is situated 1″ below the groin on the internal side. The wound of outlet is $1\frac{3}{4}'' \times 1''$ irregular. Around the wound of enterance there are multiple shot marks roughly....."

श्री अध्यक्ष—अब इस समय पूरी रिपोर्ट पढ़ने की तो इजाजत मैं नहीं दे सकता हूं।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब लोग अखाड़े में चढ़े उसके बाद आपस में कुछ हो रहा था तब एक व्यक्ति ने गोली चलाई और गोली से मारकर भाग गया तो जब एक व्यक्ति गोली से मारकर भाग गया, सारी माब से कोई मतलब नहीं था तो ऐसी कौन-सी परिस्थिति थी कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी ?

श्री अध्यक्ष—यह भी इन्क्वायरी से सम्बन्ध रखता है।

श्री नेकराम शर्मा द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब श्री नेकराम शर्मा का नियम ५२ के अन्दर प्रस्ताव है, इस सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सूचना मुझे मिल सकी है यह टेलीफोन पर मिली है। लिखित डिटेल्ड रिपोर्ट कलेक्टर की अभी नहीं आई है यद्यपि उनसे उसके लिये कहा गया है कि वह बहुत शीघ्र उसे भेजें. . .

श्री अध्यक्ष—अगर कल तक दे सकते हों तो मैं कल के लिये रख दूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—टेलीफोन पर जितनी जानकारी मुझे हासिल हो सकी है, उतनी मैं दे सकता हूं। लिखित रिपोर्ट नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, पूरी रिपोर्ट आ जाय तो अच्छा रहेगा। हमारे पास पूरी सूचना है।

श्री अध्यक्ष—कल तक आ जायगी क्या ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सम्भवतः आ जायगी कल तक ।

श्री अध्यक्ष—तो मैं समझता हूं कि कल ही दें आप । आज का समय क्यों लिया जाय ।

मोदीनगर के भूख हड़तालियों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानकारी की मांग

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैंने एक कामरोको प्रस्ताव आपके पास भेजा है, उसका कोई निर्णय ही नहीं मालूम हुआ । मोदीनगर के भूख हड़तालियों के बारे में था, १४४ लगाने और.....

श्री अध्यक्ष—यह नियम ५२ में तो नहीं आया है आज ?

श्री गेंदासिंह—नहीं, मैंने तो कामरोको प्रस्ताव में दिया है ।

श्री अध्यक्ष—खैर, मैं उसको देख लूंगा ।

श्री चरणसिंह के वक्तव्य देने के अधिकार के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मुझे यह व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करने की आवश्यकता पड़ी है, इस वजह से मैंने यह प्रश्न उठाया है कि माननीय चौधरी चरणसिंह जी के अधिकार जो हैं वह एक सदस्य के नाते, मैं उसको सुरक्षित रखना चाहता हूं और मैं यह जानना चाहता था श्रीमन्, आपसे कि क्या वह भविष्य में यदि कोई स्टेटमेंट देना चाहें इस हाउस में, तो दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे ? मेरा तो कथन है कि उनको यह पूरी तरह अधिकार है कि भविष्य में भी यदि वह कोई बयान इस सदन में देना चाहें तो नियम २७५ के अनुसार दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—मैं उनकी तरफ से आपको वकालत करने की इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप कृपा करके बैठें ।

१२ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न ७ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन*

श्री अध्यक्ष—अब दिनांक १२ अगस्त, १९५९ को विधान सभा के सदस्य श्री गंगाप्रसाद सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या ७ से सम्बन्धित माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में समाज कल्याण मंत्री शोधन वक्तव्य देंगे ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—दिनांक १२-८-५९ को श्री गंगा प्रसादसिंह जी द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ७ के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय यह कहा गया था कि जून, सन् १९५७ में एक मुक्त बन्दी तथा बन्दी लोगों का संयुक्त सम्मेलन हुआ था और उसमें यह प्रस्ताव पास किया गया था कि जो अविवाहित बन्दी जेल में हों उनके विवाह का प्रबन्ध किया जा सकता है ।

उत्तर में कुछ अशुद्धि है । सही उत्तर निम्न प्रकार है "नवम्बर, १९५७ में प्रथम बन्दी तथा मुक्त बन्दी सम्मेलन हुआ था और उसमें यह सुझाव दिया गया था कि जेल विभाग को ऐसे गैर सरकारी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये जो विवाह इच्छुक महिला बन्दियों का विवाह करा सकें ।" उक्त प्रश्न और उसका उत्तर भी संलग्न है ।

---

*१२ अगस्त, १९५९ की कार्यवाही में तदनुसार शोधन किया गया ।

असरकारी दिवसों का कर्जा चुकाने के सम्बन्ध में सरकार से प्रार्थना

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि अब गैर सरकारी दिन बहुत जमा हो गये हैं। पहले तो लैप्स हो गये थे। अब बहुत अधिक उधार सरकार के ऊपर हो गया है। तो अब मौका है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कर्जा चुका सकेंगे? सभी चाहे उधर के हों या इधर के हों, इसको चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब तक कर्जे में ६ दिन हो गये हैं तो वह कर्जा अब कब चुकता होगा?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मैं क्या बताऊं कुछ ऐसा गुनहगार हूं कि ऐसा हो गया। मैं यह चाहता हूं कि कुछ न कुछ कर्जा हमारे ऊपर बना रहे। फिर भी कुछ कर्जा चुकना चाहिये। थोड़ा देर हुई मैंने नेता विरोधी दल को सूचना भेजी थी कि कम से कम दो दिन तो जरूर इस सेशन के समाप्त होने के पहले हम इस काम के लिये अलग कर देंगे।

विविध सूचनायें

श्री रामायणराय—कल भी और आज भी बड़े ही आवश्यक प्रश्न की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था नियम ५२ के अन्तर्गत भूख के सिलसिले में। उन लोगों की सारी फसल नष्ट हुई जा रही है। वह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—नियमानुसार एक ही लिया जा सकता है और वह मैंने ले लिया, मुझे माननीय गेंदासिंह जी का कामरोको प्रस्ताव अभी-अभी मिल गया है। अब मैं उसके ऊपर कल विचार करूंगा।

*उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब न्याय मन्त्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ को संयुक्त प्रवर समिति में भजने क प्रस्ताव पर विचार होगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर विचार करते हुये मुझे सब से पहले इस बात को आपके सामने निवेदन करना है कि यह बिल उन लोगों द्वारा यहां पेश किया गया है जो इस विधेयक के उद्देश्य से शायद सहमत नहीं हैं और उनकी कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से वह इस विधेयक को लाने के लिये लाचार हुये। मैं खासतौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे भारतवर्ष में जिस वक्त जमीन की हदबन्दी का प्रश्न और सूबों में जल्दी से विचार करने का प्रस्ताव हुआ था और प्लानिंग कमीशन भी यह चाहता था कि जल्द से जल्द इस पर विचार करें और समाज के उत्थान के लिये यह आवश्यक अंग है, इस पर कार्यवाही की जाय, उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस विधेयक और इस प्रकार की व्यवस्था का विरोध किया था। मैं खासतौर से मुख्य मन्त्री जी की तरफ संकेत करना चाहता हूं। मैं समझता हूं आपको यह स्मरण होगा कि माननीय चरणसिंह जी का मुख्य मंत्री जी से चाहे जो कुछ भी मतभेद रहा हो लेकिन इस जमीन के बटवारे के प्रश्न पर, हदबन्दी के प्रश्न पर

---

*२०-८-१९५९ की कार्यवाही में छपा है।

†१ सितम्बर, १९५९ से।

[श्री गेंदा सिंह]

दोनों में काफी गहरी मित्रता रही है। माननीय चरणसिंह जी, अपने मन्त्रित्व काल में, जो पुस्तक लिख रहे थे, वह पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई। मैं उस पुस्तक को यहां पर उद्धृरित करना चाहता हूं। उसके लिये चरणसिंह जी मुझे माफ करेंगे, लेकिन वह पुस्तिका इस बुनियाद पर लिखी गयी थी कि कोआपरेटिव फार्मिंग का विरोध हो और उसके साथ-साथ सीलिंग का विरोध हो। उसकी भूमिका लिखी थी हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने। मैं नहीं समझता श्रीमन्, कि भूमिका लिखने वाला कोई ऐसा आदमी हो सकता है कि जो पुस्तक की भावना के विपरीत भावना रखता हो। मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं और न वह सुन ही रहे हैं और न शायद वे मेरा भाषण पढ़ने की कृपा करेंगे.....

राजस्व उप-मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—ये कान सुन रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—मैं फिर दोहरा दूं कि मैं छोटे शिव और बड़े शिव को बराबर समझता हूं।

(इस समय १ बजकर २२ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं)

लेकिन मुख्य मंत्री जी और माननीय शुक्ल जी मे जितना अन्तर है उसको मैं समझता हूं। सुन रहे हैं शुक्ल जी इसमें संदेह नहीं और मेरे लिये वह बड़े हैं ही। तो मैं यह निवेदन कर दूं कि यह बिल उन लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि जो इसके उद्देश्य से सहमत नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के उद्देश्य से सहमत न होते हुए भी वह विधेयक ले आये। विधेयक का उद्देश्य डिफीट हो जाय इसके लिये विधेयक ही गवाह है दूसरा कोई गवाह ढूंढ़ने की जरूरत नहीं।

श्रीमन, जिस प्रकार का विधेयक है अगर वह पास हो जाय तो उसके माने यह होंगे कि इस प्रदेश भर में शायद १५ प्रतिशत लोगों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो परिवर्तन इस विधेयक में करना चाहती है अगर वह कर दिया जाय तो उस परिवर्तन के साथ शायद इस प्रदेश के १०० में से एक और डेढ़ के बीच में, सवा के करीब लोगों पर इसका असर पड़ेगा। ४० एकड़ से ऊपर के किसानों की संख्या इस प्रदेश में है १ लाख ८५ हजार ६७२, जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट के अनुसार। अब सम्भव है कि उसमें से कुछ कम हो गये हों, कुछ बढ़ गये हों। कुल १ लाख २२ हजार हमारे प्रदेश के खाते हैं। मैं गलत कह गया। वह संख्या २० एकड़ से ऊपर वालों की थी। तो अगर ४० एकड़ की बात मान ली जाय तो समझिये कि कितने लोगों पर इसका असर पड़ेगा। २० एकड़ के ऊपर हदबन्दी कर दें तो शायद ५०, ६० लाख एकड़ जमीन मिल सके देने के लिये। लेकिन अगर ४० एकड़, ६४ एकड़, और जैसी माननीय शिवराजबहादुर जी ने इसकी अनालिसिस की थी, अगर उसके मुताबिक खराब जमीन हो तो ८० एकड़, १२८ एकड़ या उससे भी ज्यादा जमीन अगर रहने दी जाय तो शायद हमारे हाथ में कुछ जमीन भी नहीं आयेगी और कितने जिले के जिले ऐसे जा सकते हैं कि जिनमें किसी एक भूमिहीन को भी आप जमीन न दे सकें। तो मैं क्या कहूं। उसके बाद जो उपबन्ध, प्रतिबन्ध लगाये गये हैं कि किन-किन में हम विशेष सुविधा प्रदान करेंगे, तो उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं रहता। हम जो इस विधेयक का स्वागत करते हैं और जो हदबन्दी का स्वागत करते हैं वह इसलिए करते हैं कि वह किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि इस गरज से कि एक सामाजिक न्याय देश में हो सके, एक दूसरे समाज की रचना देश में हो सके और इसी कारण से हम जमीन का बटवारा चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर माननीय हुकुमसिंह जी, जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उन्होंने उस दिन मेहरबानी नहीं की कि सदन को बताते कि इस मेजर को ले आने से कितने लोगों को आराम पहुंच सकेगा, कितनी जमीन उनको मिलेगी और उसका बटवारा वह किस तरह से करेंगे, कितना गल्ला मिलेगा, कितना अन्न का बट-

बारा कर सकेंगे, यह कुछ नहीं बताया। और इस बिल पर सदन से स्वीकृति ली जायगी जिसके लिए कहा जाता है कि बड़ा प्रभाव डालने वाला है तो फिर उस पर कुछ संकेत तो करना चाहिए कि क्या प्रभाव डालता है। आप देखें कि इसके उद्देश्य और कारण में क्या लिखा गया है, उस तरफ भी कोई रोशनी नहीं डाली गयी। इसलिए नहीं डाली गयी कि भंडा फूट जायगा, सिर्फ हुक्म तामील किया जा रहा है प्लानिंग कमीशन और नागपुर कमीशन का, लेकिन मकसद यह है कि जो जमीन के पहले से मालिक हैं उन्हीं के पास बनी रहे, चाहे किसी प्रकार से बनी रहे।

थोड़ा मेरा जमीन से कुछ ज्यादा सम्बन्ध है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा समय और मुझे दे दिया जाय और अगर समय की पाबन्दी करनी है तो मुझे वह बता दिया जाय जिससे मैं मोटी-मोटी बातें .....

श्री अधिष्ठाता--५ मिनट आपको और दे दिये जायंगे।

श्री गेंदासिंह--मैं कुछ अपने उन दोस्तों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने सीलिंग का विरोध किया हैं। सीलिंग को सबसे बड़ा नुक्सान अगर किसी ने पहुंचाया है तो इस तरफ के बैठने वालों ने नहीं पहुंचाया। नुक्सान पहुंचाने वालों में से सबसे अधिक नुक्सान पहुंचाने वाले शुक्ल जी उधर बैठे हैं और उनके दोस्त हैं और मुख्यमंत्री जी हैं। वह नहीं चाहते हैं सीलिंग न वह धन पर चाहते हैं, न जमीन पर चाहते हैं। खुली छूट देना चाहते हैं, सभी लोगों को घुड़दौड़ में ले आना चाहते हैं कि जितना कमा सको, कमाओ। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ख्वाहमख्वाह इस सीलिंग का विरोध क्यों करते हैं? हम समझते हैं कि उनका भी मंशा यही होगा, क्योंकि जमीन तो उन्हीं के पास है जो पुराने जमींदार थे और जिनकी जमीदारी निकल गयी। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नयी जमीन हासिल की है, सम्भव है वह बड़ी नौकरियों में रहे हों, छूट कर पेंशन में आये हों। लेकिन मैं कहता हूं कि जमीन की सीलिंग ऐसी होने जा रही है जिसमें उनका अहित कोई होगा ही नहीं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उस तरफ के बैठने वाले जो गलत ढंग पर सीलिंग का विधेयक लाना चाहते हैं और जो अनजाने सीलिंग का विरोध कर रहे हैं दोनों सचमुच अपना नुकसान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नुकसान, श्रीमन्, थोड़े शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। आखिर हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान है और उतर प्रदेश एक ग्रामीण उत्तर प्रदेश है। आज १०० में से ८७ आदमी गांव में यहां बसते हैं। उनकी हालत किस तरह से सुधरेगी? मैं समझता हूं कि अगर खेती की हालत नहीं सुधरी तो सारे प्रदेश की हालत नहीं सुधर सकती, क्योंकि ज्यादा लोगों का खेती से संबंध है। वह ऐसे नहीं सुधर सकती कि ऐसे बड़े बड़े खेत जिनके पास पड़े हैं जो खुद खेती नहीं करते हैं। माना कि एक करोड़ २२ लाख में से १ लाख और कुछ आदमियों की हालत सुधर भी जाय। तो कोई आदर का पात्र गांव में नहीं रह सकता। अगर टाटा, बिरला, डालमियां का मुकाबला करना चाहते हों तो मैं आपसे निवेदन करूं कि यह जितने भी इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं वह तो जवाहरलाल जी और उस तरफ के बैठने वालों की पुलिस के पहरे में शहरों में रहते हैं, उनका सुरक्षा की भी जरूरत नहीं है। वह सुरक्षित हैं, इस देश की सरकार उन करोड़-पतियों का पहरा दे रही है। लेकिन हम तो गांव में रहना चाहते हैं। और इस तरफ के लोग जिन्होंने कुछ विरोध किया वह गांव में रहना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि ज्यादा जमीन हो और ज्यादा सम्पत्ति उनके पास हो। वह शहरों का मुकाबला करना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह नफरत के पात्र न बने। गांव में जहां लाखों और करोड़ों आदमी एक वक्त खाने वाले रहें, कहीं एक दो लाख में अगर एक आदमी ऐसा बना रहे जो लखपती हो या लखपतियों के मुकाबले में हो तो मैं निश्चित समझता हूं कि वह नफरत का पात्र होगा यह सरकार गांवों को किसी भी हालत में पीछे रखना चाहती है।

आपको भी अनुभव होगा कि आजतक जो गांवों में डकैतियां होती हैं वह हथियारों के साथ होती हैं और उन लोगों पर होती हैं जो बिना हथियार के होते हैं। ऐसी हालत में

[श्री गेंदासिंह]

अगर देश की सुरक्षा हो सके, हम भी सुरक्षित हो सकें तो जरूरी है कि गांव में रहना चाहिए और उनके समकक्ष बनकर रहना चाहिए जिस तरह की जिन्दगी बिरला, टाटा और डालमियां और दूसरे उद्योगपति सरकारी पुलिस और पल्टन के बल पर शहर में गुजर करते हैं। लेकिन इसके बगैर कोई देहाती आदमी अपनी जिन्दगी नहीं निबाह सकता। अगर मुट्ठी भर लोग देश की सारी सम्पत्ति का उपभोग करें और करोड़ों आदमी रोटी के मोहताज बने रहें तो इस पर विचार करना चाहिए।

आज संसार की क्या हालत है? हमको देखना चाहिए कि क्या हमारा होम फ्रन्ट मजबूत होने जा रहा है या कमजोर होने जा रहा है। आज सारे संसार में आग लगी हुई है। भारतवर्ष के चारों तरफ जिधर आप देखें आग लगी हुई है? उससे अगर मुल्क को बचाना है तो क्या मुट्ठी भर लोग इसमें कामियाब होंगे। देश के करोड़ों आदमी, नौजवान, नर, नारी जो कि आज भूखे नंगे हैं, जो कि कोई सुख नहीं भोग रहे हैं, वह क्या दुख भोग कर देश की रक्षा करने में समर्थ होंगे? मैं तो समझता हूं कि ऐसी भावना रखनी चाहिए और इस भावना से काम करना चाहिए। मैं जमींदारों से कहना चाहता हूं कि जमींदारी एबालिशन हो गया, बड़ी बड़ी बातें कही जाती थीं कि खून की दरिया बह जायगी, लेकिन मैं उनका त्याग मानता हूं। जमींदारों ने जिस स्पिरिट और त्याग से काम लिया वह उत्तर प्रदेश के लिये एक इज्जत की बात है। उसी प्रकार से मैं कहता हूं कि २० एकड़ की सीमा प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी चाहती है, अगर सरकार २० एकड़ की भी सीमा को भी रखें तो उसमें उनकी इज्जत नहीं जायगी। हम यह जरूर चाहते हैं कि २० एकड़ में खेत में, आज जितनी पैदावार ४०, ५० और १०० एकड़ में होती है, उतनी पैदावार कराई जा सके। इस सम्बन्ध में मैं बहुमत दल की ओर से छापे गये घोषणा-पत्र से, जो कि पिछले चुनाव के अवसर पर छपा था, एक सेन्टेन्स पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है "ज्ञात तरीकों के समुचित प्रयोग के साथ-साथ सिंचाई और कृषि के क्षेत्र का यथासम्भव विस्तार करने से भारतीय कृषि की पैदावार में ४ या ५ गुनी वृद्धि हो सकती है"। उसके आगे फिर लिखा है "अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के द्वारा पैदावार की जो प्रतियोगितायें हुई हैं उनके परिणामों से स्थानीय औसत की अपेक्षा ७ गुना अधिक पैदावार होने के परिणाम सामने आये हैं।" तो अगर ७ गुनी पैदावार होने के परिणाम आये हैं तो मैं कहता हूं कि २० एकड़ देकर उसके अधिक अन्न उपजाने की योग्यता रखते हैं। हमारी बड़ी सीलिंग वाले, यह मैं जानता हूं। अगर वे ५ गुनी और ७ गुनी पैदावार बढ़ाते हैं तो उन्हें मालगुजारी और मेहनत में बचत होगी और कुछ अपने गरीब भाइयों की भी वे मदद कर सकेंगे। अगर २० एकड़ में किसी व्यक्ति ने ५ गुनी या ७ गुनी पैदावार कर ली तो क्या हम उसकी जमीन कम कर देंगे? नहीं। हम पैदावार बढ़ाने का इंसेंटिव देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि २० एकड़ वाला इतनी पैदावार करे जितनी ४० या ६४ एकड़ वाला करता था। अनुभव से सिद्ध है कि यह बात ठीक है। योग्य लोगों के द्वारा पैदावार बढ़ाने के बाद दूसरे लोग भी सबक सीखेंगे और उनके पीछे चलेंगे।

दूसरी ओर हम हरिजन और बैंकवर्ड लोगों की बात करते हैं कि उनका उत्थान कैसे हो। "१८ प्रतिशत" नौकरी की चर्चा यहां हमेशा होती है जो सरकार की घोषित नीति है। आपको भी मालूम है कि कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां चपरासियों की भी संख्या १८ प्रतिशत हो गई हो और नौकरियों का, बड़ी नौकरियों का, तो कहना ही क्या। चपरासी में फिजिकल फिटनेस यानी शरीर चाहिये जो उनके पास है। किसी काम में चाहिये बुद्धि। मैं नहीं कहता हूं कि मेंटली वे हमसे कमजोर हैं लेकिन फिजीकली कमजोर दिखाई पड़ते हैं। इसलिये चपरासी नहीं बनाये जाते हैं, पल्टन में नहीं लिये जाते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी यू० पी० की सरकार ने एक हरिजन नहीं लिया। आखिर मंत्र पढ़ने ही से तो उनको

माली हालत नहीं सुधर जायगी। इसलिये हम उनको जीवन का साधन देना चाहते हैं जो हम उनको जमीन की सीलिंग के बाद भी पूरा नहीं दे सकते हैं चूंकि सभी जिलों में ऐसी पूरी जमीन भी नहीं मिल सकेगी। हमारा कोई किसी को हानि पहुंचाने का इरादा नहीं है। हां, अपने आपको बचाने का इरादा जरूर है और स्वराज्य हासिल करने के बाद हम यह जरूर समझते हैं कि इस देश के दबे हुये लोगों को, जीविकाहीन लोगों को, जीविका देना जरूरी है और जिनको हम आगे बढ़ा हुआ कहते हैं उनका यह कर्तव्य हो जाता है।

यह बिल तो सेलेक्ट कमेटी को जा रहा है। इसमें बहुत सी खामियां हैं जिनके लिये यहां समय नहीं है। मैं यह भी समझता हूं कि इस समय सिद्धांत पर बहस हो रही है और मैं भी सिद्धांत पर ही बोलूं। खामियों की चर्चा सेलेक्ट कमेटी में होगी और बाद में यहां भी होगी। लेकिन जब सरकार कृषि-क्रान्ति की बात सोचे या कृषि की उपज बढ़ाने की बात सोचे तो उसे सभी गरीब लोगों को जीविका देने की बात भी सोचनी चाहिये। बिना इसके न हम कैश क्राप पैदा कर सकेंगे और न हम २० एकड़ वालों की या ४० एकड़ वालों की और गांव समाज की मदद कर सकेंगे। हम तो इस विधेयक से यही समझते हैं। यह एक आंसू पोंछने वाली बात है। वह भी रुई से नहीं। वह महीलाल जी बतावेंगे कि किस चीज से पोंछा जा रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि सबसे जरूरी काम यह है कि पहले यह सोच लिया जाय कि हम सीलिंग मुकर्रर करें, २० एकड़ करें या किसी परिवार के लिये ज्यादा करें जिसमें अधिक व्यक्ति हों, उनकी ३० एकड़ करें, और उससे आगे किसी हालत में भी न जावे।

मालगुजारी के बारे में मैं एक बात निवेदन किया चाहता हूं। रामपुर जो आपके पड़ोस में हैं, उसकी मालगुजारी और सर्किल रट का हिसाब आप देखें, सर्किल रेट तराई का बनारस का और मिर्जापुर का क्या है। हमारा दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में सर्किल रेट और मालगुजारी के ८, १० कानून लागू हैं। एनक्लेव्ज जो मध्य प्रदेश से आये हैं उनका भी देखें। जिनसे हम जमीन ले रहे हैं उनके लिये सरकार को गारंटी करना चाहिये कि इस कानून के बनन के बाद जो आमदनी उनको ४०, ५० एकड़ से होती थी वह कम नहीं होने पावेगी।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--बार रोज से इस विधेयक पर मैं बड़े गौर से लोगों की दलीलें सुनता रहा हूं। जैसी दलीलें दी गई हैं वे इस बात का द्योतक हैं कि इसके विचार-विनिमय में बड़ी खींचतान की जा रही हैं। यह विधेयक इस अभिप्राय से नहीं आया है कि इससे हमारे खेती और खाद्य के तमाम मसले हल हो जावेंगे। असिल तो यह है कि हमारे प्रदेश में इस प्रकार की भूमि-व्यवस्था है जिसमें से इस विधेयक के द्वारा कुछ जमीन निकाल कर खेतिहर मजदूरों को देनी है जिनके पास भूमि नहीं है। हम जानते हैं कि इतनी अधिक जमीन नहीं निकलेगी कि हम सभी लोगों की भूख को पूरा कर सकें। लेकिन जो भी हम कर सकते हैं उसके लिये यह विधेयक है। कुछ दलीलें यहां ऐसी दी गईं जैसी कि जमींदारी उन्मूलन के समय मुस्लिम लीग की ओर से दी गई थीं। आज कहा जाता है कि पहले आमदनी का बटवारा करिये। मुस्लिम लीग ने भी कहा था कि लखपति और करोड़पति पूंजीपतियों को समाप्त कीजिये तब जमींदारी उन्मूलन करिये। इन धनपतियों को मिटायें फिर जमींदारों को मिटायें। जब जब इस तरह के कदम उठाये जाते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं। हमारे जनसंघ के नेता माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे जी ने भी इस तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि संपत्ति का बटवारा कीजिये। उन्होंने कहा कि हमारे दल की तो यह नीति है कि ३० एकड़ पर सीलिंग होनी चाहिये। माननीय श्रीपालसिंह जी ने एक मजे की बात कही। उन्होंने कहा कि भूमि का बटवारा नहीं होना चाहिये और आमदनी का बटवारा होना चाहिये। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह की अर्जियां आयी हैं कि भूमि का बटवारा नहीं होना चाहिये। उन्होंने कुछ अर्जियां पढ़कर सुनाई और कहा कि हमारे पास इस तरह की कितनी ही अर्जियां आयी हैं। सरकार से पूछा कि आपके पास कितनी आयी हैं।

[श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा]

हमारे साथ तो नागपुर में देश का एक बहुत बड़ा बहुमत था। करोड़ों आदमियों ने कहा कि जिस पर यह फैसला लिया गया कि इस प्रदेश में और देश में भूमि पर सीलिंग होनी चाहिये। उसी के आधार पर यह बिल प्रस्तुत किया गया है। यह बहुत से विचारों के सामने रखकर किया गया है। लेकिन इसकी यह मंशा कभी नहीं है कि किसी की जमीन को जबरदस्ती बिना मुआवजे के छीन लें। दूसरे भूखे हैं तो जिनके पास रोटी है उनको भी भूखा या अधभूखा बना दें। इसकी मंशा तो यही है कि जिनके पास सरप्लस भूमि है वह ले ली जाय और उससे अगर किसी की सहायता की जा सके तो की जाय। हम चाहते हैं कि उनको इतनी जमीन रहने दी जाय जिससे वे ३,५००) या ४,०००) आमदनी कर लें जिससे वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें, बीमारी का खर्चा बरदाश्त कर सकें, बच्चों की शिक्षा-दीक्षा कर सकें। मैं चाहता हूं कि सरकार जहां एक ओर ४० एकड़ की ऊंची सीलिंग कर रही हैं वहां उसे नीचे की सीलिंग भी करें कि १२ १/२ एकड़ से किसी के पास भूमि कम न हो और जिनके पास कम हो उनकी पूरी कर दी जाय। ऐसा न हो कि लोगों का गुजारा न हो और वे थोड़ी सी जमीन के मोह में गांव न छोड़ सकें और न कोई दूसरा काम ही कर सकें। "धोबी का कुत्ता घर का न घाट का"। इस तरह से प्रलाभकर जमीनों को देने से कोई लाभ नहीं है।

इसके साथ ही साथ मंत्री जी इस जिम्मेदारी को भी न भूल जायं कि छोटी जाति वालों को साढ़े बारह एकड़ देने से ही समस्या का हल न हो जायगा। उनके बच्चों की फीस आपको माफ रखनी होगी क्योंकि इसमें पूरे खानदान की गुजर करके वे बच्चों को पढ़ा-लिखा नहीं सकते हैं। यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही रहेगी। यह भी खयाल रखें कि सीलिंग आप इतनी कम न कर दें जिससे देहात को छोड़ने के लिये लोग मजबूर हो जायं। और शहरों की आबादी और भी ज्यादा बढ़ जाय।

इस प्रदेश में ३५ लाख लोग ऐसे हैं जिनको जमीन चाहिए लेकिन क्या ३५ लाख लोगों या ७ लाख परिवारों को हम जमीन दे सकेंगे? अगर नहीं दे सकेंगे तो हमको यह भी विचार करना होगा कि बाकी के लोगों को क्या रोजी हम दे पायेंगे। भले ही कुछ लोग डालमियां और बिड़ला के नाम से इस हाउस को रोशन करते रहें और उनके नाम ले लेकर अपने दिल की बुग्ज निकालते रहें। लेकिन यह सोचने की बात है कि जो हमारे देश में कुछ कल कारखाने चला रहे हैं जिनके द्वारा कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता है और कुछ आमदनी का जरिया पैदा हो जाता है उनको हम बर्बाद न कर दें? इस बिल का मंशा तो यह है कि जो जमीन इस तरह से निकले वह उन लोगों को मिले जिनके पास जमीन कम है या नहीं है। जिनके पास जमीन कम है उनको देने के लिये यह शर्त जरूर होनी चाहिये कि वे एक कोआपरेटिव सोसाइटी में शामिल हों और अपनी थोड़ी जमीन और इस मिली हुई जमीन को पाकर उस कोआपरेटिव सोसाइटी में आवें। उसका क्या रूप-रेखा हो, किस तरह से लोग उसमें शामिल हों, और उनको फिर भी यह अधिकार हो कि वे उस कोआपरेटिव सोसाइटी से अलग होना चाहें तो अलग हो जायं। इस शर्त के साथ कोआपरेटिव सोसाइटी बनानी चाहिये।

माननीय मंत्री जी ने इस बिल को पेश करते समय ही यह स्पष्ट कर दिया होता तो इस बिल पर बहस करने के सिलसिले में बहुत सहारा होता। यह कहा गया कि आपने पहले से ऐलान कर दिया था इसलिये १५ अगस्त से पहले बहुत से लोगों ने अपनी जमीन बेंच दी, दूसरों के नाम खाते कर दिये। यह तो मंशा ही था और कांग्रेस गवर्नमेंट का यही मंशा है कि बड़े-बड़े खाते लोगों के न रहें और वह जमीन बड़े खातेवालों से निकल कर उन लोगों के पास जाय जिनके पास जमीन नहीं है। इस तरह से आपने देखा कि साढ़े १२ एकड़ के खाते १५ अगस्त के पहले ही बहुत बन गये और मैं समझता हूं कि जो हमारी मंशा थी वह किसी हद तक पूरी हुई। अब इसे कोई जाल बट्टा कहे या फर्जी कहे, यह तो अपने अपने समझने

का तरीका है। मैं समझता हूं कि हमारा उद्देश्य यही था कि बड़े-बड़े खातेदारों के बदले छोटे-छोटे खातेदार हों और वह हुआ।

जो बिल आपने पेश किया वह इसीलिये है कि जो जमीन इस तरह से निकलेगी वह ऐसे लोगों को दी जायगी जिनके पास जमीन नहीं है और उन्हें जमीन दी गयी। आपने इस तरह की शर्त तो लगायी नहीं थी कि सिर्फ हरिजनों को ही जमीन दी जायगी। अगर इस तरह की शर्त लगायी गयी होती तो मैं उसका स्वागत करता क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे प्रदेश में बहुत से हरिजन भाई रहते हैं जो सवर्णों की अपेक्षा अधिक अन्न उपजा सकते हैं, अधिक खेती-बारी कर सकते हैं और वे अपनी तथा देश की भलाई कर सकते हैं और अन्न की समस्या को हल करने में सहायता कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस बिल पर प्रवर समिति में जब विचार करें तो इस पर भी गौर करें।

मैंने देखा कि गांव समाजों की जमीन अधिक होने के बावजूद भी आमतौर पर हरिजन भाइयों को नहीं मिली। वह ऐसे लोगों के पास गयी जिनके पास पैसे थे। यह एक समस्या है जिस पर प्रवर समिति में विचार करना आवश्यक है। किसी को केवल जमीन देकर ही हमारा छुटकारा नहीं हो सकता है। उस जमीन को जरखेज बनाने के लिये और अधिक अन्न पैदा करने के लिये दूसरे साधन भी इकट्ठा करके देने पड़ेंगे तभी जमीन के बटवारे का कोई फल हो सकता है। इस बिल में आपने यह गुंजायश रखी है कि कुमायूं डिवीजन के कुछ हिस्से को निकाल दिया गया है लेकिन काशीपुर के हिस्से को आपने रखा है, तो इस पर गौर करने की जरूरत है। जिन लोगों ने तराई भावर में अपनी जान जोखिम में डाल कर, हर तरह से अपने जीवन को लगा कर वहां फार्म पैदा किये हैं और इन फार्मों के जरिये अन्न का उत्पादन बढ़ाने में सफल हुए हैं, मैं समझता हूं कि उनकी मेहनत का भी ख्याल रखना चाहिये और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिये कि कई हिस्से ऐसे हैं जिनके अन्दर सर्किल रेट बहुत हैं। पुराने जमीन्दारों का सर्किल रेट एक रुपया है तो भूमिधरों का २ रुपया है, सीरदारों का ४ रुपया है और आसामी का ८ रुपया है यानी इतना अन्तर है। यह डिस्पैरिटी मिटनी चाहिये, मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में इस पर भी विचार होगा। जहां आप इस पर विचार करें वहां आप इस पर भी गौर करेंगे कि बुन्देलखण्ड का वह हिस्सा जहां कि जमीन जरखेज नहीं है, जहां अक्सर एक ही फसल होती है जमुना के किनारे की जो उस पार की जमीन है और जो इस पार की जमीन है वह हर साल दरियाबुर्द हो जाती है, अगर आप उस जमीन की भी सीमा लगा लें और सीलिंग कर दें तो कहां तक मुनासिब हो सकता है, क्योंकि दरिया के किनारे की यह जमीन ऐसी होती है कि उसमें कभी खेती हो सकती है और कभी नहीं हो सकती, कभी-कभी तो बालू उस जमीन पर पड़ जाती है और कभी-कभी तो वह सारी जमीन ही नदी के दूसरी तरफ चली जाती है। जब आप प्रवर समिति पर विचार करें तो इस पर भी विचार करें।

सीलिंग की बात कोई हमारे सूबे की ही नई बात नहीं है, इस मुल्क के दूसरे सूबों में भी यह सवाल उठा है। जब हम ने ४० एकड़ या ४,००० रुपये की आय की सीलिंग की बात सोची है तो ऐसे सूबे भी हैं कि जिन्होंने अपने यहां ५,४०० रुपये की आय पर सीमा लगाई है। इसलिये जो सीमा जिन सूरतों के साथ रखी गई है मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वह हमारे प्रदेश के लिये लाभकारी होगी।

मैं खास तौर से एक बात और अपने उन भाइयों से कहूंगा जो चाहते हैं कि जमीन बराबर बटती चली जाय और उसके छोटे टुकड़े होते जायं और अधिक आदमी जमीन पर निर्वाह करें। ऐसी दशा में अगर जमीन की ही आय पर अधिक आदमी रहेंगे तो वह हमेशा गरीब ही रहेंगे और उनकी गरीबी जमीन के द्वारा हम कभी नहीं मिटा सकेंगे। इसलिये जहां जमीन की सीलिंग की बात सोची जाय वहां यह बात भी सोची जाय कि खेती के साथ ही गांवों में कुछ ऐसे छोटे-मोटे उद्योग धन्धे खोले जांय कि जो उनको खाली वक्त में

[श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा]

काम और आय दे सकें। अगर बड़े कारखानों की बात सोची जाय तो उसमें अभी काफी देर है और उसके लिये अभी हमें बहुत दिनों तक इंतजार करना होगा और उस तरह से सब का बांध टूट जायगा। आज भी जो उद्योग-धन्धे चालू हैं उन्हीं को ठीक से कच्चा माल कभी-कभी नहीं मिल पाता और वह बन्द हो जाते हैं, हमारे यहां कानपुर में ही बहुत से पेन्ट के कारखाने हैं, उनको रेजिन बरेली की फैक्टरी से मिलता है, वह कभी-कभी नहीं मिल पाता और कारखाने वालों को बड़ी दिक्कत होती है। जब सरकार के सामने इस तरह की बात है तो साथ ही साथ कोशिश यह भी होनी चाहिये कि जो छोटे उद्योग चल रहे हैं वह तो चलते ही रहें और उसके साथ ही साथ और नये धन्धे भी खोले जायं। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। और अधिष्ठात्री महोदया! आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस महत्त्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव के विरोध में मैंने स्वयं अपना एक प्रस्ताव इस अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक को जनमत संग्रह के लिये वितरित करने के लिए भेजा था परन्तु उसकी माननीय अध्यक्ष ने आज्ञा नहीं दी, अतः जो प्रस्ताव माननीय वीरेन्द्रशाह जी ने इस बिल को जनमत संग्रह के लिये वितरित करने के लिये सदन के सम्मुख उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस विधेयक को पेश करते समय प्रस्तावना और उद्देश्य में जो सद्भावनायें माननीय मंत्री जी की ओर से पेश की गई हैं उनको देखते हुये हमें इस विधेयक से बड़ी आशायें थीं। इस की प्रस्तावना में जितने भी सुन्दर से सुन्दर शब्द इसके प्रचार के लिये कहे जा सकते थे वे सब इस में रखे गये हैं। सामुदायिक हित के लिए, अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिये, खेतिहर मजदूरों के लिये जो भूमिहीन हैं और अधिकतम लोकहित के लिये और जमीनों का अधिक साम्यपूर्ण वितरण हो इस लिये यह कानून लाया जा रहा है।

(इस समय २ बजकर १ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

उद्देश्य और कारण का जिक्र करते हुए पुनः उन्हीं सद्भावनाओं को दोहराया गया है कि "भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को यथासम्भव मात्रा में भूमि उपलब्ध कराकर उसका अधिक साम्यपूर्ण वितरण करने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से तथा सहकारिता के आधार पर खेती की व्यवस्था करने और भूमि के प्राप्त साधनों का संरक्षण इस प्रकार बनाये रखने के विचार से कि राजकीय फार्मों में आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से खेती करके उत्पादन में वृद्धि की जाय तथा कमी के वर्षों के लिये खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह बनाया जाय, यह इष्टकर है कि वर्तमान वृहत् जोतों पर उच्चतम सीमा आरोपित की जाय। यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण समुदायों के लिये उनकी सामूहिक आवश्यकताओं के लिये जैसे ईंधन और चारे के लिये भूमि की व्यवस्था की जाय। अतएव समाज के दुर्बल वर्ग के आर्थिक हित की उन्नति करने तथा सार्वजनिक कल्याण के हेतु यह विधयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।" परन्तु यह इस विधेयक का बाहरी रूप है, जब इसका भीतरी रूप देखा जाय तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि इस विधेयक से और चाहे जो भी बातें प्राप्त हों चाहे कोई भी अच्छा या बुरा परिणाम निकले लेकिन ये बातें जो प्रचार के लिये उद्देश्य और प्रस्तावना में लिखी गई हैं इनमें से एक की भी पूर्ति इसके द्वारा नहीं हो सकती। मैं नहीं देखता कि इस विधेयक की धाराओं के द्वारा खाद्य समस्या हल हो, भूमि का साम्यपूर्ण वितरण हो, दुर्बल वर्ग का आर्थिक लाभ हो, सार्वजनिक कल्याण हो और अन्त में समाजवाद की स्थापना हो, कल्याणकारी राज्य हो और राम राज्य हो। जब तक यह विधेयक पेश नहीं हुआ था तब तक हमें इस विधेयक के द्वारा इन बातों की आशा थी कि बड़े विचार के बाद जनता की बहुत पुरानी मांग पूरा करने के लिये और पिछले २० वर्षों से जो कांग्रेस ने वादे और चुनाव की घोषणायें की हैं उनको पूरा करने के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है। परन्तु जब विधेयक आया तो यह सारी आशाएं निराशा में परिणत हो गईं।

एक बात इसी सम्बन्ध में मैं और कहना चाहता हूं। यह सरकार उन ८० प्रतिशत किसानों के वोट से बनी है जो देहात में रहते हैं। यह विधेयक देहात की समस्याओं को हल करने के लिये पेश किया गया है। परन्तु श्रीमन, मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह कहता हूं कि यह प्रान्त की ८० प्रतिशत जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है। उनको एक लुखड़पेच के द्वारा एक गोरखधन्धे में डालने का प्रयत्न किया गया है। इस विधेयक के द्वारा सीलिंग मान लेने पर किंचित मात्र भी नहीं भूमि प्राप्त हो सकती और जो खेतिहर मजदूर हैं उनका कोई भला नहीं हो सकता। यह विधेयक भले ही माननीय गेंदासिंह जी के कथनानुसार—मैं उनका समर्थन करता हूं—किसी लाचारी में ट्रेजरी बेंच की ओर से पेश किया गया हो। उनको नागपुर के प्रस्ताव के अनुसार मजबूरन एक विधेयक लाना था। खेतिहर मजदूरों की कोई भलाई नहीं करनी थी बल्कि उनको भुलावे में डालना था। लेकिन मैं समझता हूं कि देहात में रहने वाले ८० फीसदी आदमियों का जो स्तर आज है उसे और नीचे गिराने की नीयत से यह विधेयक लाया गया है और उनकी समस्याओं को अधिक उलझाने की कोशिश की गई है। ट्रेजरी बेन्चेज के सदस्य इस बात को भूल जाते हैं कि इस सदन का अस्तित्व उनका अस्तित्व और इस सरकार का अस्तित्व उन्हीं ८० फीसदी लोगों के मत पर निर्भर है जिनके साथ इस प्रकार का विश्वासघात किया जा रहा है।

विरोधी दल की ओर से समय-समय पर सरकार को सुझाव दिये जाते रहे हैं और विशेषकर सोशलिस्ट पार्टी ने अपने ऊपर तकलीफें उठा करके सरकार को चेतावनी देने का प्रयत्न किया। १९५७ में जो सत्याग्रह आन्दोलन सोशलिस्ट पार्टी ने आरम्भ किया उसमें हमारी कुछ मुख्य मांगें थीं जिनको यदि सरकार मान लेती तो इस विधेयक का उद्देश्य बहुत हद तक पूरा हो जाता। हमारी एक मांग थी कि भूमि का नये सिरे से बंटवारा हो, आलभकर जोतों से लगान हटाया जाय और तीसरी मांग यह थी कि आमदनी पर सीमा बांध दी जाय कि किसी की आमदनी १०० रुपये से कम और १,००० रुपये से ज्यादा न हो। यदि सरकार उन मांगों के सिद्धान्त को मूल रूप में मान लेती और उसी के आधार पर विधेयक बनाती तो इस विधेयक से वह उद्देश्य किसी हद तक प्राप्त हो सकता था जिसको दिखलाते हुए अब यह विधेयक लाया जा रहा है।

भूमि-समस्या के हल की ओर यह विधेयक ले जाता है, खेतिहर मजदूरों की समस्याओं के हल करने की ओर यह विधेयक ले जाता है, इस बारे में मुझे मतभेद है। मैं सरकार के कुछ पिछले प्रयत्नों का भी जिक्र करना चाहता हूं जो सरकार ने भूमि-समस्या के हल के बारे में किये हैं। सरकार ने जमींदारी का विनाश किया वह एक बड़ा पुराना वादा था जिसे पूरा किया। आशा थी कि जमींदारी विनाश के बाद देहातों की समस्या किसी हद तक हल होगी। लेकिन उससे किसान को कोई लाभ नहीं हुआ। १९३७ का चुनाव मैंने भी कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा था और मैं विजयी हुआ था। उस चुनाव घोषणा में यह स्पष्ट रूप से अंकित था कि हम किसानों के लगान को आधा करेंगे तब जब जमींदारी जब्त कर सकेंगे। जमींदारी जब्त हुई लेकिन लगान में किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। आन्दोलन द्वारा हमने यह मांग की कि अलाभकर जोत का लगान माफ कर दिया जाय उसको भी सरकार ने स्वीकार नहीं किया। जमींदारी जब्त होने से जो देहात को लाभ पहुंच सकता था वह उस कानून से नहीं पहुंचा।

उसके बाद एक कानून और बना, ग्राम पंचायतें कायम हुईं और प्रत्येक गांव में काफी संख्या में भूमि ऐसी थी जो ग्रामसभा के अधिकार में आई। मेरा तो निजी अनुभव है मैं स्वयं किसान हूं, खेती करता हूं, जो कृषि योग्य थी और बंजर पड़ी हुई थी, उस भूमि के आंकड़े सरकार ने जमींदारी समाप्त करते हुए एकत्रित नहीं किये, उस भूमि को खेतिहर मजदूरों में सही तौर पर बटवाने का प्रयत्न नहीं किया। ग्राम सभापतियों को कानून के द्वारा इस बात के लिये पाबन्द नहीं किया कि वे इस भूमि को खेतिहर मजदूरों में बांटने का प्रयत्न करें। मैं कह सकता हूं उस भूमि को अधिकांश दशा में उन लोगों ने जो गांवों में अपनी

[श्री देवनारायण भारतीय]

सत्ता रखते थे, जो पहले के जमींदार थे उन्होंने उस सब भूमि को या तो स्वयं सभापति बन कर अथवा जो सभापति बने थे उन पर अपना प्रभाव डाल कर उस सारी कृषि योग्य भूमि पर जिससे खेतिहर मजदूरों का भला हो सकता था अपना कब्जा कर लिया है और आज वहां जमीन नहीं के बराबर है और चरागाह तक के लिये भी गांव में कोई जमीन नहीं रह गयी है। मैं समझता हूं कि सरकार जो खेतिहर मजदूरों की दुहाई देने का ढोंग रचकर यह विधेयक ला रही है यदि सरकार को उनका वास्तव में ध्यान होता तो इससे बहुत पहले काफी संख्या में खेतिहर मजदूरों की भूमि समस्या का हल हो सकता था लेकिन सरकार ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया।

ग्राम समस्या को अधिवासी कानून के द्वारा भी सरकार न हल करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उसके जरिये भी पूरे हृदय के साथ यह नहीं चाहा कि अधिवासी काश्तकार हो जायं। सरकार ने इस अधिवासी कानून को ऐसी पाबन्दियों के साथ नहीं बनाया कि वह जमीन अधिवासियों के पास ही हर हालत में रहती, अतः वह लौट कर फिर मूल काश्तकार के पास पहुंच गयी। उससे भी खेतिहर मजदूरों की जो भलाई हो सकती थी वह नहीं हो सकी।

सरकार ने कृषि आयकर लगा कर देहात के स्तर को नीचा गिराने की कोशिश की। वृहत् जोतकर से भी देहातों की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ और उसके बाद यह सीमा आरोपण विधेयक ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में यह जो धारा १३ रखी है और उसमें १८ उपधारायें रखी हैं उनके द्वारा आपने बड़े काश्तकारों को इतनी काफी छूट दे दी है कि मेरा अपना विचार यह है कि एक न एक बहाने से इन १८ उपधाराओं के जरिये बड़े काश्तकार कोई भी जमीन ऐसी नहीं बचने देंगे, जिससे खेतिहर मजदूरों का कोई भला हो सकेगा। इस सीलिंग के बिल के सफल बनाने के लिये मेरा अपना विचार यह है कि सरकार पहले कुछ ऐसे आंकड़े एकत्रित करती जिनके जरिये यह ज्ञात हो सकता कि कितने काश्तकार ऐसे हैं जो इस बिल के द्वारा प्रभावित होंगे जो ४० एकड़ से ज्यादा के काश्तकार हैं और न सरकार ने ऐसा ही कोई अनुमान लगाया है कि कितनी भूमि इस सीमा-आरोपण द्वारा ऐसी होगी जो खेतिहर मजदूरों को दी जा सकेगी। हवाई आधार पर यह विधेयक चल रहा है और इस पर चार दिन से अनावश्यक बहस हो रही है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। अगर यह विधेयक लाना था तो जो बटवारे व बैनामे पिछले एक साल से हुए हैं उनको पहले बे असर करना जरूरी था। अगर उनमें एक वर्ष पहले की तारीख से पाबन्दी लगाई गयी होती तो संभव था कि कुछ जमीन खेतिहर मजदूरों के लिये बच जाती। नागपुर प्रस्ताव के बाद से ही मियाद रखी होती तब भी कुछ भूमि मिल सकती थी। २७ जुलाई से सेशन आरम्भ हुआ है वह मियाद भी नहीं रखी, १५ अगस्त की मियाद रखी जिससे ज्यादा से ज्यादा ४० एकड़ से ज्यादा के जो काश्तकार हैं वे अपनी फालतू जमीनें दूसरों को बेंचकर या बंटवारा करके दूसरों के नाम करा सकें और जो इस विधेयक से लाभ होने वाला था वह १५ अगस्त, १९५९ को मियाद रखने के कारण नहीं हो सकेगा। हम सुझाव देना चाहते हैं कि अलाभकर जोतों पर से लगान हटा लिया जाय। परती भूमि जो कि जमींदारी विनाश के समय प्रत्येक ग्राम सभा में थी उसके आंकड़े तैयार कराये जायं और जिनको ग्राम सभापतियों ने नाजायज तरीके से पट्टे दे रखे हैं वे वापस लिये जायं और वह भूमि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को दी जाय। सरकारी फार्मों पर अधिक उत्पादन कराने का प्रयत्न किया जाय जो कि आज घाटे में चल रहे हैं। कुछ गांव लिये जायं जिनमें सहकारिता द्वारा खेती करने का डिमान्स्ट्रेशन किया जाय और यह दिखलाया जाय कि सहकारिता द्वारा अधिक उपजाऊ खेती हो सकती है। यह पहले जरूरी था। किसानों को यह प्रोत्साहन दिया जाय कि जो सहकारिता द्वारा खेती करेंगे उन्हें लगान और आबपाशी में छूट दी जायगी।

उन्हें तकावी द्वारा मशीनें दी जायंगी जिससे वे अच्छे ढंग से खेती कर सकें। उनको ट्यूबवेल की सहायता दी जायगी। उनको अच्छी खाद और बीज दिये जायेंगे। सोशलिस्ट पार्टी का प्रस्ताव रहा है कि एक भूमि सेना तैयार की जाय और उसमें जिन लोगों को १०–१२ एकड़ भमि दी जाती उनसे सहकारिता के आधार पर खेती कराई जाती। उनको ट्रैक्टर दिये जाते, ट्यूबवेल दिये जाते और बड़ी मात्रा में अन्न उत्पादन कराया जाता। बहुत से काश्तकार ऐसे हैं और मैं स्वयं भी उनमें सें एक हूं जो अपने हाथ से खेती कम करते हैं मगर उनके पास ४० एकड़ या उससे अधिक खेती है और वे नौकर रख कर खेती कराते हैं। यदि उन नौकरों को उस खेती में कुछ अधिकार दिये जाते कि प्रत्येक १० एकड़ पर एक मजदूर को तिहाई या आधे का असामी मान लिया जायगा, कुछ ऐसा प्रतिबन्ध लगाया जाता तो मैं समझता हूं कि इससे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की समस्या कुछ हल होती।

सीलिंग का उद्देश्य क्या है? देहात को गरीब से ज्यादा गरीब बनाना है या देहात के के स्तर को ऊंचा उठाना है। मेरा अपना विचार है कि इस विधेयक स देहात की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। अन्न, वस्त्र और मकान की समस्या तो देहात में पहले से ही थी लेकिन जो सीलिंग की जा रही है उसका परिणाम तो यह होगा कि देहात के लोग अपने बालकों को अच्छी शिक्षा देने में भी असमर्थ हो जायंगे और जो बीमार होने पर उचित इलाज की व्यवस्था कर सकते थे उसमें भी वे असमर्थ हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि यह सीलिंग ८० फी सदी जनता पर तो लगायी जा रही है परन्तु २० फीसदी जनता पर जो शहरों में रहती है नहीं लगायी जा रही है। जरूरत इस बात की थी कि नगरों में रहने वालों पर पहले सीलिंग लगाई जाती। इंडस्ट्रियलिस्ट्स पर सीलिंग लगाते। डाक्टर, वकील, प्रोफेसर, मिनिस्टर, मेम्बर और सरकारी नौकरों की आमदनी की सीमा बांधते जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी का प्रस्ताव था कि किसी की भी आमदनी एक हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगी। जो २० फीसदी लोग हैं, जिनकी आमदनी की कोई सीमा ही नहीं है यदि पहले आप उनकी सीलिंग कर लिय होते तो आपक इस विधेयक का देहात भी स्वागत करता। परन्तु सरकार ने देहात पर तो सीलिंग लगाने की कोशिश की लेकिन शहरी जनता पर जो २० फीसदी है कोई सीलिंग नहीं लगायी। मैं सीलिंग का समर्थक होते हुये भी इस विधेयक को असामयिक, असंगत, अनावश्यक, अपर्याप्त और अनुपयुक्त समझता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले ले और अगर वह इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे तो मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये भेजा जाय ताकि जनता इस पर विचार-विनिमय कर सके और अपने सुझाव दे सके, तब इस सदन में इस पर विचार किया जाय।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। पहली समस्या यह है कि सीलिंग नियत की जाय या नहीं? मैं समझता हूं कि इस पर सदन का समय लेने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है कि सीलिंग न की जाय। असल बात तो यह है कि ४० एकड़ सीलिंग रहे या इससे कम होनी चाहिये और सब से ज्यादा जोर इसी पर है। जहां इसके उद्देश्य और कारण दिये हुये हैं वहां मंत्री महोदय ने लिखा है कि "भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को यथासम्भव मात्रा में भूमि उपलब्ध कराकर उसका अधिक साम्यपूर्ण वितरण करने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से...."। मैं जहां ४० एकड़का समर्थक हूं इससे सहमत नहीं हूं। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि खेतिहर मजदूरों को जमीन न दी जाय। मैं तो चाहता हूं कि एक-एक बीघा बची हुई जमीन उनको दी जाय। मगर मेरा मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में खेतिहर भूमिहीन मजदूरों की कोई समस्या ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है मैं आपको भूतपूर्व माल मंत्री माननीय चरणसिंह जी की पुस्तिका से सिद्ध करूंगा कि यहां ऐसी कोई समस्या नहीं है।

[श्री जगदीश प्रसाद]

माननीय चरणसिंह जी इस विषय के बड़े भारी विद्वान और पंडित हैं। उन्होंने आंकड़े दिये हैं। जहां तक भूमिहीन मजदूरों का संबंध है वह उत्तर प्रदेश में किसानों के केवल १६.१ प्रतिशत हैं। इस देश के अन्य प्रदेशों में उत्तर प्रदेश से ज्यादा हैं। आसाम में २६ प्रतिशत हैं और अन्य प्रदेशों में ३० या ३५ प्रतिशत से कम नहीं हैं। दूसरे प्रदेशों से हमारे यहां किसानों की जनसंख्या ज्यादा है केवल आसाम को छोड़कर। हमारे यहां जो इसमें दिया हुआ है कि खेती पर रहने वालों की जनसंख्या ७० प्रतिशत है यह १९५१ के आंकड़े हैं और आसाम में ७२ प्रतिशत हैं। अन्य प्रदेशों में हमारे यहां से कम हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में ऐसे प्रदेश भी हैं जिनका क्षेत्रफल हमारे प्रदेश से बहुत ज्यादा है और जनसंख्या कम है। लेकिन हम देखते हैं कि खेती करने वालों का अनुपात हमारे यहां से कम है मगर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का अनुपात कहीं ज्यादा है। आप उदाहरण के तौर पर राजस्थान को ले लें तो वहां पर भूमिहीन मजदूरों की संख्या ५४.४ प्रतिशत है और हमारे यहां १६.१ प्रतिशत है जब कि वहां का क्षेत्रफल हम से ज्यादा है। इस प्रकार से भूमिहीन मजदूरों की संख्या और कहीं हो सकती है लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि हमें खेती करने के लिये ऐसे व्यक्तियों की हमेशा आवश्यकता रहेगी जो समय पड़ने पर, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में भी है, खेती के काम में सहायता दे सकें। अगर खेती हमारे यहां कोआपरेटिव ढंग पर होगी तो वह उसके मेम्बर हो जायंगे। इसलिये भमिहीन खेतिहर मजदूरों की कोई समस्या हमारे यहां नहीं रह जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरह से भी देखें तो हमेशा आय की बात हमको देखनी होगी। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। जहां तक आय का संबंध है प्लानिंग कमीशन ने जिसका यहां बहुत जिक्र रहा ३,६०० रुपये जो आय मानी है तो वह नेट इनकम को माना है। आपने जो उसूल बनाया है उसके अनुसार उपज का पंचमांश लगान होगा। आय, लगान को निकाल कर ३,६०० रुपये होनी चाहिये। इसके माने हैं कि ४,५०० रुपये आय होनी चाहिये। इस विधेयक की धारा ४ तथा स्पष्टीकरण की धारा २९ (२) के साथ पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि कितनी-कितनी जमीन रहेगी और लगान कैसे नियत किया जायगा, क्योंकि सरकार लगान को रिवाइज कर सकती है। इस अधिकार को सरकार ले रही है। जिसको ४० एकड़ जमीन मिलेगी उस जमीन का ५ रुपये प्रति एकड़ से अधिक लगान मानते हैं तो आप दस रुपये मान लें। इस तरह से ५० रुपये प्रति एकड़ की पैदावार हुई। इसका मतलब यह है कि २,००० रुपये की उसकी आमदनी हुई। दूसरी कैटेगरी जो दी है वह ३ रुपये से लेकर ५ रुपये प्रति एकड़ लगान की है। यदि उसका अधिकतम लगा लें कि ५ रुपये लगान है तो उसको १,५०० रुपये सालान आमदनी पड़ती है। तीसरी कैटेगरी जो दी है वह तीन रुपये से कम लगान की है उसकी आय १,२०० रुपये पड़ती है और यह अधिकतम आय है। मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं जो इसके समर्थक हैं कि इसकी लिमिट कम कर दी जाय? क्या उनका यह मतलब है कि हमारे प्रदेश में किसी किसान की आय १,५०० रुपये साल से अधिक न हो, १,२०० सौ या २,००० रुपये साल से अधिक न हो और यह लगान को शामिल करके आय हो? अगर हमने चालीस एकड़ से कम किया तो इसका अर्थ यह होगा, जिसकी ओर माननीय गोविन्द सहाय जी ने इशारा किया था कि हम अपने प्रदेश में ७३ प्रतिशत जन-संख्या को इस योग्य बना देंगे कि उनमें से किसी का लड़का ऐग्रीकल्चरल कालेज, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज में न पढ़ सके, सेक्रेटरी और कलेक्टर न हो सके। केवल २७ प्रतिशत में से जिन परिवारों को दो-ढाई या तीन हजार रुपये सालाना की आमदनी हो वही इतनी ऊंची शिक्षा दे सकें। जिस शिक्षा में सौ, सवा सौ रुपये प्रतिमास का खर्चा हो उसमें यह बिलकुल असम्भव है। दूसरे मानी में इसका मतलब यह होगा कि ७३ प्रतिशत जनता को विकास से रोक देंगे। हम हमेशा के लिये उनकी हालत ऐसी कर देंगे कि कमाये जायं और खाये जायं। मजदूरी करें और पेट भर लें।

जहां तक हमारे किसान का ताल्लुक है उसमें बेरोजगारी का इतना सवाल नहीं है जितना कि अर्ध रोजगारी का है। अगर बेरोजगारी को कम करने के लिये आपने इस सीमा को कम कर दिया तो स्पष्ट है कि अर्ध-बेरोजगारी बढ़ेगी। सम्भव है कि एक दो प्रतिशत लोगों की बरोजगारी कम करें। उनको ३ १/८ एकड़ जमीन दे सकें और अर्ध-बेरोजगार बढ़ा देंगे। तो अर्ध-बेरोजगारी को आप बढ़ायेंगे। दूसरे प्रकार से देखें। मेरे पास एक गवर्नमेंट आफ इंडिया का पब्लिकेशन है। मैंने पढ़ा कि उपज क्या है हमारी। अभी माननीय गेंदासिंह कह रहे थे कि सात गुना उपज बढ़ सकती है। वाकई उसमें दिया हुआ है। जब उनको यह साबित करना हो कि उपज नहीं बढ़ी तो ऐसे आंकड़े निकाल दें कि उपज नहीं बढ़ी, परसेंटेज घटा है, सरकार खराब है और जब यह दिखाना हो कि सीलिंग कम करनी चाहिये तो यहीं से निकाल कर कोट कर दें कि इतनी उपज बढ़ सकती है। दस खेतों की बढ़ गयी हो लेकिन देश की औसत उपज नहीं बढ़ी। मैंने उत्तर प्रदेश की उपज के आंकड़े १९५२-५३ से १९५५-५६ तक निकाले। चावल की पैदावार सात मन और गेहूं की नौ मन पड़ती है। यह औसत पैदावार है। अब आप भाव लगा लीजिये। २० रुपये मन के हिसाब से गेहूं के ९ मन के दाम १८० रुपये हुए और एक एकड़ की जुताई-बोआई और कटने तक किसी प्रकार से डेढ़ सौ रुपये से कम खर्चा नहीं होगा। मैं इसकी तफसील दे सकता हूं, मैं भी किसनई करता हूं। मुझे पूरा अनुभव है। वह डेढ़ सौ रुपये से तभी लाभ उठा सकता है जब पैदावार बढ़े। किसी प्रकार से भी सोचें हमारी सीमा कम करना इस प्रदेश के लिये लाभकारी नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में ऐग्रीकल्चर कालेज हैं और हमने अभी तय किया कि रुद्रपुर में ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं। आप सोचें कि अगर यह लिमिट कर दी गयी कि हमारे प्रदेश में ऊंचा से ऊंचा किसान परिवार जो होगा उसकी आमदनी तीन हजार रुपये सालाना होगी। लगान काटकर जो कि २,४०० रुपये पड़ता है और इसमें तो २ हजार ही पड़ रहा है। और एक तरफ अभी जब डिबेट हुई थी तो काफी माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हमको विद्यार्थियों को इस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए कि वहां से पास करके आने के बाद खेती करें। तो कौन सा ऐसा ग्रेजुएट होगा जो अपनी सारी सम्पत्ति लगाकर २ हजार की सालाना आमदनी के लिए खेती करना पसन्द करेगा जबकि १२० रुपये से यहां उसकी सर्विस शुरू होती है। फिर तो आपको कालेज बन्द कर देना चाहिए और आपको सरकारी नौकरियों की जितनी आवश्यकता हो उसके लिये गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया से कह दें कि दे दें। उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को, बहुत सारे लोगों को जमीन दे देना ही उनकी उन्नति के लिए काफी नहीं है। असल में तो उनकी आर्थिक अवस्था में सुधार करना है। आज किसान की आर्थिक अवस्था के लिए अवश्यकता इस बात की है कि जो छोटे-छोटे किसान हैं उनको किसानी से अलग करके किसी दूसरे धन्धे में लगाया जाय। लेकिन आप करने यह जा रहे हैं कि छोटे किसानों की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं और बड़े किसानों को घटाने जा रहे हैं।

एक बात और इसके साथ-साथ निवेदन करूंगा। हम पहले निश्चय कर चुके हैं कि फ्यूचर होल्डिंग साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं। एक ही फार्म के लिये परिवार की दो व्याख्या अच्छी नहीं लगती कि एक जगह आप कुछ रखें, दूसरी जगह कुछ रखें। उसमें मैं यह मानता हूं कि यह गुंजाइश है कि जवान लड़का है और ले सकता है, दूसरा साढ़े बारह एकड़, दूसरा लड़का फिर ले सकता है। लेकिन अच्छा यह होगा कि उसको भी इसी स्टेज पर सेलेक्ट कमेटी में आप करेक्ट कर दें और हमारी सीलिंग दोनों के लिए ४० एकड़ हो।

एक और बात जिसके ऊपर खासतौर से बहस हुई वह है प्रतिकर के सम्बन्ध में कि भूमिधर को प्रतिकर ज्यादा क्यों दिया जाय और सीरदार को कम क्यों दिया जाय? अभी

[श्री जगदीश प्रसाद]

हमने कुछ दिन पहले यह वायदा किया तमाम प्रदेश से कि ४० साल तक उसको यह एमेनिटीज होंगी। आज हमारे लिए यह किसी तरह से उचित नहीं है कि हम उस डिफरेंस को न रखें दोनों की नौइयत अलग हैं, अतः दोनों के प्रतिकर के रेट में अन्तर होना बिलकुल न्यायपूर्ण है।

एक बात मैं और कहूँगा। जमीदारी एबालीशन के सिलसिले में यह बहुत से लोगों के दिमाग में आया कि अगर ऐसा हो जाता कि दस गुना लेने की इजाजत उन्हीं जमीन्दारों को दे दी जाती तो गवर्नमेंट को इतनी परेशानी उठानी न पड़ती। मैं निवेदन करूँगा कि आज जो अतिरिक्त भूमि उनके पास रहेगी उस भूमि को इन्हीं प्रतिबन्धों के साथ उन्हीं को उठाने की इजाजत दे दी जाय जिनकी कि वह जमीन है, वह स्वयं उसका बन्दोबस्त कर देते तो ऐसे किसानों, मासूमियों के साथ जिनक पास १२ १/२ एकड़ से कम है या अन्य प्रतिबन्धों के साथ तो साढ़े नौ करोड़ के खर्चे की बचत हो जाय और कार्य में भी कुछ सुविधा हो जाय।

एक और चीज पर बहस हुई १५ अगस्त की तारीख के बारे में। यह चीज जरूर है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इस कानून के आने की बात सुनकर अपने भाई और बेटों आदि के नाम जमीन को तक्सीम कर दिया है यह सही है कि कानूनन उनको बैनामा करने का हक था। लेकिन यह मैं कहना चाहूंगा कि जिस ट्रांसफर से इस विधेयक का मतलब खत्म होता हो उस ट्रांसफर की मियाद बदल देने में, १५ अगस्त के बजाय और कोई पहली तारीख कर देने में कोई हानि नहीं है। उसके ऊपर विचार किया जा सकता है।

इसके आलावा कुछ खास अधिकार इस विधेयक में सरकार ने लिये हैं रिवाइज करने के मालगुजारी में, यहां तक कि जिनकी मौरूसी मालगुजारी है उसको भी रिवाइज किया जा सकता है। यह मैं समझता हूं कि इस कानून को लागू करने के लिये सरकार को चाहिये भी था। परन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन अधिकारों को इस्तेमाल करने में बहुत सतर्कता बरतनी चाहिये बहुत काशश रहना चाहिये। ऐसे कड़े नियम हों कि स्थानीय अधिकारी स्वेच्छाचारिता से काम न कर सकें और लोगों को हानि न हो।

*श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्तुत विधेयक पर जो माननीय राजा बीरेन्द्रशाह ने संशोधन दिया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक, जो हमारे सामने पेश किया गया है, अनावश्यक है और मेरे विचार से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से और माननीय मन्त्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन्हीं के आंकड़ों के हिसाब से ९० लाख एकड़ जमीन इस प्रदेश में काबिले जरात बंजर पड़ी हुई है जिसको यह सरकार नहीं बढ़ा सकी, न बना सकी और न बनाकर खेतिहर मजदूरों को दे सकी। बल्कि जिन्होंने परिश्रम से बनाया था उनसे निकालने की फिक्र है और उस ९० लाख का कोई खयाल नहीं है। उनसे जो जमीन ६ लाख एकड़ निकाली जायगी उसके लिये ९ करोड़ रुपया मुआवजे का उनको देना पड़ेगा। लेकिन आप गौर करें कि इस ९ करोड़ रुपये को बचाया जा सकता था और ९० लाख एकड़ में से कम से कम १० लाख एकड़ जमीन तोड़कर उन किसानों को दे सकते थे। तो इसलिये भी यह अनावश्यक है और निरर्थक है और किसी काम का नहीं है।

दूसरी बात यह है कि आप इस बात पर भी ध्यान दें कि शायद इस सदन को और इस मन्त्रिमंडल को यह अधिकार नहीं है कि वह इस सीमा आरोपण विधेयक को प्रस्तुत करे। उसका स्पष्ट कारण है। इसमें स्पष्ट उन्होंने यह कहा है कि ३०० रुपये से अधिक किसी की आमदनी नहीं होनी चाहिये एक महीने में और ३,६०० रुपया नेट इन्कम हो तो जो आदमी दो हजार या तीन हजार तनख्वाह ले रहे हैं उनको क्या अधिकार है कि वह यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहें। मान्यवर, आपके ऊपर जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र लगा हुआ है, म उनके एक वाक्य को याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि उनका कथन था कि जो लोग खुद अपना काम नहीं कर सकते वह दूसरों को सलाह न दें। जो आदमी चरखा खुद न चलाये वह दूसरों को चरखे की सलाह न दे। यहां पर यह उप-मंत्री महोदय बैठे हुये हैं। इत्तफाक से इस समय ठाकुर साहब नहीं हैं। शुक्ल जी बैठे हुये हैं। आज आप किसके वजीर हैं। आज आप गवर्नर के मन्त्री हैं या इस देश के भूखों नंगों के मन्त्री हैं। जो गैलरी में बैठे हुय हैं उनके आप मन्त्री हैं। आप उनके मंत्री है जिनकी औसतन आमदनी १८२ रुपया है और जो देहात में बसते हैं। उनकी एक दिन की आमदनी आठ आना है। मैं माननीय सदस्यों से कहता हूं कि जो यहां पर जनता के प्रतिनिधि आये हैं उनको १० रुपना रोज यहां पर मिलता है लेकिन क्या किसी ने कहा कि यह नाजायज है और इसको खत्म करना चाहिये। यह किसी ने नहीं कहा। इस सीमा आरोपण विधेयक में यह कहा गया है कि जिसके पास १० बीघा जमीन है या उसके बाप दादा ने परिश्रम करके जंगल काटा और बन को उजाड़ कर खेती के योग्य बनाया आज उसको लेने की फिक्र है। इसलिये मैं कहता हूं कि इनको क्या अधिकार है। इसके उद्देश्य में चाह कुछ भी हो लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है।

यह कहते हैं कि सहकारी खेती करेंगे और उस पर उनके उद्देश्य में यह कहा गया है कि सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिये यह विधेयक लाये हैं। मैं कहता हूं कि क्या वाकई आपको सहकारिता करने का हक हासिल है। जब आप रोज आपस में लड़ते हैं और इतने आदमियों में ही सहकारिता नहीं कर पाये तो सारे आदमियों में कैसे सहकारिता कर पायेंगे। आप गलती की तरफ लोगों को आह्वान कर रहे हैं। इसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा और देश तबाह होगा। इस सहकारिता की बदौलत हम मरेंगे। आज जैसी हालत बिगड़ती चली जाती है उससे दुगुनी हालत बिगड़ेगी और खेतिहर मजदूर की हालत भी खराब होगी। कुछ लोगों ने कहा कि छोटे पौधे लगा लिये गये हैं बागों की शक्ल में अपनी जमीन को बचाने के लिये लेकिन अगर एक पेड़ भी लग गया तो उस पर खेती नहीं हो पायेगी और उस पर अन्न भी पैदा नहीं होगा। वह पेड़ जब तैयार होंगे तो फल देंगे। तो इस सीमा आरोपण विधेयक से इस प्रदेश का कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह जनहित में नहीं है और इससे किसी प्रकार का कल्याण नही हो सकता। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, और बहुत-सी बातें इसमें लायी गयी हैं। जो विचार व्यक्त किय गये हैं और जिस आधार पर यह बिल लाया गया है, मैं समझता हूं निश्चित रूप से कि वह किसी कल्याणकारी भावना के लिये नहीं है। सहकारी खेती कैसे चलेगी और उसका आधार क्या होगा, हिसाब क्या होगा ? आप देखें कि प्रदेश में जितनी सहकारी समितियां हैं, इस आदरणीय सदन और श्रीमन्, को मालूम होगा कि उनमें शायद ही कोई ऐसी अछूती बची हो जिसमें लाखों रुपयों का गबन न हो और कितने करोड़ का गबन इस सहकारी विभाग में आज तक हो चुका है, तो इनसे क्या होगा। यह ४० एकड़ की बात रखकर सरकार किसानों का भरोसा तोड़ना चाहती है ताकि वे अपना साहस छोड़ दें और इनकी बातों पर विश्वास कौन करे। आज के जो न्याय और माल मंत्री हैं, जब जमींदारी टूटी थी तो ये ही माल मंत्री थे। उस समय मैं जिला कांग्रेस का प्रेसीडेंट था। मैंने गोंडा जिले में कई मीटिंगें आर्गनाइज कीं और उनमें हमारे माननीय माल मंत्री जी ने कहा कि अगर तुम दस साला लगान जमा कर दो तो मजाल नहीं कि कोई तुम्हारी एक सुई बराबर जमीन भी निकाल ले। आज वही जमीन छीनने के लिये तैयार हैं। उनका वायदा कहां चला गया ? कौन उनका विश्वास करेगा ? तो इस व्यवस्था को बिगाड़ कर, दुर्बल करके सरकार अपने ऊपर आरोप न लगवाये। मैं आपके सामने इस मंत्रिमंडल को और इस आदरणीय सदन को चुनौती देता हूं कि अगर वास्तव में उनके दिल म देश की गरीबी दूर करने की बात है तो वह जिनके वजीर हैं, आज उनकी आमदनी ८ आना रोज है और अगर शहरी आमदनी मिला ली जाय तो १२ आना रोज है, अगर शुक्ल जी कह देंगे कि हम वही तनख्वाह लेते

[श्री बलदेवसिंह]

है तो मैं अपना भाषण बन्द करके बैठ जाऊंगा और समझूंगा कि यह दिन प्रदेश के लिये भाग्यशाली दिन है।

लेकिन श्रीमन्, दशा बिगड़ती जाती है। इस विधेयक में एक और विचित्र बात है। जमीन हमारी और छोटे-छोटे लोगों की लेंगे, लेकिन इससे महाराजाओं की जमीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी जमीनें नहीं लेंगे और आज तक साल में जो कोई १० हजार या १५ हजार लार्ज लैंड होल्डिंग टैक्स देता था उससे भी उनको छुटकारा दे दिया गया है। वह ऐक्ट भी ३० जून, १९६० से रिपील हो जायगा। श्रीमन्, इसमें एक बड़ा जबरदस्त अन्याय होने का अन्देशा है और उसके लिये मेरा नम्र निवेदन है। इसमें यह है कि जो जमीन बचेगी उसका प्रबन्ध भी वही करेंगे और श्रीमन्, प्रबन्ध करेंगे वह जो कृषि विभाग के कृपा पात्र होंगे। जो कृपा पात्र होंगे उनको तो कह दिया जायगा कि वे उपयुक्त व्यक्ति हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त व्यक्ति को वह जमीन दी जायगी, लेकिन यह उपयुक्त व्यक्ति है, यह आंकेगा कौन? हमारे माननीय मोहनलाल गौतम जी। आज इस सदन में मैं प्रत्यक्ष रूप से कह सकता हूं कि उन्होंने लाठी भी चलवायी, गोली भी चलवायी और इस सदन के कई सदस्य गिरफ्तार हैं और उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। वह इसका आंकन करेंगे। तो मैं श्रीमन्, आपके सामने इस देश की दुर्दशा और दरिद्रता को लाने के जिम्मेदार लोगों को पोषक बनाने के लिए जो सरकार कदम उठाने जा रही है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं।

एक बात और रह गई कि यंत्रित कृषि के कुछ फार्म होंगे और जिसको उचित समझेंगे उसको दे देंगे। आप गांव में जाकर देखिए कि किसी के पास बन्दूक का लाइसेंस है, अगर वह जरा भी थानेदार की मरजी के खिलाफ गवाही देने के लिए न जाय तो उसको बन्दूक नहीं मिल सकती, वह निकाल दिया जायगा, कोई ताकत नहीं कि वह बन्दूक रख सके। वैसे ही ये भी लोगों को अपना कृपा पात्र बना कर पददलित करेंगे। जो वोट दिलाये, रात-दिन इशारे पर नाचे, वही कृपा-पात्र गांव में हो सकते हैं और उन्हीं को जमीन मिलेगी।

इसमें यह भी लिखा है कि 'भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को यथासम्भव मात्रा में भूमि उपलब्ध कराकर उसका अधिक साम्यपूर्ण वितरण करने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से....' तो इसमें जो यह 'वितरण करने' की बात कही है, इस दिखावटी, जो बिल की मंशा है उसमें किसी को कुछ जमीन मिलेगी भी? श्रीमन्, एक इंच जमीन किसी को मिलने वाली नहीं है। इसको पढ़ें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर १५ एकड़ से ज्यादा जमीन मिलेगी तो वह रजिस्ट्रीकृत फार्म के रूप में दी जायगी और उससे कम होगी तो उसी रूप में दी जायगी। किसी गरीब को एक इंच जमीन मिलने वाली नहीं है। इससे प्रदेश को कोई लाभ होने वाला नहीं है, न इससे कोई कल्याण हो सकता है और न सहकारिता सफल हो सकती है।

अन्त में माल मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह मेरे एक सुझाव को मान लें तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई विरोधी पक्ष में बैठे हुए भाई इस विधेयक का विरोध नहीं करेंगे और इसका स्वागत करेंगे। चाहे सीलिंग एक एकड़ पर या सवा एकड़ पर रहे लेकिन इस मंत्रिमंडल की तनख्वाह भी उसी रूप से होनी चाहिए और एम० एल० ए० लोगों को, विधायकों को भी वही ८ आने और १२ आने रोज भत्ता मिलना चाहिए और मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी १२ आने रोज से अधिक हरगिज नहीं मिलना चाहिए। अगर इसको मान लें तो पूरा स्वतंत्र दल और विरोधी दल आज ही बैठ जायगा कि विवाद बन्द कर दो और सीलिंग को मान लेगा।

श्री जगदीश नारायण (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि करीब एक साल के बाद मुझे सदन में बोलने का मौका मिला। प्रस्तुत बिल पर कई रोज बहस होते हो गये और मैंने काफी लोगों के भाषण काफी ध्यान से सुने। जहां तक सीलिंग

का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि चंद गिने चुने लोगों को छोड़कर जो कि स्वार्थवश या निजी परिस्थितियों के कारण इसका विरोध कर रहे हैं, सभी इसको मानते हैं। यह दूसरी बात है कि लोग यह कहें कि सीलिंग कितने पर होनी चाहिए और इस पर काफी विवाद अब तक हो चुका है और हो रहा है लेकिन जहां तक सीलिंग की बात है उसका चन्द लोगों के अलावा सबने स्वागत किया है। मैं इस बिल को रैडिकल तो नहीं लेकिन प्रोग्रेसिव जरूर कह सकता हूं। इसमें काफी ऐसी धारायें भी हैं जिनसे मैं इत्तफाक नहीं करता हूं लेकिन जहां तक सीलिंग का सम्बन्ध है, सरकार की ओर से जो ४० एकड़ की सीमा रखी गई है, यद्यपि उसका कोई खास सिद्धांत तो नहीं है क्योंकि वह ४० एकड़ के इधर-उधर, ४५ या ३५ एकड़ भी हो सकती थी, लेकिन मेरी राय में वह एक मुनासिब सीलिंग है। जहां तक मैं समझता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने एक सिद्धांत बताया था कि ३६ हजार रुपये की इनकम होनी चाहिये और एग्रीकल्चर टैक्स जो निश्चित किया गया वह १५ रुपये एकड़ आमदनी बतायी गयी है। इस प्रकार जो सीलिंग हो ४८ एकड़ तक हो सकती थी और जो ४० एकड़ सीलिंग रखी गई है वह बिलकुल मुनासिब है।

जो लोग ६ एकड़ या १२ एकड़ की बात कहते हैं उसमें कुछ सदस्य अवश्य ऐसे हैं जो इमानदारी से महसूस करते हैं कि सीलिंग कम होनी चाहिए लेकिन ज्यादातर, जहां तक मैं समझता हूं उसमें या तो वह बड़े-बड़े लोग हैं जिनकी जमींदारियां खत्म हो गईं और उनके पास जमीन भी नहीं रह गई। मेरा निश्चित मत है कि जो सीलिंग की गई है इससे बड़े-बड़े फार्म नहीं रह सकते। ४० एकड़ हो, चाहे ८० एकड़ हो, लेकिन जो आज बड़े-बड़े फार्म हैं देहातों में, वह इस स्थिति में नहीं रह सकते या दो-चार वर्ष के बाद खत्म हो जायंगे। या जिन लोगों को किसानों से पुरानी दुश्मनी थी, जो जूते के नीचे किसानों को रखना चाहते थे या अब भी चाहते हैं जिनको बराबर नहीं रखा जाता था, वह समझते हैं कि सीमा इतनी कम कर दी जाय कि किसान की हैसियत मिट जाय और वह उनकी बराबरी में न आ सकें। एक वह लोग हैं जो यह समझते हैं कि सरकार जो सीमा निश्चित करेगी वह करेगी ही और उनके पास चूंकि जमीन कम है इसलिये उनके लिये यह एक अच्छा नारा हो सकता है यह कहकर कि ६ करोड़ की सीमा हो जाय या उसके आस-पास हो जाय। इस तरह की बात में मुनासिब नहीं समझता। ४० एकड़ या उसके आस-पास जो सीमा निश्चित हो जाय उसको मैं मुनासिब समझता हूं।

अब इसमें जहां तक और खामियों का ताल्लुक है, इसमें जो परिवार की परिभाषा की गई है उसको मैं बिलकुल नामुनासिब समझता हूं। मैं समझता हूं कि जब हम ईमानदारी से महसूस करते हैं कि ४० एकड़ की जमीन किसी के पास रखने के बाद उसके लिये लाभप्रद जोत हो जायगी तो फिर कोई माने नहीं हैं कि वह ४० एकड़ से ज्यादा जमीन रख सके। इसमें एक क्लाज यह भी है कि अगर किसी का बच्चा, उसके नाम जमीन अलग लिखी गयी है तो वह अलग मान लिया जायगा मैं इसको न्यायपूर्ण नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि उन लोगों के पक्ष में यह बात जाती है जो सोसायटी में चतुर हैं या होशियार हैं। साधारण आदमी जो हैं वह तो समझते थे कि सरकार ४० या ३० एकड़ जो तय करेगी वह ज्वाइन्ट फेमिली में बट जायगा और उसी हिसाब से कागज रखे हैं। जो चालाक किस्म के लोग हैं उन्होंने तो जमीन को अपने बच्चों के नाम कर दिया और जो सीधे किस्म के लोग थे उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे नुक्सान में रह जायेंगे। जिन्होंने आप पर भरोसा किया वह नुक्सान में रह जायं, यह मुनासिब नहीं है। इसलिये आपने जो ४० एकड़ की सीमा रक्खी है वही ठीक है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

आपने एवरेज क्वालिटी आफ लैंड की जो बात कही है, वह भी नामुनासिब है। अगर ५ रुपये से कम रेट की जमीन है तो उसके पास ६० एकड़ जमीन हो जायगी। लेकिन अगर ३ रुपये से कम रेट की जमीन है उसके लिये हो जायगी ८० एकड़। लेकिन अगर ३ बच्चे से उसके ज्यादा हैं तो २४ एकड़ और मिलेगी। इस प्रकार आपके जो एक्जेम्प्शन्स हैं उनके कारण एक एक आदमी पर १२८ एकड़ तक जमीन पहुंच जाती है।

[श्री जगदीश नारायण]

इसके अलावा यह सही है कि कहीं जमीन खराब है कहीं अच्छी है। जहां तक पहाड़ी प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, भूड़ और रेगिस्तान की बात है, सरकार उसको एक्जामिन कराये। जो खराब जमीनें हैं उनका कम रेट मुकर्रर कराये। लेकिन उसको मैं बिल्कुल उचित नहीं समझता हूं कि ४० एकड़ के बाद भी जो लीकेज वाली धारायें रक्खी गयी हैं। इन धाराओं को निकाल दिया जाय ताकि आपकी मंशा पूरी हो सके।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल यह है कि मेरठ में ४० एकड़ में ३० हजार आप पैदा करें और हमारे यहां १२० एकड़ में भी वैसा न हो।

श्री जगदीशनारायण--जो बात मैं कहना चाहता हूं वही आप भी कह रहे हैं। इसके बाद जो और खराब धारा मुझे लगी वह धारा १३ है। उसमें आपने बागात को एक्जेम्प्शन दिया है। यह हम जानते हैं कि जब तक बागात नहीं होंगे हमारे देश की हालत ठीक नहीं हो सकती। लेकिन सरकार उनकी तादात निश्चित करे। सरकार अपने तरीके से बाग लगाये। आपको यह करना चाहिये कि कोई भी आदमी १० एकड़ से अधिक बाग न लगा सकेगा। लेकिन जहां तक आपने तारीख निश्चित की है कि मई, ५९ में जो बाग होंगे वे बाग माने जायेंगे, मुझे इस पर बड़ा एतराज है। इसकी जगह कम से कम मई, ५८ होना चाहिये। मेरे कुछ साथी मलीहाबाद गये थे जिनसे मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि आजकल बाग बहुत लग रहे हैं। अगर आप मई, ५९ इसको तिथि मानेंगे तो कागज के इन्दराज में तो वह आयेगा नहीं, फिर एतराज करने पर उसकी दुरुस्तगी करनी पड़ेगी। इसलिये मैं यह निश्चित समझता हूं कि आप इन बागों की तिथि मई, ५९ के बदले मई, ५८ कर दें। क्योंकि दिक्कत यह है कि हम जो कुछ बहस करेंगे वह उन आंकड़ों के आधार पर बहस करेंगे जो गांव का पटवारी हमको देता है। और गांव के पटवारी या लेखपाल के आंकड़े किस तरह के होते हैं, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसको सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यह ठीक है कि हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि इसे एक साल के लिये हटा दें और जो बाग के इन्दराज की तिथि मई, ५९ है उसके बदले मई, ५८ कर दें ताकि जो हजारों बीघे बाग लग रहे हैं वे न लग सकें।

जहां तक इस सब क्लाज (२) का सम्बन्ध है, मुमकिन है मैं गलत समझा हूं लेकिन जहां तक उसका सम्बन्ध है यह क्लेरिफिकेशन होना चाहिये कि किस परपज के लिये जमीन होगी तो उसे एग्जेम्ट कर देंगे। इससे एक खतरा यह है कि शुगर फैक्टरीज के पास बड़े-बड़े फार्म्स हैं और शुगर की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है तो कहीं शुगर फैक्टरी वाले उसका यह इन्टरप्रेटेशन न करें कि हमारे इंडस्ट्रियल परपज के लिये ये फार्म्स हैं। इसलिये उसका क्लेरिफिकेशन होना चाहिये और उसमें सीमा निश्चित होनी चाहिये।

मकानों की बात कही गयी कि वे रेजिडेंशियल परपज के लिये जमीन रख सकते हैं। तो उसकी भी सीमा निश्चित होनी चाहिये कि कोई आदमी अपने मकान के लिये कितनी जमीन रख सकता है। जैसा उसका उद्देश्य है, जो उसका लक्ष्य है, मैं समझता हूं कि इस धारा १३ में संशोधन कर दिया जाय तो मैं इसको अपनी जगह बिलकुल पूरा समझूंगा। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल अभी सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है और जिस पर हम आज विचार कर रहे हैं वह नागपुर प्रस्ताव की रस्म अदायगी के रूप में आया है। रस्म अदायगी के रूप में मैं इसलिये कह रहा हूं कि नागपुर के अन्दर कांग्रेस संस्था ने इस बात का निर्णय किया कि सीलिंग लागू होनी चाहिये क्योंकि वह आज के युग की और जनता की मांग है। लेकिन उसी पार्टी के

माननीय गोविन्दसहाय जी की स्पीच सुनने के बाद, श्री नवलकिशोर जी की स्पीच सुनने के बाद और श्री जगदीशप्रसाद की स्पीच सुनने बाद मेरी निश्चित रूप से यह धारणा बन गयी है कि स्वतंत्र पार्टी के लोग जिस बात को कहना चाहते हैं उसी बात को ज्यादा मजबूती के साथ कांग्रेस के अन्दर बैठे हुए लोग आज कह रह हैं। वही इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कांग्रेस को जनता के बढ़ते हुए आन्दोलन से मजबूर हो कर इस बिल को लाना पड़ा और चूंकि अब बगैर इस बिल को लाये वे रह नहीं सकते थे इसलिये मजबूरी के साथ उन्होंने इस बिल को सदन के सामने प्रस्तुत किया। सन् ४८ में जब डाक्टर पट्टाभि सीतारमैया कांग्रस के प्रेसिडेंट थे तो उस समय डाक्टर कुमारप्पा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी थी। उस कमेटी ने सन् ४८ में इस बात की सिफारिश की थी कि हमारे देश की जनता के हित में यह लाजिमी है कि यहां हदबन्दी लागू की जाय। लेकिन सन् ४८ के बाद कांग्रेस उस प्रस्ताव को, उस रिपोर्ट को अमल में नहीं ला सकी और मौन बैठी थी। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस सरकार की और इस सरकार के कर्णधारों की यह निश्चित धारणा है कि हदबन्दी नहीं होनी चाहिये। प्लानिंग कमीशन पिछले सात साल से बराबर कह रहा है कि इस तरह की चीज लाई जाय लेकिन सदन के लोगों को और जनता को बराबर चकमा दिया जाता रहा है और इस बात की वकालत करने के लिये यहां के भूतपूर्व मालमंत्री चौधरी चरणसिंह लखनऊ से दिल्ली जाते थे कि सीलिंग की आवश्यकता नहीं है और वह जनता के हित के विरुद्ध है। लेकिन मजबूरन उनको यह विधेयक अब लाना पड़ा, नागपुर के फैसले के बाद यहां की सरकार मजबूर हो गई और उसके फलस्वरूप यह बिल लाया गया और यू० पी० के रंगमंच पर यह नाटक खेला जा रहा है और जनता को धोखा देने की कोशिश की जा रही है कि हम इसके द्वारा उसकी मांगों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन वह जनता जिसकी मांगों ने जिस के आन्दोलन ने सरकार को यह बिल लाने के लिये मजबूर किया है और सरकार के पूर्व निर्णयों को जिस ने बदलवाया वही जनता और उस का बढ़ता हुआ आन्दोलन और जनशक्ति सरकार को मजबूर करेगी कि वह आम जनता के हित में सही सीलिंग और उस का सही स्वरूप लावें ताकि जनता का लाभ हो।

माननीय गोविन्दसहाय जी ने बड़े सिद्धान्त बताये और कहा कि सोशल जस्टिस के नाम पर ४० एकड़ से कम जमीन एक परिवार के पास न होनी चाहिये और अगर यह सीलिंग ५० एकड़ तक भी रखी जाती तो उनकी राय में अधिक नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस से भी कम अगर हम रखेंगे तो हमारे यहां विलेज लीडर्शिप पैदा न होगी। मैं जानना चाहता हूं कि ४० एकड़ से ऊपर रखने से सोशल जस्टिस कैसे होगी? उनके सोशल जस्टिस का मयार या पैमाना क्या है जिस के हिसाब से वह सीलिंग की बात करते है जो यहां के आंकड़े हैं और जो यहां की वास्तविक परिस्थिति है उसे देखें तो आपको मालूम होगा कि हमारे देश में ४० प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिन के हाथ में १ एकड़ से कम प्रति व्यक्ति जमीन है और ४० प्रतिशत जनता के पास एक प्रतिशत से कम जमीन है।

अब हमारे प्रदेश की क्या परिस्थित है इसे देखा जाय। हमारे यहां ३ प्रतिशत लोगों के हाथ में प्रदेश की कुल जमीन का चौथाई हिस्सा है और ९७ प्रतिशत जनता के हाथ में ७५ प्रतिशत जमीन है। यह यहां का सोशल जस्टिस है और इसी की रक्षा के लिए सरकार और उधर के लोग खड़े होते हैं। मैं चाहता हूं कि वह सोशल जस्टिस की परिभाषा को और उसकी भावनाओं को फिर से अध्ययन करें। लेकिन सदन को न मालूम क्यों चकमा देने की कोशिश की जाती है और इस तरह की चीज लाई जाती है। हमारी पार्टी का इस विषय में एक निश्चित मत है कि सीलिंग साढ़े १२ एकड़ से २० एकड़ तक होनी चाहिए, राज्य के मुख्तलिफ भागों में उसकी अलग-अलग सीमा हो सकती है लेकिन किसी हालत में भी २० एकड़ से अधिक न होनी चाहिए। चूंकि हमारे यहां जनसंख्या का भार अधिक है और जमीन कम है ऐसी हालत में मुनासिब यही है कि जमीन चाहे खराब भी हो किसी हालत में २० एकड़ से अधिक किसी के पास न हो। आप देखें कि इस बिल

[श्री चन्द्रजीत यादव]

में सीलिंग ४० एकड़ से शुरू होती है और १२८ एकड़ तक जाती है और अगर उसमें बाग का १० एकड़ रकबा भी शामिल कर दिया जाय तो वह १३८ एकड़ तक पहुंचती है। हमारे देश में ही एक प्रदेश आसाम है वहां पर सीलिंग ५० एकड़ की रखी गई है हर हालत में बंगाल में २५ एकड़ से अधिक नहीं है, जम्मू और काश्मीर में २२·७५ एकड़ पर और पंजाब में वह ३० एकड़ पर रखी गई है लेकिन हमारे यहां १३८ एकड़ तक इसको ले जाया गया है। इसके अलावा और जो दूसरी जीजें या २८ अपवाद इस बिल में हैं उनको देखने से यह साफ हो जाता है कि यह केवल सीलिंग का एक मखौल मात्र है और मान हुए सिद्धांत के प्रतिकूल यह बिल सदन में लाया गया है। कहा गया कि अगर १५ या १२ एकड़ पर सीलिंग की जायेगी तो उसे जनता का बहुत बड़ा भाग प्रभावित होगा। और जनता के साथ अन्याय होगा। अगर हम इस बात का परीक्षण करें कि यदि १५ एकड़ पर सीलिंग होती है तो सूबे की जनता का कितना भाग प्रभावित होगा। १५ एकड़ सीलिंग करने के बाद प्रदेश की जनता के केवल ४ फीसदी पर इसका प्रभाव पड़ता है। उन ४ फीसदी के हितों के लिए ९६ फीसदी के हितों के ऊपर आघात करना ही सोशल जस्टिस है?

दूसरी बात कही गई कि इंजीनियर कैसे पैदा होंगे, डाक्टर कैसे होंगे, क्लेक्टर और एस० डी० ओ० कैसे होंगे हमारे सूबे के अन्दर। जो आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं, हमारे मंत्री महोदय जो प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनसे स्पष्ट है कि आज प्रदेश की ८० फीसदी जनता के लोग, सरकार की गजटेड सर्विसेज के अन्दर एक परसेन्ट से भी कम हैं। क्या आप चाहते हैं कि केवल चन्द लोग जो बड़े-बड़े सरकारी पदों पर होते थे, इंजीनियर होते थे उन्हीं की रक्षा करें? ८० फीसदी जनता की तरफ क्यों नहीं देखते कि उस जनता का क्या होने वाला है। यह बिल जो आया है और जिस प्रकार इसका विरोध हो रहा है इससे स्पष्ट है कि यह नागपुर के प्रस्ताव को सही मानों में लागू नहीं करना चाहता है। नागपुर के प्रस्ताव के बाद हमारी पार्टी ने चेतावनी दी थी कि जनता के बढ़ते हुए दबाव-स्वरूप इस प्रस्ताव को लाया गया है। लेकिन जनता में काम करने वाले लोग यदि शान्त हो जाएंगे, जनता इस बात पर विश्वास करके बैठ जायगी कि हमारी मांगें मान ली गईं तो धोखा होगा। इसलिये जन-आन्दोलन करके सरकार पर दबाव डाला जाय कि जिन मांगों पर वह वायदे करती चली आ रही है उनको पूरा करे। जिस संदेह को हमने सरकारी नीतियों के अन्दर, उस प्रस्ताव के अन्दर और सरकार के जिम्मेदार लोगों की भावनाओं के अन्दर प्रकट किया था उसकी इस बिल से पुष्टि होती है। इसलिये गरीब जनता के हितों की रक्षा के लिये इस बिल को जनता में भेजा जाय और इस बिल का पर्दाफाश उनके सामने किया जाय।

एक बात और कही गई कि सीलिंग की जरूरत नहीं है बल्कि फ्लोरिंग की जरूरत है। कम से कम जमीन की सीमा निर्धारित होनी चाहिए, अधिकतम सीमा निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। यह किसका नारा है? यह उनका नारा है जो चाहते हैं कि गरीब जनता के पास जो एक-दो एकड़ जमीन है वह भी छीन ली जाय। कहा जाता है कि जमीन न दी जाय, बड़े-बड़े उद्योग-धंधों में हिस्सा दिया जाय और उद्योग-धंधों में सरकार उनको सहायता दे। आज १२ साल के अन्दर गरीब जनता को कितनी सहायता दी है उद्योगों के लिये और कितने उद्योगों में हिस्सा दिया है?

कहा गया कि जो बड़ी-बड़ी तनख्वाह पाते हैं उन पर सीलिंग हो। सिद्धान्ततः किसी को इससे विरोध नहीं है। यह बात सही है, होनी चाहिये। आज सरकारी नौकरियों में निम्नतम वेतन निश्चित करें और उच्चतम वेतन की सीमा भी निश्चित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचे। दूसरी इंकम करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी सीलिंग लगनी चाहिए। बड़े-बड़े उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों के नाम पर कि जब तक सीलिंग इंकम के ऊपर, पे के ऊपर न लगे तब

तक जमीन के ऊपर भी न लगे यह सीलिंग को न करने देने का नारा है। और इस बहाने के ऊपर सीलिंग को नहीं टाला जा सकता। प्रदेश तथा देश की ८० प्रतिशत जो गरीब जनता है जो कृषि पर निर्भर है वहां सब से पहले अगर कोई समस्या सुलझानी है तो जमीन और किसान की समस्या है और इसको प्राथमिकता देनी चाहिये। इस बिल के अन्दर धारा (४) के अन्दर जो परिवार की परिभाषा की गई है उसको देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार इस बिल को सही माने में कार्यान्वित नहीं करना चाहती। इस धारा के अन्दर कहा गया है अगर एक आदमी भी अकेला एक परिवार में होगा तो ४० एकड़ जमीन रखेगा। यदि सरकार की परिभाषा के मुताबिक ५ रु०, ३ रु० से कम की जमीन हो तो ६० एकड़ हो जायगी और ३ रु० से नीचे हो गई तो ८० एकड़ हो जायगी। तो एक आदमी ८० एकड़ रखने का हकदार हो जाता है। आप कहते हैं हम गरीबों को जमीन बांटना चाहते हैं। प्रदेश के सर्वे से यह स्पष्ट हो जाता है कि ४० एकड़ यदि अधिकतम सीमा निश्चित की जाती है तो केवल ५ लाख एकड़ जमीन निकलती है। लेकिन यह बिल १२८ एकड़ से ऊपर ले जाता है ऐसी दशा में २ लाख से ऊपर जमीन नहीं निकल सकती है। और जिस प्रकार से परिवार की परिभाषा है जिस प्रकार स मेकेनाइज्ड फार्मों और २८ किस्म के अपवाद के रूप में रखे हुए हैं उनको देखने से एक इंच भी जमीन नहीं निकलेगी और सरकार उल्टे साढ़े ९ करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में देगी।

तीसरी बात इस बिल के अन्दर कही गई है कि १५ अगस्त क बाद जो बंटवार हुए होंगे जो ट्रांसफर लैंड के हुए होंगे उनको सरकार इल्लीगल समझेगी। नागपुर प्रस्ताव पास हुआ उस प्रस्ताव के पास होने के बाद कांग्रेस ने बड़ी-बड़ी मीटिंग करके अखबारों के जरिये इस बात का धुंआधार प्रचार किया कि हम सीलिंग करने जा रहे हैं उसके बाद क्या प्रदेश के वे लोग जिनके पास जमीन थी जिनके स्वार्थ जमीन के साथ नत्थी थे, चुप बैठने वाले थे? उसके बाद ही बड़े-बड़े भूस्वामियों ने अपनी जमीन को ट्रांसफर किया, घरों के अन्दर बटवारा किया। उसके बाद यह कहना कि सीलिंग करेंगे एक मजाक की बात है। ईमानदारी इस बात में है और उस भावना को हम तब सही मानेंगे कि जिस दिन से नागपुर का प्रस्ताव पास हुआ उसके बाद से तमाम ट्रांसफर को आप इल्लीगल करार दें वरना जमीनन ही निकलने वाली है। हमारे जिले के अन्दर एक बहुत बड़े रईस थे जिनके पास सैकड़ों बीघे जमीन थी और सरकार ने खुद उस जमीन को ८०० रु० प्रति एकड़ के हिसाब से अभी दो महीने पहले खरीदा। हरषचन्द बड़े रईस थे उनके लड़के के पास जमीन थी केवल दो आदमी उस परिवार के अन्दर थे, वह खुद और उनकी पत्नी और उनके बीच में ५००, ६०० एकड़ जमीन थी उन्होंने देखा जमीन नहीं बचेगी तो सरकार के हाथ बेंच दी। इसलिए मैं कहता हूं कि यह बिल एक मजाक है। मैं अपने सामने बैठे हुए साथियों से अपील करता हूं कि जिन्होंने नागपुर प्रस्ताव को पास किया है, जो अपनी संस्था के प्रति अनुशासन के नाम पर स्टेटमेंट नही देते हैं सदन के अन्दर इसलिये कि जब तक संस्था के अन्दर हैं तब तक संस्था का अनुशासन मानेंगे उसके बाहर नहीं जा सकते, उनसे कहूंगा कि नागपुर प्रस्ताव के सही माने में कार्यान्वित करने के लिये उनका फर्ज है कि इस बिल का बिरोध करें। इसको जनता के पास जान दें और साढ़े बारह एकड़ से लेकर २० एकड़ तक के प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री मलखानसिंह (जिला अलीगढ़)---३ बजकर २० मिनट पर आपने टाइम दिया था।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय निगोजन उपमंत्री के बोलने के पश्चात् आपकी बात पर विचार किया जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं इसलिये इस विधयक पर दो दिन का समय और दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---यह बात अब आप अपनी पार्टी के नेता से कहते और वे नेता सदन से बातचीत करते तो अच्छा था।

श्री उग्रसेन---हमारे नेता ने तो ७ दिन और १२ दिन तक विवाद के लिये प्रस्ताव किया था।

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सीलिंग के मुताल्लिक इस सदन के सामने पेश है मैं उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस बिल पर आज चार रोज से बराबर बहस हो रही है। सब तो नहीं लेकिन बहुत सी तकरीरें माननीय सदस्यों की मुझे भी सुनने को मिलीं। मैंने यह भी देखा कि अमेंडमेंट्स ऐसे भी आये कि इसको जनमत हासिल करने के लिये भेज दिया जाय। इसके ऊपर बहुत सी तकरीरें भी हुईं। तरह-तरह के सुझाव आये।

श्री उग्रसेन---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मंत्री जी ने यह कहा कि मैं इस बिल की ताईद करता हूं। यह बिल की ताईद का प्रस्ताव नहीं है। यह प्रस्ताव है कि प्रवर समिति में यह विधेयक भेज दिया जाय।

श्री सुल्तान आलम खां---अगर मेरे दोस्त इससे मुतमईन हो जायंगे मैं बिल की प्रवर समिति में भेजने की ताईद करूं तो मैं वह भी करता हूं। इस बिल पर बहुत सी तकरीरें हुईं। बहुत से सुझाव इस पर आये और तरह-तरह की बातें कही गयीं। बहुत-सी तो उनमें से ऐसी थीं जो तफसीलात व डिटेल्स से मुताल्लिक थीं और जिस वक्त यह बिल ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के सामने जायगा तो उन पर विचार किया जा सकता है?

श्रीमन्, जिन बातों पर इस सदन को विचार करना है उनमें सबसे अहम बात है कि जो सीलिंग मुकर्रर की जा रही है वह कितनी हो। इस बिल में सीलिंग ४० एकड़ तक रखी गई है और सुझाव यह आये हैं कि साढ़े १२ एकड़ पर सीलिंग हो, २० एकड़ पर हो, ३० एकड़ पर हो, ५० एकड़ पर हो और न मालूम कितने एकड़ पर हो। मेरे दोस्त जो इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की रायें दी हैं। जाहिर है जब बहुत से सुझाव आये तो उससे कंफ्यूजन पैदा होता है और किसी शख्स को जिसको एक फैसले पर पहुंचना है उसे उसमें दिक्कत व दुश्वारी पैदा हो सकती है। वह बात कही गयी कि यह बिल जनमत के लिये भेज दिया जाय। कौन नहीं जानता कि जब से नागपुर का रिजोल्यूशन पास हुआ उस वक्त से बराबर यह जनमत के लिये है, इस पर सेमीनार भी हुए, अखबारों में भी चर्चा हुआ, तकरीरें भी हुईं, जितनी पब्लिक ओपीनियन आ सकती थी वह आ गयी और वह हमारे सामने मौजूद हैं।

यह छोटा-सा बिल जो यहां पेश किया गया इसके जरिये इस बात की कोशिश की गयी कि लैंड रिफार्म्स का जो काम यहां कई वर्ष पहले शुरू हुआ था आज उसमें एक फिनिशिंग टच दिया जाय और जमींदारी एबोलीशन व दूसरे लैंड रिफार्म्स करने के बाद सीलिंग मुकर्रर करने की बात हमारे सामने आई। मैंने इस सिलसिले में बहुत सी तकरीरें सुनीं। लोगों ने यह भी कहा कि इनकम के ऊपर सीलिंग होना चाहिये। यह भी कहा गया न सिर्फ एग्रिकल्चर इनकम पर सीलिंग होना चाहिये बल्कि यह भी कहा गया कि अर्बन इनकम, डाक्टर की इनकम और हर प्रोफेशन पर सीलिंग होना चाहिये। कौन कहता है कि नहीं होना चाहिये। लेकिन एक वक्त में बहुत से इसलाहात कैसे किये जा सकते हैं? अगर १२ साल का रेकार्ड देखा जाय तो जो कुछ इस सूबे के अन्दर हुआ मैं तो बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि किसी तरह से वह बुरा नहीं है। पंचायतराज ऐक्ट, जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट, सीलिंग का ऐक्ट और बहुत से छोटे-छोटे ऐक्ट आये जिनसे इस सूबे के अन्दर एक नये समाज की रूपरेखा कायम हुई। लेकिन जब-जब इस हाउस के अन्दर इस किस्म के रिवोल्यूशनरी बिल आये तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कभी भी ऐसा मौका देखने में नहीं आया कि

जब इस किस्म का रिवोल्यूशनरी बिल आया हो तो उसक मुताल्लिक लोगों ने एप्रिशियेशन दिया हो और तमाम साहबान ने यह कहा हो कि सही कदम है। हर काम के मुताल्लिक दो रायें हो सकती हैं लेकिन जहां तक उसूल का मामला है उसमें दो रायों का होना इस बात को साबित करता है कि चाहे वह चीज हो जाय लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं हैं।

बिल आपके सामने आया और इसमें बहुत सी तरमीमों की गुंजायश हो सकती है। मसलन् अभी कुछ यह भी जिक्र कर रहा था इसमें एक जगह यह भी लिखा हुआ है कि १५ अगस्त, तक अगर ट्रान्सफर हो गयी हैं तो उसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा और बाकी में इंटरफियरेंस हो सकेगा। ये ऐसी बातें है जिनको बिल के अन्दर किया जा सकता है लेकिन उसके लिये ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी है जिसके पास यह बिल भेजा जायगा। यह बुनियादी बात है। हम इस बात का फैसला करें कि जो सीलिंग मुकर्रर करने वाले हैं इस बिल के अन्दर वह ४० एकड़ रखी गयी है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---लेकिन २५/२ फार्म वाला मामला और १३/१ से लेकर १३/१८ तक एग्जेम्पशंस है उनके बारे में क्या राय है ?

श्री सुल्तान आलम खां--जब हाउस में वोट के लिये आयेगा तब पता चल सकेगा और सिलेक्ट कमेटी में जायगा तो पता चल सकेगा, मेरे फैसला करने की बात नहीं है। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब कोई शख्स इस बात के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार करे कि ४०, ३०, २० या साढ़े १२ एकड़ सीलिंग हो तो मैं समझता हूं कि उसकी राय उस वक्त ज्यादा फायदेमन्द हो सकती है अगर खुद एग्रिकल्चरिस्ट हो। बहुत से लोग जिन्होंने जिन्दगी भर जराअत से कोई ताल्लुक नहीं रखा उन्होंने इजहारे राय इस पर की है। बहैसियत सदस्य के उन सबको राय देने का हक है लेकिन इस बात की जरूरत है कि जिस राय के मुताल्लिक हम राय दें उससे हमें वाकिफ होना चाहिये। जिनका जमींदारी या काश्तकारी से ताल्लुक रहा उनका फैसला इस सीलिंग के मामले में कुछ ज्यादा बेहतर हो सकता है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जाहिरा में यह बात अच्छी मालूम होती है कि साढ़े १२ एकड़ सीलिंग मुकर्रर कर दें और हो सके तो सवा ६ एकड़ कर दें और लोग इसे पसन्द भी करेंगे लेकिन आज जिस बात का दावा किया जाता है सोशल जस्टिस का, सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का तो मैं बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या उसकी मंशा यह है कि जिन लोगों के पास कुछ है उनको बिल्कुल फकीर कर दिया जाय और उन लोगों को दे दिया जाय जिनके पास पहुंचने से कुछ नफा हासिल नहीं हो सकता है। मैं आंकड़ों के झंझट में पड़ना नहीं चाहता, आंकड़े इस सदन के अन्दर बहुत कुछ पेश किये जा चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि फर्ज कीजिये साढ़े १२ एकड़ या और उससे कम सवा ६ एकड़ पर हम सीलिंग मुकर्रर कर दें तो उससे जो जमीन बचेगी क्या उससे जो इस सूबे के अन्दर ३५ लाख आदमी रहते हैं जो खेतिहर मजदूर कहलाते हैं, जिनको जमीन की जरूरत है, उनकी समस्या हल हो सकेगी और उनको एकोनामिक होल्डिंग हम दे सकेंगे ? मैं समझता हूं इसका जवाब हां में नहीं आ सकता। और अगर हां में जवाब नहीं आ सकता तो जो दूसरा पहलू है वह यह है कि जब हमने उन लोगों से जमीन ले ली जो उसको रख कर एक डीसेन्ट लिविंग अख्तियार कर सकते थे और हमने उनके तरीके जिन्दगी को नीचे गिरा दिया और दूसरे लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंच सका तो मैं समझता हूं यह चीज कभी भी कामयाब नहीं हो सकती।

हमारे सामने यह बेसिक समस्या है कि हम अपने यहां के लोगों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा करें और उन लोगों को जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें कुछ देने का प्रबन्ध करें। लेकिन यह कैसे हो सकता है ? मैं समझता हूं कि यह किसी से छिपा नहीं है कि आज इस मुल्क की बढ़ती हुई आबादी की वजह से इतनी जमीन नहीं है कि आप हर शख्स को जमीन दे सकें जो इस सूबे के अन्दर रहता है। आज इस सूबे की ६३२ लाख आबादी है और १०

[श्री सुल्तान आलम खां]

लाख इन्सान हर साल बढ़ते हैं। इससे हम अन्दाजा कर सकते हैं कि १०–२० साल बाद हमारी आबादी किस हद तक पहुंचेगी। फर्ज कीजिये आज हमने सबको जमीन दे दी और लोगों के पास साढ़े १२ एकड़ या सवा ६ एकड़ रखी, तो जो हम आज कानून बनाने जा रहे हैं वह एक दिन के लिये या एक जनरेशन के लिये नहीं बना रहे हैं, उसको हम स्टैट्यूट बुक पर हमेशा के लिये ला रहे हैं, यह सही है कि आज के जमाने में कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो हमेशा काम दे फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कम से कम ५–१० साल तक काम दे। तो १० साल बाद जब नयी नस्ल आयेगी और एक इन्सान के चार बच्चे हो गये तो जो साढ़े १२ या सवा ६ एकड़ आप छोड़ेंगे उसमें कितनी जमीन उनके पास रहेगी? नतीजा यह होगा कि शायद दो, चार साल बाद ही आपको इसमें तरमीम करनी पड़े। मैं समझता हूं कि लोगों के प्रेशर से बाज हमारे कानून को बड़ी जल्दी बदलना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि एक तो कानून की सैंक्टिटी कम होती है और दूसरे लोगों का एतमाद भी उस पर से उठता है। इसलिये जो कानून हम बनायें वह ऐसा होना चाहिये जो कम से कम एक रीजनेबिल वक्त तक काम दे और उसमें बार-बार तरमीम की जरूरत न हो। आज अगर हम ४० एकड़ जमीन छोड़ते हैं तो १०–१५ साल बाद अगर किसी के चार बच्चे हो गये तो १० एकड़ जमीन उनके पास रह जायगी। उसके बाद आपको कुछ और सोचना पड़ेगा और एक नया कानून बनाना पड़ेगा। तो कोई ऐसी यार्ड स्टिक नहीं हो सकती जिससे आप एक तरह से हमेशा काम लें।

अभी मेरे दोस्त यादव जी तकरीर कर रहे थे। उन्होंने यह माना है कि प्लानिंग कमीशन ने जो स्टैंडर्ड रखा उसके मुताबिक होना चाहिये। अलग-अलग सूबों ने अलग-अलग सीलिंग रखी है, मसलन पंजाब ने ३० एकड़ रखा है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करने वाले सूबे दो ही हैं, एक बिहार और दूसरा उत्तर प्रदेश। इसलिये हमें ज्यादा समझदारी से और सोच विचार कर काम करना चाहिये। मैं उन लोगों में से हूं जो यह मानते हैं कि हमारी दिक्कत सिर्फ उसी वक्त रफा हो सकती है जब हम इंडस्ट्रियलाइज हो जायं, हमारे यहां जमीन पर से प्रेशर हट कर इंडस्ट्री में लग जाय जिसका प्रबन्ध किया जा रहा है। इस सूरत से अगर हम जमीन पर आबादी का दबाव कम कर देंगे तो बेशक हम एक सही कदम उठायेंगे। यह मैं नहीं कहता कि साल या दो साल में ही समस्या हल हो जायगी, लेकिन बजाय इसके अगर हमने यह किया कि छोटे-छोटे हिस्सों में जमीन को बांट दिया तो जो आज जमीन पर डिपेंडेंट हैं, उसी पर जिनका बसर औकात है उनके लिये जो मुश्किलात आज से दस साल बाद, २० साल बाद आने वाली हैं वह आज ही आ जायंगी और उसका नतीजा यह होगा कि हम एक बेरोजगारी की फौज में और इजाफा करेंगे। इससे सूबे का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह ४० एकड़ की सीलिंग जो रखी गई है वह बहुत सोच समझकर रखी गई है। यह कोई आरबीट्रेरी नहीं है, पंजाब में ३० एकड़ रखी गई है। हमारा सूबा जिसकी बसर औकात खेती पर ही है उसके लिये ४० एकड़ की सीलिंग की मिकदार मुनासिब है और सही है। हमें इस नुक्तेनजर से नहीं देखना है कि जिनके पास नहीं है, उनको भी बनाना है, यह ठीक है, उसे भी हमें सोचना है लेकिन वह प्राबलम लैंड के ऊपर से प्रेशर को हटाने से पूरी हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि जिनके पास जमीन है उनसे ले लें तो उनके ऊपर क्या रिएक्शन हो सकता है। इसको भी हमें देखना है। मसलन एक जमींदार तबका था, मैं यह नहीं कहता कि जमींदारी खत्म हुई, वह ठीक नहीं हुई। वह ठीक ही हुआ। लेकिन इसके बाद दूसरे मामलों में भी उनको कमी का ही मुंह देखना पड़ा। इसके बाद ३० के बजाय साढ़े बारह एकड़ की पाबंदी लगाई गई। अब हम फार्म्स को भी तोड़ रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर ४० एकड़ की सीलिंग रखी जाती है तो वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे गज कर सकें या जिससे जमीन फट जाय या आसमान गिर जाय। इस लिये ४० एकड़ की जो यह सीलिंग लगाई गई है वह बिलकुल ठीक है, मुनासिब है और उसी के मुताबिक अमल होना चाहिये।

फेमिली की डेफीनीशन के मुताल्लिक बहुत सी बातें कही गईं और यह भी सही है कि एक फेमिली में एक मेम्बर है तब भी उतनी ही जमीन हासिल करेगा और ५ आदमी हैं तब भी उतनी ही जमीन हासिल करेंगे। मेरे दोस्त यादव जी को बड़ा एतराज था कि एक आदमी को हम इतनी जमीन क्यों दें ? आज वह शादी कर ले तो उसके बच्चे होंगे तो उस वक्त जमीन कहां से आयगी। जो हम कानून बना देंगे वह रोज नहीं तोड़ा जायगा। इसलिये ४० एकड़ की सीलिंग ठीक है। दूसरे कोई कानून बनाया तो वह फूल प्रूफ नहीं हो सकता है क्योंकि इंसान की बनाई चीज में कमियां रह सकती हैं, खुदा की बनाई चीज में कमियां नहीं होतीं। इसलिये उसूल की नजर से देखा जाय तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कुछ नुक्सान पहुंचे।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे बोलने का मौका दिया। जहां तक इस बिल के सिद्धान्तों और कारणों का सवाल है उससे तो मैं पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन जिस रूप में यह बिल लाया गया है उसको देखने से पता यह चलता है कि जो सरकार का मकसद है वह इस बिल से पूरा नहीं कर सकेगी। सरकार के विचार का पता तब चलता है जब हम देखते हैं कि इसी साल में जनवरी के महीने में नागपुर में एक प्रस्ताव पास हुआ था और तब से आठ महीने हो गये और अब इस सरकार ने इस बिल को पेश किया है। इसका क्या कारण है ? इतने दिनों तक सरकार चुप क्यों बैठी रही ? इसके भीतर क्या बात थी ? इसके भीतर क्या यह बात नहीं थी कि वह बड़े-बड़े लोग जो आज सरकार में मौजूद हैं, या बाहर हैं, उनके दोस्त और सम्बन्धी हैं, उनको बचाने के लिए यह कोशिश की गयी ? क्यों नहीं इस बिल को तत्काल लाया गया ? और क्यों नहीं उस रूप में लाया गया जो सरकार का मकसद है ? इससे सरकार अपना मकसद हरगिज नहीं पूरा कर सकेगी। जहां तक कहा गया है कि भूमिहीन मजदूरों को इतनी जमीन उपलब्ध करके बांटी जायगी ताकि उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो सके और दूसरी तरफ कहा गया है कि इस तरह वितरण किया जायगा कि उसका समान वितरण होगा, तीसरी तरफ कहा गया है कि राजकीय फार्मों के जरिये आधुनिक ढंग से खेती की जायगी ताकि पैदावार बढ़ेगी, साथ ही इस बिल में यह भी कहा गया है कि उस समाज को जो कि दुर्बल है उसको हम मजबूत बनायेंगे, इन बातों को देखना होगा कि कहां तक समाज को ऊपर उठाने के लिए यह बिल लाया गया है साथ ही इससे समाज को क्या फायदा होगा।

श्रीमन्, दफा ४ में कहा गया है कि सीलिंग उन व्यक्तियों पर की जायगी जिनके पास अधिकतम जोत से अधिक भूमि होगी। अर्थात् एक से पांच व्यक्तियों के परिवार के लिए अधिकतम जोत अच्छी औसत प्रकार की भूमि का ४० एकड़ भूमि है उसके बाद की सभी भूमि अतिरिक्त भूमि समझी जायगी। जो पांच से ऊपर वाले परिवार होंगे उनके लिए ८ एकड़ प्रति व्यक्ति भूमि बढ़ेगी जो २४ एकड़ से अधिक नहीं होगी। दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि ऐसी जमीन जिसकी मौरूसी दर फी एकड़ तीन रुपये से कम होगी उसको एक एकड़ के बराबर दो एकड़ समझा जायगा जहां पर जमीन की दर बन्दी तीन रुपये और पांच रुपये के बीच में है उसको एक एकड़ के बराबर डेढ़ एकड़ माना जायगा। इस तरह से कितनी जमीन सरकार निकाल सकेगी और बटवारा कर सकेगी ? इसी बिल के अन्दर यह भी कहा गया है कि उन जमीनों पर अधिकतम जोत निर्धारण लागू नहीं होगा जो दफा १३, १४, और १५ में जाती हैं। दफा १३ में कहा गया है कि उन जमीनों पर जिन पर बाग लगा होगा और वह पहली मई, सन् १९५९ के पहले से इस रूप में हों भूमि की हदबन्दी नहीं की जायगी। मान लीजिये आज ही कोई बाग लगा देता है और कहता है कि पहली मई से पहले की लगी हुई बाग है तो क्या आज के युग में जहां पर ब्यूरोक्रेसी हो और न्याय और अन्याय होता हो और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो वहां यह सम्भव नहीं हो सकता ? दूसरी तरफ कहा गया है कि उद्योग की जमीन नहीं ली जायगी। उद्योग की बात साफ नहीं है। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के अन्दर भी साफ

[श्री अमरनाथ]

नहीं है। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि बड़े-बड़े मिल मालिक जिनके पास बड़े-बड़े फार्म स हैं उन पर सरकार की कृपा है ? क्यों नहीं उस पर सीलिंग लगाई जाती है ? कितनी जमीन सरकार भूमिहीनों को दे सकेगी ? दूसरे मामलों में भी सरकार उन्हीं मिल मालिकों की मदद करती है, मजदूरों का ख्याल नहीं करती और इस कानून के जरिये भी उन्हीं मिल मालिकों की मदद कर रही है। मैं यह नहीं समझ सका की सरकार क्यों उन्हीं उद्योग-पतियों की इच्छा पूर्ति में संलग्न है।

इतना ही नहीं सरकार उस जमीन को भी बरी रखना चाहती है जिस पर कि पान, केवड़ा, बेला, चमेली और गुलाब की खेती होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या यह सम्भव नहीं है कि दूसरे लोग भी आज यह कहें कि इस जमीन पर भी पान, केवड़ा, बेला चमेली इत्यादि की खेती होती है ? आज के युग मे क्या यह सम्भव नहीं हैं ? जरूर है और ऐसा हो सकता है। आज देखा जाय किसान खेती करता है लेकिन जमीन दूसर के नाम होती है, जिन्स बोयी जाती है और लिखा कुछ जाता है। तो क्या यह सम्भव नहीं हो सकता है कि आज कुछ लोग अपनी जमीन बनाने के लिए यह कहें कि इस जमीन पर तो गुलाब, केवड़ा, चमेली, बेला इत्यादि की खेती होती है ? जरूर ऐसा हो सकता है।

दूसरी तरफ इस बिल में यह भी कहा गया है कि यंत्रकृत फार्म वाली भूमि वह भूमि समझी जायगी जो कि तीन वर्ष से अधिक से ट्रैक्टरों के द्वारा जोती हुई होगी। क्या आज के युग में यह साबित करना मुश्किल होगा कि तीन साल से अधिक किसी जमीन पर ट्रैक्टर के जरिये खेती नहीं हो रही है ? तो लोग साबित करेंगे कि नहीं होती है। जहां आज जैसा युग हो और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो वहां क्या नहीं सम्भव हो सकता ? इस प्रतिबन्ध को क्यों नहीं हटा दिया जाता है ? क्या सरकार ने यहां उन बड़े-बड़े फार्म वालों को बनाने की कोशिश नहीं की है ? जरूर की है।

दूसरी तरफ यह देखना है सरकार जमीन किसको बांटना चाहती हैं ? सरकार जमीन उनको देना चाहती है जो सहकारी खेती करना चाहते हैं और उसके बाद यंत्रकृत फार्म वाली भूमि को सरकार सरकारी फार्म के रूप में उतने समय तक रखना चाहती है जितना आवश्यक समझे, साथ ही मैनजर रखने में पहला अवसर उनको देना चाहती हैं जिनका पहले वह यंत्रकृत फार्म रहा है। मैं नहीं समझ पाता कि इसके बैंक ग्राउन्ड में क्या बात है ? आखिर उनको ही चांस देने की क्या बात है ? और यही नहीं, यह भी कि उनके साथ शर्त वह होंगी जो नियमों और आदेशों द्वारा नियत हो। क्यों नहीं इसी बिल में यह शर्त लगा दी जाती ? मैं तो कहता हूं सरकार इस जमीन को क्यों अपने पास रखना चाहती है ? क्यों नहीं उन सारे गरीबों में बांट दी जाती है ? क्यों नहीं जो समाजवाद लाने का ढोंग सरकार रचाये हुए है उसको पूरा करने को सोचती है ? सरकार को सरकारी फार्म बनाने की क्या जरूरत पड़ गई ? आखीर वह कौन सा राज है कि उन्हीं को चांस दिया जा रहा है ? जो उस फार्म के पुराने मालिक हैं जिनसे वह भूमि ली जायगी ? दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि जिसकी भूमि हदबन्दी में ले ली गई है उनको कम से कम २ एकड़ और ज्यादे से ज्यादे १० एकड़ तक बाग लगाने के लिए जमीन दे दी जायगी। आखिर क्यों, सरकार इस बहाने से उन्हीं को मजबूत करने की कोशिश किये जा रही है ? क्या मतलब है इसका ? इतनी जमीन सरकार कहां से बचायेगी कि इस तरह के लोगों को दी जा सके ?

दूसरी तरफ सरकार यह भी कहती है कि साढ़े बारह एकड़ से अधिक जमीन किसी सहकारी समिति के सदस्य को नहीं दी जा सकेगी भविष्य में और इस वक्त जिनके पास है वह अधिकतम जोत तक रख सकेंगे, बाकी उनकी ले ली जायगी। तो यह दो तरह की सीलिंग क्यों है ? अगर साढ़े बारह एकड़ से अधिक भविष्य में जमीन किसी के पास खरीद और दान से या इन्तजाम से नहीं होगी तो आज क्यों ४० एकड़ होगी ? मैं पूछना चाहता हूं कि यह दो तरह की नीति क्यों ? सरकार ने कहा है कि जहां जमीन पन्द्रह एकड़ से ज्यादा होगी

जिस गाँव में हम उसे कृषि समिति को जो कि भूमिहीनों की होगी ज्वाइंट रूप में खेती करने को देंगे। यहां तो सरकार व्यक्तिगत सम्पत्ति भी समाप्त करने की बात करती है। ठीक है, हम इसका स्वागत करते हैं कि व्यक्तिगत सम्पत्ति समाप्त की जाय, सोसाइटी के लिए दी जाय, लेकिन दूसरी तरफ इस बिल को देखते हैं कि उसमें व्यक्तिगत सम्पत्ति कायम भी की जाती है। तो जब एक तरफ व्यक्तिगत सम्पत्ति कायम की जाती है और बड़े लोगों के लिए कायम की जाती है तो उन गरीबों ने कौन सा कसूर किया है जिनको कि ज्वाइंट तरीके से सरकार जमीन दे रही है ? क्यों नहीं उनको भी व्यक्तिगत तरीके से दी जाती है ? आखिर सरकार तो समानता लाना चाहती है न ? दूसरी तरफ इसी बिल में है कि जो अलाभकर खेतिहर होंगे ३ १/८ एकड़ से कम के उनको भी इसी तरह से जमीन दी जायगी। तो इन अलाभकरों ने कौन सा कसूर किया है कि उनको भी ज्वाइंट तरीके से भूमि दी जावेगी ? क्यों नहीं उनको भी व्यक्तिगत तरीके से भूमि दी जा रही है ? तो इस तरह की बातों का क्या मतलब है ?

जहां तक जमीन की हदबन्दी का सवाल है हम उससे सहमत हैं और चाहते हैं कि २० एकड़ से ३० एकड़ तक हो। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का बटवारा नहीं होना चाहिए कि किसी को एक गट्ठा जमीन भी न मिल पाये। सिर्फ ढोल पीटने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बनावटी बातों से काम नहीं चलेगा।

सही-सही जमीन का बटवारा करना होगा। हम जानते हैं कि सरकार जमीन का बटवारा नहीं करना चाहती थी लेकिन मजबूर होकर जमीन का बटवारा कर रही हैं। इसके पीछे जनमत का अंकुश लगा है। उस अंकुश ने सरकार को मजबूर किया है कि सरकार जमीन का बटवारा करे। आज सरकार हर तरीके से अपने अधिकारों को इस्तेमाल करके किसी न किसी तरह से भी उन जमीनों को बचाना चाहती है। आखिर यह क्यों कर रही है ?

(इस समय ३ बजकर ५१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दूसरी तरफ जहां तक धारा ५ का सवाल है उसमें यह कहा गया है कि १५ अगस्त के बाद जितनी जमीन हस्तान्तरण के जरिये से या विभाजन के जरिये से किसी व्यक्ति ने ले लिया हो तो सीलिंग के लगाने में उसको मान्य नहीं समझा जायगा। यह ठीक है और हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन सरकार ने १५ अगस्त क्यों रखा ? क्यों नहीं सरकार ने नागपुर के प्रस्ताव की तारीख रखी ? इसका क्या मकसद है ? यह नहीं किया गया बल्कि उन जमीनों का बटवारा करने के लिये खुली छूट दी गई ताकि लोग बचा लें ? इस तरह की धारा से लोगों ने अपनी जमीन बचा लिया। और सरकार जिस प्रकार जमीन का बटवारा कर रही है, क्या उसके लिये सरकार प्रगतिशील कही जायगी लेकिन अगर देखा जाय तो फिर जमीन उनको कितनी मिलेगी जो आज भूमिहीन हैं यह चीज दिखाई नहीं देती। सरकार नागपुर प्रस्ताव की तारीख रखने से क्यों घबराती है ? इस पर भी यह कहा गया कि जो विभाजन के बाद किसी कोर्ट में विचाराधीन १५ अगस्त के होंगे। और वह मान्य होंगे और वह बाद में चालू रहेंगे। इस धारा से उस पर असर नहीं पड़ेगा। तो क्यों ऐसी बात की गई। उनके ऊपर सीलिंग क्यों नहीं लागू होती है ? वे क्यों सीलिंग से बरी किये जा रहे हैं ? इसका क्या मतलब है ?

जहां तक पारिवारिक परिभाषा की बात है लोगों ने बहुत बचने की कोशिश किया है। जब पहले जोतकर विधेयक सदन में आया था तो उस वक्त भी लोगों ने टैक्स से बचने के लिये बहुत से अपने खेतों का बटवारा कर लिया। कुछ ने कोर्ट के जरिये से कर लिया और कुछ ने हस्तान्तरण के जरिये से कर लिया। इसी तरह से चकबन्दी की धारा १२ (ख) के जरिये से बहुत से लोगों ने अपनी जमीन को अलग कर लिया और पारिवारिक समझौते कर लिये। इस तरह से उन लोगों ने जमीन को बचाने की कोशिश की है। उसी पर सरकार मोहर लगा रही है कि जो उन्होंने यह चीज की है वह सही है। वह इस तरह से बच जाते हैं। इसी तरह से बच्चों की परिभाषा रखी गई है। उन बच्चों को अलग रखा गया है जिनके नाम अलग लिखे गये हैं। जिस दिन से जमींदारी टूटी है उसी दिन से बड़े-बड़े लैंडलार्डों ने जमीन बचाने की कोशिश की है वह समझ गये थे कि सरकार का आगे के जमाने में क्या कदम होगा।

[श्री अमरनाथ]

इस तरह से उनकी जमीन एकदम से समाप्त नहीं होगी इस मकसद को लेकर उन्होंने अपनी सारी जमीन का बटवारा कर लिया है । इसलिये इस तरह का जो मंशा इस विधेयक का है वह इससे पूरा नहीं होता ।

दूसरी तरफ इसमें यह कहा गया कि आश्रित माता और आश्रित पिता इसमें नहीं आयेंगे । यह लिखने की बात नहीं है कि कौन आश्रित है और कौन आश्रित नहीं है । इस बात को कौन कहेगा कि फलां आश्रित है और फलां आश्रित नहीं है । अपनी जमीन को बचाने के लिय हरएक आदमी कोशिश करेगा तो इसमें इस तरह की परिभाषा क्यों रखी गई है ? इसके अन्दर कितनी जमीन इस तरह से मिल सकेगी इसको नहीं बताया गया है । इसमें इस तरह की परिभाषा रखी गई है जिससे कोई जमीन बचने वाली नहीं है और न मिलने वाली है और समुचित बटवारा हो पायेगा और न उन गरीबों को जमीन मिल सकेगी जिनको आप भूमिहीन समझते हैं । इस बिल के जरिये से सरकार को जमीन मिलने वाली नहीं है । इस तरह की बातें करके हमारा समय व्यर्थ बर्बाद किया जा रहा है और सरकारी रुपया खर्च किया जा रहा है । अगर सोच समझ कर यह विधेयक लाया गया होता तो इससे फायदा होता और हम समझते कि जो रुपया खर्च किया जा रहा है, और जो सदन का समय लिया जा रहा है वह उचित है और उससे प्रदेश का फायदा होगा ।

इसी तरह से दूसरी बात इसमें यह कही गई है कि जिन लोगों के पास अतिरिक्त भूमि होगी उनको नोटिस दी जायगी कि वे यह बतायें कि कौन-कौन सी जमीन वे रखना चाहते हैं । और कौन जमीन वह रखना नहीं चाहते हैं । तो क्या जो लोग अपनी जमीन बचाना चाहते हैं वह यह नहीं कर सकते कि जिन जमीनों को मुद्दत से किसान जोतता चला आ रहा है उसे अतिरिक्त भूमि के रूप में सरकार को न दें क्योंकि, वह जमीन उनके नाम लिखी होगी । बहुधा देखा गया है कि किसान जोतता है और नाम उसका नहीं लिखा होता है उसके बजाय जो नहीं जोतता है उसके नाम लिखा होता है । आखिर इस हदबन्दी में उसका क्या फायदा होगा ? इस तरह से यह बात सम्भव हो सकती है । जहां तक मुआवजे का सवाल है । उसका समय निश्चित होना चाहिए कि कब तक मुआविजा दिया जायगा और साथ ही साथ दो तरह की बात क्यों की गयी । जो भूमिधर है, जो कि भूतपूर्व जमींदार था, जिसके बड़े-बड़े फार्म हैं उनको सबसे ज्यादा मुआवजा मिल जायगा और सीरदार वही होगा जो किसान होगा और जो जमींदारी अबालीशन से पहले काश्तकार था, जिसको अपनी जमीन बेचने का अधिकार नहीं था, वही आज का सीरदार है, उतना उसको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है । साथ ही साथ अतिरिक्त मुआवजा देने की बात भी कही गयी है कि अगर मौरूसीदार देय मालगुजारी से अधिक है तो वह या देय मालगुजारी कम है तो अतिरिक्त मुआवजा दिया जायगा ।

इन बातों के साथ जो विरोधी दल की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया है कि यह विधेयक जनमत संग्रह के लिए भेजा जाय मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री मलखान सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने इस बिल की कुछ धाराओं पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूं । सबसे पहले जिन कारणों से यह बिल लाया गया है उसमें लिखा गया है कि "समाज के दुर्बल वर्ग के आर्थिक हित की उन्नति करने तथा सार्वजनिक कल्याण के हेतु यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है"। मैं सबसे पहले सार्वजनिक कल्याण के सवाल को लूंगा । मैं समझता हूं कि सार्वजनिक कल्याण इस देश का इसी में है कि हमारे देश में अधिक अन्न उपजे जिससे हर एक भूखे के पेट में अन्न पहुंच जाय और हर एक व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत कर सके । इस कसौटी पर कसने के बाद में यहां पर धारा २ की उपधारा (२) में दिया हुआ है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, सम्पूर्ण कुमायूं मंडल (डिवीजन) सिवाय काशीपुर परगने के तथा तराई और भाबर परगने के उस भाग के जहां कोई मध्यवर्ती नहीं है । यहां पर गोया कुमायूं डिवीजन

पर लागू नहीं होगा, लेकिन तराई भावर एरिया पर यह बिल लागू होगा। मेरा कहना यह है कि इस तराई भावर की हिस्टरी यह है कि हमारी सरकार ने, इस सूबे की और सेंट्रल गवर्नमेन्ट की सरकार ने 'अधिक अन्न उपजाओ' का नारा लगाकर आह्वान किया कि लोग शरणार्थी वहां पर आये, वहां जमीन को तोड़ें और आकर के बसें और यह भी आपको मालूम होना चाहिये कि हमारे टेनेंसी ऐक्ट में जो "लैंड" की डेफिनीशन दी हुई है उसके अनुसार उस वक्त तराई भावर में लैंड नहीं थी। वह तमाम एरिया पेड़ों, घास, झाड़ झंकाड़ तथा जंगली जानवरों से भरा हुआ था। तो जितने भी शरणार्थी वहां पर आये उन्होंने अपना सब कुछ माल-मताअ उसमें लगाया। उन लोगों ने वहां पर लैंड क्रिएट की, जमीन बनायी। तमाम झाड़ झंकाड़ और जितने भी जानवर थे जो मनुष्यों को खा जाते थे उनसे भी सुरक्षित किया। यू० पी० की सरकार ने उनको ९९ वर्ष के लिखित पट्टे पर जमीन दी थी। ९९ वर्ष का मुआहिदा किया गया उन शरणार्थी लोगों से कि तुम आओ और इस जगह पर बसो, इस भूमि को उर्वरा बनाओ। उन लोगों ने यह जान कर कि यह सरकार अपने वायदे पर कायम रहेगी, वह वहां पर आये, तमाम अपनी सम्पत्ति लगाई और उस जमीन से तमाम झार-झंखाड़ और दरख्त काट कर उसे कृषि योग्य बनाया और ५-६ साल के बाद आज वह कुछ लैंड की शक्ल में आई हुई कही जा सकती है। जब वह जमीन की शक्ल में आई तब आप उसको लेना चाहते हैं। आज यह याद रखना चाहिये कि दुनिया में न्याय और अन्याय की कोई सीमा नहीं है क्योंकि हर एक प्राणी संसार का आज यह होड़ लगाये हुये हैं कि दुनिया की सारी सम्पत्ति उसके पास आ जाय, चाहे किसी तरह से भी हो। इस प्रदेश में जो कुमायूं डिवीजन है वहां की जमींदारी सरकार ने आज तक खत्म नहीं की है और उनके लिये यह बहाना किया जाता है कि चूंकि वहां पर जमींदारी खत्म नहीं हुई है इसलिये वहां पर सीलिंग का कानून भी लागू नहीं किया जायगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब वहां की जमींदारी खत्म हो जाय तब यहां पर भी सीलिंग लगाने की बात सोचिये। वे असहाय शरणार्थी जो वहां बसे हैं जिन्होंने आपकी जमीन को उर्वरा बनाया उनको भी रहने दिया जाय उस वक्त तक जब तक कि आप कुमायूं डिवीजन में नहीं इसको लागू करते हैं। इसके साथ-साथ में और भी कारण दूंगा कि जिनके कारण आपको उसके ऊपर ख्याल करना चाहिये। मैं यह भी मानने के लिये तैयार हूं, चाहे वह भाई मानें या न मानें कि अगर सरकार उनको उनकी जमीनों की मार्केट वैल्यू देने के लिये तैयार हो जाय तो यह सबसे अच्छी न्याय की बात होगी। उनको मार्केट वैल्यू दे दी जाय और कह दिया जाय कि जाकर कोई दूसरा रोजगार करें। मैं इसको एक न्याय की बात समझूंगा।

वहां पर उन लोगों ने आकर अपने मकान भी बनाये हैं, ट्यूबवेल भी लगाये हैं और ट्रैक्टर भी लाये हैं। ट्रैक्टर की जो धुन आज देश में है उसका ख्याल चाहे आप न करें लेकिन आज देश में जो विचारधारायें चल रही हैं। हमारे प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल जी नेहरू के दिमाग में भी यह बात है कि बिना साइंटिफिक मीन्स को अख्तियार किये हुये और खाद वगैरह को इस्तेमाल किये हुये हमारी पैदावार का मुकाबला नहीं कर सकती। वह चाहते हैं कि ट्रैक्टर से खेती होती हो और यहां पर बड़े-बड़े फार्म्स हों। उन्होंने अभी कहा है, सूरतगढ़ जो सरकारी फार्म है उसके सम्बन्ध में कि उसके पैटर्न पर अगर कोई फार्म चल रहे हों तो उनको समाप्त न किया जाय, यह उनकी राय है। तो मैं कहना चाहता हूं कि तराई भावर के फार्मों में उन लोगों ने ढाई लाख एकड़ जमीन, २२ करोड़ रुपया खर्च करके उर्वरा बनायी है और दूसरी तरफ ४० हजार एकड़ जमीन यू० पी० सरकार ने ६ करोड़ रुपया खर्च करके बनाई और उस पर आज सरकारी फार्म है। वहां पर आप दूसरे देशों के मंत्रियों और प्राइम मिनिस्टरों को दिखलाने के लिये ले जाते हैं, रूस वालों को ले जाते हैं और दूसरे लोगों को ले जाते हैं लेकिन क्या कभी आपका यह भी ख्याल हुआ कि वह ढाई लाख एकड़ जमीन जो उन्होंने जोत करके उर्वरा बनाया है उसको आप उन्हें दिखलायें। उन लोगों ने उस जमीन को अपने बल बूते पर, अपना पैसा लगा कर, अपना खून पसीना एक करके उर्वरा बना कर उस पर अपने बड़े-बड़े फार्म बनाये हैं।

[श्री मलखानसिंह]

इन शरणार्थियों में से बहुत से ऐसे भी कुटुम्ब हैं जिनके बड़-बूढ़े उनसे छूट गये हैं, मलेरिया या तरह-तरह की बीमारियों के कारण। मैं अपने पुराने साथी बाबू प्रयागनारायण जी, एडवोकेट, आगरा के फार्म के बारे में जानता हूं कि उनका वहां फार्म था और वह वहां के मलेरिया के शिकार हो गये। अब उनके बच्चे उस फार्म को चला रहे हैं। अगर आप उनके फार्म को लेना चाहते हैं तो जरा यह तो सोचिये कि जो मुआवजा आप पहले जमींदारों को दे चुके हैं, उनकी इनकम का ८ गुना था और आज आप सर्किल रेट का २० गुना देने जा रहे हैं जो केवल साढ़े छः गुना के बराबर होता है। इसलिये उनके साथ न्याय की बात तो यह होगी कि मार्केट वैल्यू से उनकी जमीन को ले लीजिये। वरना जो आपको गेहूं और तरह तरह की चीजें खिला रहे हैं उनको आप खत्म करते हैं। सब भाई समझ लें कि कोआपरेटिव या सीलिंग तभी चल सकती है जब कि गांव के भूमि वाले लोग अपनी सहकारिता में भूमिहीनों को उदारता से शामिल कर लें। लेकिन तराई भाबर के इलाके में जहां मनुष्य का नामोनिशान नहीं है, जहां मजदूर उड़ीसा और संथाल परगना से आ रहे हैं, वहां अगर आप हमारे जिले के लोगों से कहें कि उनको जमीन देंगे तो यह तो बता दो कि उनके पास साधन और ट्रैक्टर चलाने के लिये रुपया कहां से आवेगा। जो दूसरी विचारधारा चल रही है कि बैलों के जरिये खेती से ही हमारे देश की उन्नति हो सकती है, इस गऊ के जाये से उन्नति हो सकती है, उसका भी सरकार को खयाल रखना चाहिये। १३ वीं धारा में लिखा है कि वह भूमि जो पशुशाला, खाद के गड्ढों, खलिहान या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं उपयोग में लाई जाती हो, और जिसका कुल क्षेत्रफल २ एकड़ से अधिक न हो, तो मैं चाहता हूं कि इसमें पशुपालन (Cattle breeding) भी जोड़ दिया जाय। साथ ही (८) और (९) में वह भूमि जो कि दानोत्तर वक्फ या धर्मोत्तर वक्फ वगैरह के पास हो, मैं चाहता हूं कि उन पर भी सीलिंग होनी चाहिये, चाहे सरकार अपनी ओर से कुछ वार्षिक आय इन संस्थाओं के लिये नियत कर दे। इन शिक्षा संस्थाओं, मन्दिरों या मस्जिदों के लिये सीलिंग न हो, यह न्याय की बात नहीं है। सभी लोगों के सामने में यह भी कहना चाहता हूं कि आजकल दुनिया के बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों का मत यह है कि :—

"The larger the percentage of a country's population that depends on agriculture, the greater its poverty and the lower the living standards of its people."

इसके माने ये हैं कि जितने ही अधिक लोगों को आप खेती से जोड़ देंगे उतना ही आप गरीबी की तरफ जायेंगे और उन लोगों का स्तर ऊंचा नहीं हो पायेगा। इसलिये इस पर जितने भी अर्थशास्त्र की बात मानते हों उन सबको चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, इधर खयाल करना चाहिये।

जहां तक ३ १/८ एकड़ का सवाल है इससे कम भूमि को अलाभकर माना है तो ३ एकड़ अलाभकर है। अब हमारे यहां ३५ लाख खेतिहर भूमिहीन मजदूर हैं। उनके पास ३ एकड़ से कम नहीं होना चाहिये क्योंकि उनको हमें मिखमंगा तो बनाना नहीं है। इसके लिये १०५ लाख एकड़ भूमि से अधिक की आवश्यकता होगी। इस भूमि को सरकार निकाल सकती है। जो सरकार के पास कल्चरेबिल वेस्ट लैंड पड़ी हैं उसको तथा कुछ सीलिंग से निकली हुई को भूमिहीन मजदूरों को बांट दें।

श्री रघुवीर सिंह (जिला एटा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रास्ताव का कि यह विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय राजस्व मंत्री महोदय ने इसके जिन उद्देश्य और कारणों को बताया है वे इससे लेशमात्र भी मेल नहीं खाते। श्रीमन्, सबसे पहले तो इसकी परिवार की परिभाषा ही स्पष्ट और विस्तारपूर्वक नहीं है। सिर्फ दो लाइन की भाषा है। इससे आगे चल कर मुकदमेबाजी चलेगी।

धारा ३ (ग) में परिवार की परिभाषा दी गयी है। उसमें कहा है—

"(ग) 'परिवार' का तात्पर्य पति या पत्नी जैसी भी दशा हो आश्रित पिता, आश्रित माता, विवाहित पुत्रियों तथा पृथक हुए बच्चों से भिन्न बच्चों और पृथक न हुए पुत्र की वधू या विधवा से है।" आश्रित पिता और आश्रित माता के संबंध में एक माननीय सदस्य ने कहा था उसको माननीय मंत्री जी ने नोट कर ही लिया होगा। मेरा कहना यह है कि इस परिवार की परिभाषा में कहीं यह निश्चय नहीं किया गया कि किसी भूमि पर ३–४ सहोदर भाई मालिक हों तो क्या वे एक ही परिवार की परिभाषा में माने जायेंगे? मृतक पति की दो या दो से अधिक बेवायें हों तो वह पृथक-पृथक परिवार में होगी या नहीं या वह अलग-अलग परिवार माना जायगा? एक भ्रम मुझे और हो रहा है कि इसी खंड में यह लिखा हुआ है—

"बच्चा उस दशा में पृथक समझा जायगा जब भूमि पृथक रूप से उसके नाम अभिलिखित हो"

लेकिन इसके बाद ही धारा ४ की उपधारा (१) में यह लिखा हुआ है—

"इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति के प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की गणना राज्य में उसकी जोत की समस्त भूमि पर विचार करके की जायगी, चाहे वह भूमि उसके पास उसके ही नाम से हो या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से।" लेकिन ऊपर दिया हुआ है कि यदि उसके लड़के के नाम से अलग से अभिलिखित हो तो उसका अलग परिवार माना जायगा लेकिन धारा ४ (१) में दिया हुआ है कि यदि वह भूमि किसी भी फेमिली मेम्बर के नाम से होगी तो उसको शामिल कर लिया जायगा।

अब तीसरी एक और गलती देखिये। मैं ऐसी बातों की चर्चा कर रहा हूं जो अभी तक किसी माननीय सदस्य ने नहीं कही। धारा ४ की उपधारा (२) (क) में लिखा हुआ है—

"किसी एक व्यक्ति की या पांच से अधिक सदस्यों वाले किसी परिवार की दशा में अधिकतम क्षेत्र अच्छी औसत प्रकार की भूमि के ४० एकड़ का समझा जायगा।" अब उसके ठीक नीचे दिया हुआ है, एक अंगुली का भी फर्क नहीं है—"(ख) पांच से अधिक सदस्यों वाले परिवार की दशा में अधिकतम क्षेत्र अच्छी औसत प्रकार की भूमि के ४० एकड़ और इसके अतिरिक्त परिवार के पांच के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य के लिये आठ एकड़ का समझा जायगा।" अब, श्रीमन्, इसका क्या अर्थ लगाया जाय। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रश्न करूं कि मान लीजिये कोई परिवार ६ व्यक्तियों का है तो उसके लिये ४० और ८, ४८ एकड़ निश्चित होगा या जैसा पहले कहा गया है कि पांच से अधिक सदस्यों वाले परिवार के लिये अधिकतम क्षेत्र ४० एकड़ का होगा? इस धारा से जैसा कि मालूम पड़ता है, इससे तो बड़ी मुकदमेबाजी बढ़ेगी और मुझे यह कहने में संकोच नहीं होगा कि इस सरकार ने ढाई साल के अन्दर जितने भी विधेयक प्रस्तुत किये हैं उनमें से अधिकांश विधेयक व्यापारियों और वकीलों के पक्ष में बनाये हैं। फिर इसे भी क्यों न व्यापारियों और वकीलों का ही विधेयक मान लिया जाय। इससे देहात की जनता को कितना नुकसान होगा सको हम लोग ही जानते हैं जो कि देहातों में रहते हैं।

श्रीमन्, इसके आगे चल कर दिया हुआ है अतिरिक्त भूमि का अर्जन। यह मान लेने की बात है कि अतिरिक्त भूमि का अर्जन भी बड़े-बड़े फार्म वालों द्वारा ही होगा। यंत्रकृत फार्म वाले ही जहां ट्रैक्टर्स के द्वारा खेती होती है वही उसका अर्जन हो सकता है। किसी बैलों से जोतते वाले से अतिरिक्त भूमि नहीं मिल सकेगी। जिनके पास हजारों और सैकड़ों बीघे के फार्म हैं उनसे ही उस अतिरिक्त भूमि का अर्जन कर सकेंगे। उसके लिये सरकार ने पहले ही अपनी एक युक्ति लगा दी। श्रीमन्, धारा २५ (२) में आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं—"(२) राज्य सरकार यह कर सकती है कि ऐसी अवधि तक जो सार्वजनिक हित में आवश्यक हो, किसी यंत्रकृत फार्म की (धारा ११ के अधीन अर्जित) अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त न करे और उसे राजकीय फार्म के रूप में चलाये और वह उक्त प्रयोजन के लिये किसी उपयुक्त

[श्री रघुवीरसिंह]

व्यक्ति को प्रबन्धक के रूप में नियुक्त कर सकती है और यदि यंत्रकृत फार्म के धारक व्यक्ति (holder) उपयुक्त हो तो उसे अधिमान देगी तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं, वे शर्तें तय करेगी जिन पर उक्त प्रबन्धक कार्य करेगा।"

श्रीमन्, जैसा कि मैंने कहा था कि अतिरिक्त भूमि ऐसे ही यंत्रकृत फार्मों द्वारा मिल पायेगी परन्तु उनको राजकीय फार्म बना दिया जायगा। मुझे सरकार की मंशा मालूम नहीं पड़ी। जब यह विधेयक भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों के नाम पर लाया गया है, दिखाने के लिये तो जनता में बहुत जोर से हफ्तों से यह शोहरत थी कि भूमिहीनों और खेतिहर मजदूरों के लिये एक विधेयक प्रस्तुत होने वाला है लेकिन वास्तव में जो भूमि उससे ली जायगी वह सरकार के पेट में चली जायगी। तो आखिर उससे भूमिहीनों और खतिहर मजदूरों का क्या लाभ होगा? फिर यह भी कहा गया कि यह विधेयक अपने प्रान्त के अन्न उत्पादन को बढ़ाने और भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों को भूमि दिलाने के लिये लाया गया है। श्रीमन्, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक तीर में दो शिकार नहीं हो सकते। अगर मंत्री महोदय पैदावार बढ़ाने की बात सोचते हैं तो उन्हें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा और यदि भूमिहीनों को बांटने की बात है तो जैसा कम्युनिस्ट भाई कहते हैं सवा ६-६ एकड़ दे दें। तो दो शक्लें हैं। अगर उत्पादन बढ़ाना है तो मेरी राय में इससे उत्पादन हरगिज नहीं बढ़ सकता। उसका कोई दूसरा रूप करना पड़ेगा। मैं यह बात कह दूं कि यह जो धारा २५ की उपधारा (२) है इसे बिल्कुल निकाल दिया जाय और भूमि अगर भूमिहीनों और खेतिहर मजदूरों को देना है तो इसके द्वारा उनको यह कभी नहीं मिलेगी। इसमें एक बात और कही गई है कि जो भूमि का स्वामी होगा उसी को उस भूमि का प्रबन्धक बना दिया जायगा। मैं समझता हूं कि इसको मान लेने पर सरकार बहुत बड़े-बड़े खेल खेल सकती है। अगर भूमि का स्वामी सरकार के पक्ष का हुआ या यों कहा जाय तो संकोच न होगा कि वह कांग्रेस पार्टी का हुआ या जिससे सरकार का स्वार्थ सिद्ध होता हो तो उसे उस फार्म का प्रबन्धक बना दिया जायगा और अगर वह ऐसा नहीं है तो उसे नहीं बनाया जायगा। इसमें दो बातें ऐसी हैं जो सरकार के ऊपर बहुत बड़े आक्षेप की हैं इसलिए यह धारा किसी भी तरह से रखने लायक नहीं है।

दूसरी बात जो उन्होंने योजना बनाई है भूमि वितरण की वह यह है कि जो सहकारी समितियों द्वारा खेती करेंगे उनको भूमि दी जायगी। इसमें भी ऐसे ही लोग सहकारी समितियों को बनाने में सफल होंगे जो कुछ जानकार होंगे इसके अतिरिक्त भूमिहीनों की परिभाषा में वह लोग भी आ जायंगे जो दूकानदार होंगे या कुछ कारबार भी करते होंगे चाहे शहर में हों या देहात में। अगर खेतिहर मजदूर को भूमि देना है तो उनको स्वतंत्र रूप से देनी चाहिये। यह क्या बात है कि जो लोग सहकारी रूप से करेंगे उन्हें दी जायगी। श्रीमन्, रुद्रपुर और लखीमपुर-खीरी उपनिवेश के बारे में क्या हुआ? सरकार से पूछा जाय तो साहस भी नहीं होगा कि उत्तर दे सके। वहां पर जितने भी फार्म दिये हैं क्या वह कह सकते हैं कि वह भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों को दिये गये हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है, वह ऐसे लोगों को दिये गये हैं जो पहले बड़े-बड़े अधिकारी थे और अब पेंशन पाते हैं। ऐसे लोगों को दिये गये हैं राजनीतिक पीड़ितों के नाम पर जिनकी आमदनी के और भी जरिये हैं या जिनके लड़के अब भी सरकारी नौकरियों में हैं। यही कारण है कि वहां पर जिन लोगों को आबादी है वह ठीक ढंग से खेती नहीं करा रहे हैं। क्यों कि उनका खास काम खेती नहीं है। इन शब्दों के साथ में इस योजना का भी विरोध करता हूं। जो भूमि दी जाय वह स्वतंत्र रूप से दी जाय और सहकारी समितियों की पाबन्दी न लगाई जाय।

जहां तक मेरा विचार है, सीलिंग तीन प्रकार की की जाय। क्योंकि सभी लोग एक तरह के नहीं हैं ऐसे व्यक्ति जिनके जीवनयापन का एकमात्र सहारा खेती है उनके लिये जैसा कि हमारी पार्टी ने विचार विनिमय करके निश्चय किया है कि कम से कम २० एकड़ और अधिक

से अधिक ३० एकड़ हो। अब तक जितने माननीय सदस्य बोले हैं कोई बहुत नीचे चला गया और हमारी सरकार से बहुत ऊपर है। मैं बीच की बात कह रहा हूं इसलिये आशा है कि सरकार हमारी बात मान लेगी। दूसरे लोग ऐसे हैं जिनके और साधन भी हैं जैसे कोई व्यापार करता है या गांव छोड़कर शहर में आकर उद्योग-धंधा करने लगा है। ऐसे लोगों पर कुछ और प्रतिबन्ध लगे। उनको उतनी जमीन दे दी जाय कि उनकी आमदनी सब उद्योगों की मिलाकर चार हजार रुपया सालाना की हो जाय। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो हल पकड़ने से घृणा करते हैं और उनके हल को पकड़ने के लिये दूसरे लोग रहते हैं और उनके यहां पीढ़ियों से इसी प्रकार काम होता आया है। मेरा ख्याल है कि उन्हें जमीन रखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से सरकार तीन तरह से सीलिंग करे।

अब मैं सरकार का इरादा जानना चाहता हूं। अगर सरकार का इरादा वास्तव में यह है कि वह उत्पादन को बढ़ाना चाहती है तब तो मैं जैसे कि सभी माननीय सदस्य इस होड़ में लगे हैं और सब कहते हैं कि भूमिहीन मजदूरों को जमीन दी जाय, मैं अपना स्वतन्त्र विचार इस सम्बन्ध में प्रकट कर दूं कि अगर यह अर्जित की हुई जमीन खेतिहर मजदूरों को दी जायगी तो उनको आप आधा एकड़ जमीन भी नहीं दे सकेंगे और उससे उनका कोई कल्याण न होगा। भूमि के बोने जोतने का प्रबन्ध करने में बैलों आदि की आवश्यकता होती है, वह लोग खेती में सफल नहीं हो सकेंगे क्योंकि उनके पास साधन नहीं हैं। जब सरकार घोषणा करती है कि साढ़े ३ एकड़ भूमि अलाभकर जोत है तो इस तरह से सरकार अलाभकर जोतों को क्यों बढ़ाना चाहती है। अगर उत्पादन में वृद्धि करना है तो यह उचित न होगा कि इतनी छोटी जोतें बढ़ाई जायं लेकिन अगर यही होड़ है कि जनता का मतसंग्रह मात्र हो जाय तो उसका विरोध तो मैं नहीं करता। मैं यह कहने का साहस नहीं करता कि १–२ एकड़ वाले की भी भूमि को लिया जाय लेकिन मेरा यह स्वतन्त्र विचार है कि जो अर्जित की हुई भूमि हो वह ऐसे लोगों को दी जाय जिनके पास ३ १/८ एकड़ से कम जमीन है या जिनके पास ४ एकड़ तक भूमि है जिससे उनकी जोत भी लाभकर हो जाय और उत्पादन में वृद्धि हो।

मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं एक सादा किसान हूं और खेती के अलावा मैं और कोई खुराफात नहीं करता, यानी यही एक मात्र मेरा पेशा है, मैं देहात में रहता हूं और जानता हूं कि आज भी छोटे किसान की बहुत ही दयनीय दशा है। अगर किसी खेतिहर मजदूर की रोजाना की मजदूरी डेढ़ रुपया भी आंक ली जाय तो उसकी एक साल की आय ५०० रुपया होती है लेकिन एक ऐसा छोटा काश्तकार जो एक या दो एकड़ की काश्त करता है वह लागत लगाने के बाद साल भर में कभी भी ५०० रुपया इतनी जमीन से पैदा नहीं कर सकता। मैं यह भी जानता हूं कि देहात में चमड़ा, लकड़ी, लोहा और मिट्टी के बरतन आदि के काम करने वाले भी उनसे अच्छी दशा में हैं जिनके पास जमीन कम है अतः मेरा विचार यह है कि जमीन उन्हीं लोगों को दी जाय कि जिनके पास जोत अलाभकर है।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया। जब मैंने इस बिल को पढ़ा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और वास्तव में हमने इसको बहुत क्रांतिकारी बिल समझा था और इससे भी अधिक प्रभाव हम पर उस समय पड़ा जब हमने इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ा। उसमें लिखा है कि समाज के दुर्बल वर्ग के आर्थिक हित की उन्नति करने तथा सार्वजनिक कल्याण के हेतु यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है। परन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि वास्तव में इसे पढ़ने के बाद मुझे बड़ी निराशा हुई कि वास्तव में जो सरकार की मंशा थी इस बिल को लाने में, पूर्ण बिल के पढ़ने के बाद वह स्पष्ट नहीं हुआ लेकिन हमें सन्तोष

[श्री रामकृष्ण जैसवार]

इस बात का है कि सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव हाउस में आया कि इस बिल को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। हमें इससे सन्तोष हुआ कि हमारी भावनाओं को समझ कर गवर्नमेंट सम्भवतः वहां उचित कदम उठायेगी और इसमें संशोधन करने की कृपा करेगी।

इस सम्बन्ध में मैं भी कुछ सुझाव आपके समक्ष रखना चाहता हूं और मैं यह कहने में संकोच नहीं करता कि यह बिल एक डिफेक्टिव बिल है और इसी कारण से इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता पड़ी।

इसको पढ़ने पर यह भी पता चला कि इसमें डिफेंसिव ऐक्शन को दृष्टि में रख कर इसको पेचीदा बना दिया गया है। ४० एकड़ की सीमा के सम्बन्ध में विशेष मुझे नहीं कहना है। लेकिन यह अवश्य कहना है कि इसके पहले कुछ दिन पूर्व सरकार की तरफ से साढ़े बारह एकड़ के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था। तो उसके बाद फिर यह ४० एकड़ का सिद्धान्त आना कुछ संदिग्ध मालूम होता है। साढ़े बारह एकड़ के सिद्धांत को स्वीकार किये कई महीने हो गया लेकिन जनता की तरफ से उसका कोई विरोध भी नहीं हुआ इसलिये अगर उसी सिद्धांत को स्वीकार किया जाता तो कोई बेजा बात न होती।

लोगों ने तमाम आर्गूमेंट्स दिये कि जमीन अगर ले ली जायगी तो उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसे चलेगी, इंजीनियर्स, डाक्टर्स, प्रशासक कैसे बनेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब तक उस जनता को ऐक्सप्लायट करने के बाद भी, सर्विसेज में जो उनका रिजरवेशन है वह पूरा न होने के बाद भी, आप यही चाहते हैं कि वे आगे के लिये भी दबे रहें। क्या अब भी उनकी यह आकांक्षा है कि वह जमीन पर, कैपिटल पर सर्विसेज में इतने हावी हो जायं कि जो आदमी नीचे गिरे हुए हैं वह ऊपर न आ सके? इसलिये सीलिंग कायदे से होनी चाहिये अगर सीलिंग होने से समस्या हल होने की बात नहीं है तो मैं चाहता हूं सीलिंग न हो लेकिन अगर सरकार का उद्देश्य है सीलिंग करने का तो सरकार क्यों नहीं करती कि जो-जो जमीन को जोतते हैं, जिनके हाथ में हल है वही उसके मालिक होंगे। क्यों नहीं सरकार कानून बनाती? और इसमें हमें सबको संतोष होगा और वास्तव में जो समाजवाद की स्थापना का स्वप्न देख रहे हैं उसकी पूर्ति हो सकेगी।

हमें यह सुन कर ताज्जुब हुआ जब माननीय जगदीश प्रसाद ने यह कहा कि प्रदेश में भूमिहीन खेतिहरों की कोई समस्या ही नहीं है। वह भूल गये कांग्रेस राष्ट्रीय संस्था की तरफ से १९५७ का जो बुलेटिन निकला है उसमें स्वीकार किया गया है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की समस्या उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी है और इसकी सेना बढ़ती जा रही है। उसकी मांग को आप कब तक ठुकरायेंगे? समाज में उत्पन्न समस्या का निराकरण दो उपायों से हो सकता है (१) कानून के जरिये से और अगर कानून से नहीं खत्म होता है तो सिर्फ एक मामूली विधेयक लाकर उसमें चेतना केवल पैदा करना है। तो जनता में चेतना आ रही है और वह स्वयं इसको हल कर लेगी और आगे चल कर सम्भवतः सरकार को संशोधन करना पड़े जैसे जमींदारी अबालीशन में संशोधन करना पड़ा। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं हमारे पूर्वी जिलों में ब्राह्मण और क्षत्री जमीन के मालिक हैं लेकिन हल नहीं छूते। तो उनको क्या हक है कि वह जमीन के मालिक बने रहें। मालिक वही हो जो काम करता हो और जो लैंडलार्ड यहां हैं वे उसको खरीदना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वे गरीब भूमिहीन खेतिहर मजदूर उठना चाहते हैं और बड़े भाई की तरह आपसे मदद चाहते हैं कि आप उन्हें उठायें। लेकिन अगर आप उन्हें नहीं उठायेंगे और दबायेंगे तो वे बड़ी तेजी से उठेंगे और इतना जबरदस्त झटका आपको लगेगा कि आप स्वयं गिर जायंगे और वे उठ कर खड़े हो जायंगे।

श्रीमन् इसमें जो ढोल में पोल है उसको मैंने पढ़ा। ४० एकड़ की सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति न भी हो लेकिन जो इसकी धारा ३ में कुटुम्ब का स्पष्टीकरण किया गया है वह देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ किसी भी जनतांत्रिक सरकार की ओर से जब कोई क्रान्तिकारी विधेयक आता है तो उसको सीक्रेट लीक आउट नहीं होनी चाहिये। सीक्रेट लीक आउट होने पर लोग उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। इसमें है कि नाबालिग बच्चे अगर पृथक् हों और उनके नाम कुछ लिख दिया गया हो तो वे भी अधिकारी हैं। तो यह स्पष्टीकरण बदलना चाहिये। इसके अलावा जो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की व्यवस्था की गई है उसकी परिभाषा करके कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। जैसी आशंका प्रकट की गयी है आज सभी भूमिहीन खेतिहर मजदूर बन सकते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है।

इसके बाद धारा ४ के खंड (ख) में जो सदस्य का दिया है और उसके बाद स्पष्टीकरण दिया है उससे यह मालूम होता है कि ४० एकड़ तो दिखाने के लिये है वैसे १२८ एकड़ की व्यवस्था करने जा रहे हैं। अगर मन्शा हो तो ४० नहीं ५० एकड़ कर दें लेकिन इसको तो बदलें ताकि गरीबों को कुछ मिल सके।

इसके बाद धारा १३ की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें विमुक्ति की बात कही गयी है मई, १९५९ के पूर्व विद्यमान रही हो। आपने दुरुस्ती कागजात का अभियान किया लेकिन फिर भी आप यह मानते हैं कि अभी तक रेकार्ड दुरुस्त नहीं है। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि "५९" के बजाय अगर "५८" रख दिया जाय तो बेहतर होगा। इसके साथ ही जो चाय, रबड़ वगैरह की बात है इसमें भी तरमीम करने की आवश्यकता है।

अभी एक माननीय मित्र ने खंड ८ और ९ की ओर ध्यान दिलाया। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इस ओर भी ध्यान दे।

इसके बाद जो जमीन की व्यवस्था की गयी है वह सहकारी खेती की की गयी है। मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन क्या आप यह चाहते हैं कि जो थोड़ी सी भूमि बचेगी वह उन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के नाम न हो कर जैसे वे भूतपूर्व जमींदारों के यहां स्लेव की तरह काम करते रहे वैसे ही इसमें भी काम करते रहें? इसलिये मैं चाहता हूं कि वह जमीन उन लोगों के नाम कर दी जाय।

इसके अलावा, मुझे पश्चिमी जिलों का तो इतना ज्ञान नहीं है लेकिन हमारे पूर्वी जिलों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की बहुत बड़ी समस्या है। वहां तो हरिजनों के पास इतनी भी जमीन नहीं है कि वे अच्छी तरह अपना मकान भी बना सकें। तो मंत्री जी इस पर भी विचार करें कि अगर उनको अधिक जमीन नहीं दे सकते हैं तो उनके बसाने की कोई व्यवस्था करें ताकि उनको जमींदार का गुलाम बन कर न रहना पड़े।

अन्त में मैं मूल प्रस्ताव का समर्थन करता हूं लेकिन चाहता हूं कि सरकार इस पर भी गौर करे कि जो साढ़े १२ एकड़ का सिद्धान्त उसने स्वीकार किया है उस पर पुनर्विचार करे और अगर उस पर पुनर्विचार नहीं करती तो सीलिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर यह व्यवस्था करे कि खेती का मालिक वह होगा जो स्वयं अपने हाथ से अच्छी तरह खेती करे।

श्री गंगा प्रसाद वर्मा (जिला एटा)--श्रीमन्, यह विधेयक जो सदन में प्रस्तुत हुआ है इसमें किसान मजदूर का मखौल बनाया गया है। मंत्री जी इसको सोच समझ कर नहीं लाये। इसका कारण मुझे यह मालूम होता है कि मंत्री जी को सोचने का मौका नहीं मिलता। उनके पास इतना समय नहीं है। सीधे-सीधे दो घंटे तो तेल मालिश और नहाने के लिये चाहिए।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप वैयक्तिक बात न कहें। अगर काल्पनिक हो तो कोई हर्ज नहीं। अगर सही व्यक्ति के बारे में बात हो तो मत कहिये।

श्री गंगा प्रसाद वर्मा--सोचने का टाइम नहीं मिलता यह कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं। मैं यह देखता हूं कि जो एम०एल०ए० यहां चुनकर आये हैं, सरमायदार और पूंजीपतियों की तरफ से भाषण दिये। मैं देखता हूं कि लंगड़ी सरकार, एक टांग की सरकार, जिसके ये विरोधी और ९८ वह बाकी जो रह गये उनको खुश करने के लिए मंत्री जी उनसे मिलने जुलने में रहते हैं। किसान और खेतिहर मजदूर के हित के लिए यह विधेयक नहीं आया है। सरमायेदारों के फार्म्स की जमीन क्यों नहीं ली गयी? सरकार के जितने फार्म्स हैं उनकी जमीन क्यों नहीं ली गयी? यह सरमायेदार सरकार उससे सहमत नहीं हैं। गांधी जी का कहना था कि किसान मुख्य मंत्री होगा। लेकिन यहां एक भी किसान मंत्री नहीं है। शहरों में सीलिंग क्यों नहीं की गयी? एक-एक मालिक के सौ-सौ मकान हैं और गरीब झोपड़ियों में किराये पर रहता है। उसके लिए क्यों नहीं राष्ट्रीयकरण किया गया? एक एक हजार के जो फार्म्स हैं क्यों नही लिये गए? अभी तक कुमाऊं में जमींदारी का उन्मूलन नहीं हो सका और आज यह सीलिंग करने जा रहे हैं। वह कहते हैं कि राम राज्य ला रहे हैं। राम जैसे महान व्यक्ति लंका में जाकर रावण को परास्त करके सीता को लाये। एक व्यक्ति ने उनसे विरोध किया तो सीता जी को वनवास दे दिया। फिर भी यहां काफी विरोध होने पर सही आरोप लगाये जाते तो भी इस कुर्सी को छोड़ते नहीं बनता इनको कुर्सी प्यारी है।

श्री अध्यक्ष---इस विधेयक में आप राम और रावण कहां से ला रहे हैं। अब इस विधेयक पर आइये।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा---इस तरह से उत्पादन नहीं बढ़ेगा। अभी तक मलिहाबाद में कितने ही बाग की पौद बिक रही हैं और सैकड़ों एकड़ बाग लगाये जा रहे हैं।

श्रीमन्, अभी हमारे जिले के एक सदस्य ने भाषण दिया था जिन पर ५०० बीघा करीब जमीन है। इस तरह के उन्होंने भाषण दिया कि जैसे उनकी सब निकली जा रही हो। किसी ने भी गरीब जनता के हित की बात नहीं कही। किसान और मजदूर का कहीं फायदा नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि हम हरिजन कल्याण कर रहे हैं लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं कि बहुत सी जगह हरिजनों के लिये झोपड़ी बनाने तक को जमीन नहीं है। आपने अभी तक छुआछूत को तो खत्म नहीं किया और कहते हैं कि आप हरिजन कल्याण कर रहे हैं। तो इस तरह से जितनी बागों की जमीन है वह बिलकुल जब्त कर ली जानी चाहिये और इन सारी बातों पर विचार जरूर होना चाहिए।

श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव माननीय राजस्व मंत्री जी ने उपस्थित किया है कि अधिकतम जोत सीमा विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। मान्यवर, आज चार रोज से इस विधेयक पर विवाद चल रहा है। सबसे अधिक जोर इस वक्त इस बात पर दिया जा रहा है कि जोत की सीमा क्या रखी जाय? इसी पर कई तरह से मत व्यक्त किये जा रहे हैं। कुछ लोगों के विचार ऐसे हैं कि ४० एकड़ से अधिक रखा जाय और कुछ का विचार है कि साढ़े बारह एकड़ रखा जाय। यह सारी बातें जो चल रही हैं वह इस दृष्टिकोण से चल रही हैं कि हमारे प्रान्त में जो बेकारी है या सारे देश में जो बेकारी है उसकी समस्या कैसे हल की जाय। आज बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनका सारा दारोमदार खेती पर है उनमें से कुछ लोग तो प्रत्यक्ष खेती के स्वामी हैं और खेती करते हैं, कुछ लोग केवल स्वामी हैं और स्वयं परिश्रम नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो परिश्रम

तो करते हैं लेकिन उनके पास खेत नहीं है और यह संख्या सब मिलाकर के ७५ फीसदी से अधिक होती है। थोड़े से लोग ऐसे हैं जिनकी जीविका चलती है। इस समस्या को सुलझाने की दृष्टि से ही लोगों के सामने जैसी स्थितियां हैं उसको देखकर के अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर इस बात को ध्यान में रख कर इस समस्या को इस तरह से हल किया जाय कि जो लोग खेती पर आश्रित हैं उन सब को खेत इस प्रकार से दिया जाये कि उनकी गुजर बसर हो सके तो मैं समझता हूं कि इस तरह से इस समस्या का पूरा समाधान नहीं हो सकता है। उसके लिए तो सरकार को सोचना तो होगा कि खेती पर से भार किस प्रकार कम किया जाय और उसके लिए भी एक ही रास्ता है कि देश में उद्योग-धन्धे बढ़ाये जायं और अधिक से अधिक लोगों को खेतों पर से हटाया जाय। आज तो स्थिति यह है कि जहां इतनी बड़ी संख्या खेती पर मौजूद है वहां उत्तरोत्तर और लोग जिनका पेशा खेती नहीं रहा है वह भी इसमें आते जा रहे हैं। उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा रहा है। जो लोग मौजूद हैं वह तो हैं ही। ऐसे लोगों पर जो कि अपनी जीविका दूसरे साधनों से चला रहे हैं अच्छी तरह से जिनकी गुजर बसर हो रही है उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और न लगाया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति भी खेत रखे हुए हैं और किसी न किसी रूप में उनका स्वामित्व उस पर बना हुआ है, उसका भी फायदा वह उठा रहे हैं। दूसरे उद्योग-धन्धे या नौकरी-चाकरी से भी लाभ उठा रहे हैं, तो इन सब बातों के लिए कोई एक रास्ता सरकार को सोचना पड़ेगा और सबको जीविका का साधन देना है तो इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि एक-एक परिवार के लिए जब तक कि समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक इतना ध्यान रखा जाय कि एक परिवार में जीविका का एक साधन रहे। जिन्हें खेत दिय जायं, उन्हें इतनी मात्रा में खेत रखने दिया जायं जिससे कि वह अच्छी तरह से अपना भरण-पोषण कर सकें या नौकरियों में इतनी तनख्वाह दी जाय कि उससे वह व्यक्ति अपना तथा आश्रित परिवार का भरण पोषण कर सकें। इस बात को ध्यान में रखकर ही यदि खेती की समस्या सुलझाने पर ध्यान दिया जायगा तब काम चलेगा। वैसे जहां तक व्यवहार की बात है मैं तो समझता हूं कि अगर इस बात को देखा जाय कि ४० एकड़ प्रति परिवार जमीन की सीमा निर्धारित कर देने से समस्या हल होगी या १२ १/२ एकड़ कर देने से हल होगी तो इन दोनों हालतों में विवाद तथा असंतोष बना ही रहेगा। इस तरह से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। जिनके पास १२ १/२ एकड़ से कम है उन सबका काम नहीं चलेगा। सबको कहां से पूरा किया जायगा। तो यह समस्या बनी ही रहेगी।

आज खेती के सम्बन्ध में हमारे प्रान्त में तीन व्यवस्थायें चल रही हैं। इस समय किसानों की तीन श्रेणियां हमारे प्रान्त में बनी हैं। एक तो वह श्रेणी है जो जमींदारी उन्मूलन के पहले थी, और जिसके पास ३० एकड़ से अधिक काश्तकारी थी कि वह खेती से ही अपनी जीविका का अच्छा रास्ता निकाल सके जिसके ऊपर आप प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं। दूसरी वह श्रेणी है जो जमींदारी उन्मूलन के बाद पहली जुलाई सन् ५२ के इस प्रतिबन्ध के लगाने से बनी कि कोई भी आदमी परिवार पीछे ३० एकड़ से ज्यादा जमीन अब नहीं बढ़ा सकता है। वह श्रेणी चली ही आ रही थी कि पिछले साल आपने कानून बनाया, जिसके जरिये से प्रतिबन्ध लगाया कि एक परिवार १२ १/२ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं बढ़ा सकता है। उसको पिछले नवम्बर या दिसम्बर से आपने लागू किया है जमींदारी उन्मूलन कानून लागू होने के पूर्व जिनके पास २० एकड़ से अधिक जमीन थी उन्हीं के ऊपर यह प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है कि उनके पास जितनी जमीन थी उसमें से उनके पास कितनी रहने दी जाय उनके लिये कोई सीमा निर्धारित की जाय।

जहां तक नागपुर के प्रस्ताव का सम्बन्ध है उसका मन्शा यह है कि जो मुनासिब सीमा आप समझते हैं उसको निर्धारित कर दें। उसी दृष्टिकोण से आप सीमा निर्धारित कर रहे हैं

[श्री नागेश्वर प्राद]

भिन्न भिन्न सूबों में भिन्न-भिन्न स्थिति हो सकती है। हमारे प्रान्त में भी जमीन की पैदावारी शक्ति को देखते हुये भिन्न-भिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न स्थिति हो सकती है इस बात को दृष्टिकोण में रखकर ही ऐसा समझा गया कि जमीन की सीमा निर्धारित की जाय इस विधेयक द्वारा हम यह नहीं चाहते हैं कि सब को किसी तरह से बराबर-बराबर भूमि बांटकर सन्तोष दिया जाय। बल्कि एक आदमी साधारणतः किस स्थिति में रह सकता है। वह सामान्य रीति से कितनी भूमि से अपना हर तरह से गुजारा कर सकता है। इस बात को दृष्टिकोण में रखकर ४० एकड़ की सीमा निर्धारित की जा रही है। एक बात और ध्यान में रखने की है कि जिनके पास जमींदारी थी, उसके निकल जाने के बाद भी उनके पास काश्तकारी रह गई है। उन्होंने अपनी जमींदारी छोड़कर बहुत बड़ा त्याग किया है। ऐसे लोगों के पास अब भी काफी जमीन है। उनकी जमीन की सीमा कम करके अगर १२॥ एकड़ पर लाते हैं तो उनको कितनी बड़ी परेशानी होगी हमको इस बात पर भी ध्यान देना है। राजा साहब, जगमनपुर जब इसके लिये हल्ला मचाते हैं तो उनकी परेशानी को भी हम लोगों को खयाल करना पड़ेगा। उनके लिये ऐसा तो होना ही चाहिये कि वे अपने पैर पर खड़े हो सकें। अगर ४० एकड़ से कम रखा जाता है तो उनकी बहुत परेशानी होगी और दूसरी ओर १२॥ एकड़ से अधिक रखा जाता है तो कम वालों को परेशानी होगी। जिनके पास कम है उनको कम परेशानी होती है। उनको उतनी परेशानी नहीं होती है। आज अगर सीमा बांधी जाय तो मैं समझता हूं हमको इन सारी बातों पर ध्यान देना होगा कि ऐसी दशा में क्या उचित है। जब से अंग्रेजों का राज्य कायम हुआ तभी से जमीन का बन्दोबस्त शुरू हुआ। उसके पहले जहां तक मेरी जानकारी है जमीन किसी के नाम नहीं होती थी। जिस आदमी को जितनी आवश्यकता होती थी उतनी वह जोता बोता था और कर अदा किया करता था लेकिन जब से जमीन का बन्दोबस्त होने लगा तब से लोगों को इस तरह का लालच बढ़ने लगी। आज इसी का यह प्रतिफल हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक जमीन अपने नाम रखना चाहता है। यह देखने की बात है कि किसी के पास इतनी जमीन हो कि जिससे वह अपने पैर खड़ा हो सके, साथ ही आज नहीं तो १०, २० वर्ष बाद ही सही इस बात को सोचना पड़ेगा कि जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत रहे या नहीं। जमीन के स्वामित्व के सिद्धान्त के मामले में हमको सोचना ही पड़ेगा। इस पर सरकार का ध्यान न हो यह तो माना नहीं जायगा।

इस समय हम जो व्यवस्था करने जा रहे हैं उससे असन्तोष रहेगा ही। और हम साढ़े बारह एकड़ या सवा छै एकड़ की सीलिंग भी मान लें तो जो कम जमीन वाले पड़ोसी हैं वह चाहेंगे कि और भी कम की सीमा रखी जाय। इसलिये यह झगड़ा साफ होने वाला नहीं है। अतः हमें यह सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी सीमा निर्धारित की जाय जिससे वह जमीन का मालिक परिश्रम करते हुये इतना उत्पादन कर ले कि सरकारी लगान अदा करे और कुल परिवार का भरण-पोषण अच्छी प्रकार से कर सके। ऐसी व्यवस्था हमारे देश में पहले रही है और जब तक हम उस ओर नहीं जाते हैं हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह भी विचार करने की चीज है कि यदि इसी प्रकार जमीन पर, खेती पर ऐसे लोग बढ़ते चले जायंगे जिनके दूसरे पेशे भी हैं और उनको खेती पर आने से रोकते नहीं हैं तो बराबर झगड़े बढ़ते चले जायंगे, उपद्रव होंगे और हम किसी तरह से संतोष नहीं दिला पायेंगे। जो लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती नहीं है, नौकरी नहीं है और अपनी गरीबी से परेशान हैं, जिनके लड़के बच्चों के लिये भरण-पोषण का दूसरा कोई साधन नहीं है उनकी जीविका के लिये कोई न कोई ठोस उपाय करना होगा और ऐसे लोगों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाना होगा जो कि केवल खेती पर ही निर्भर नहीं हैं। अगर प्रतिबन्ध नहीं लगाते हैं तो यह समस्या बनी ही रहेगी। मान्यवर, यह कैसी विडम्बना है कि एक आदमी के पास कई काम होंगे, व्यापार, नौकरी और खेती भी और एक आदमी के पास जो चालाकी और होशियारी में आगे न हो, इकोनामिक जानकारी न रखता हो, वह दबा सा रहेगा। उसके पास

जीविका का एक भी साधन न हो। इस तरह से हमारा समाज पिछड़ा ही रह जायगा। जो पिछड़े लोग हैं वे पिछड़े हुए ही रह जायंगे और जो आगे बढ़े हुए हैं, जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी है वह और बढ़ते चले जायंगे। इसलिये हमको जीविका के साधनों के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ लोगों के लिये संरक्षण रखना होगा ही, और कुछ हद तक प्रतिबन्ध लगाना होगा ही। केवल इसी उद्देश्य को दृष्टि में रख कर यह विधेयक सामने लाया गया है कि जो लोग आज बेकार और परेशान हैं उनमें से कुछ को काम मिल जाय, भूमि मिल जाय जिस पर परिश्रम करके वे अपने बाल-बच्चों का भरण-पोषण करें और उनके परिश्रम से देश की पैदावार बढ़े और कमी की वजह से जो बाहर से अन्न मंगाने के कारण देश पर बोझा पड़ रहा है वह कम हो, हमारा देश अन्न के मामले में आत्म-निर्भर बने, संपन्न हो और देश का अरबों रुपया बाहर जाने से रुके। इन शब्दों के साथ प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२ सितम्बर, १९५९।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७–३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९१ पर।)

ट्रेनिंग ग्राउन्ड सम्बन्धित अनियमिततायें :—

(१) बिना सिक्यूरिटी लिये ही ठेकेदारों को ट्रेनिंग ग्राउन्ड के अधिकार दे दिये गये।

(२) ठेकेदारों का अनुबन्ध (contract deed) लिखवाया नहीं गया।

(३) बिड लिस्ट (Bidlist) गायब कर दी गई जिससे की अनुबन्ध लिखाया न जा सका।

(४) लीज (Lease) ठेकेदार के डिफाल्ट (default) पर भी रद्द नहीं की गई।

लाइसेंस सम्बन्धी अनियमिततायें :—

(१) बिला इशू किये गये लाइसेंस प्लेटों का (Physical verification) नहीं किया गया।

(२) लाइसेन्स प्लेटों के विनष्टीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र बहुत सरसरी तौर पर दिये गये।

(३) ऐसी लाइसेन्स प्लेट जो कि प्रमाण पत्र अनुसार विनष्ट किये गये थे वे जनता के हाथ बेचें गये और उनकी फीस ली गई।

(४) लाइसेन्स फीस वसूली गई पर कोई रसीद नहीं दी गई। केवल लाइसेन्स प्लेट ही दिये गये।

(५) लाइसेन्स फी प्रार्थियों से लिपिकों द्वारा प्रार्थना पत्र देते समय ही वसूल ली गई जिसके लिये कोई रसीद नहीं दी गई।

(६) डुप्लीकेट लाइसेन्स प्लेट बनवाये गये और प्रयोग किये गये तथा इसके लिये लाइसेन्स फी वसूली गई।

(७) लाइसेन्स प्रदान करने के आदेश लाइसेन्स इन्सपेक्टर द्वारा अथवा अधिशासी अधिकारी के पेशकार द्वारा दिये गये थे जब कि इन आज्ञाओं को इक्जीक्यूटिव अफिसर द्वारा दिया जाना चाहिये था।

बोर्ड रिकर्डस के अनुसार सन् १९५३–५४ में १,०८२ रिक्शा के लाइसेन्स फी बोर्ड में जमा की गई जब कि आडिट के अनुसार १५८० प्रार्थना-पत्र इसके लिये दिये गये। इस प्रकार ४९८ रिक्शों को लाइसेन्स फी बोर्ड में जमा नहीं की गई और लगभग ७,४७० का सम्भवतः गबन किया गया।

सन् १९५४–५५ में १,६०२ साइकिल रिक्शा का लाइसेन्स धन बोर्ड में जमा किया गया जब कि रिनुअल अप्लीकेशन में इससे अधिक प्लेट नम्बर बताये गये। आडिट रिपोर्ट के अनुसार १९१ रिक्शों की लाइसेन्स फीस कर्मचारियों द्वारा गबन की गई। स्टाक बुक के अनुसार सन् १९५२–५३ में २,५०० रिक्शा ड्राइवर प्लेट मंगाये गये थे जिसमें से १,६५५ प्लेट इशू किये गये और बाकी नष्ट कर दिये गये। सन् १९५३–५४ के (renewal application) में कई व्यक्तियों ने १,६५५ से अधिक संख्या वाले प्लेट अपने प्रार्थना-पत्र में दिये जिससे यह प्रगट होता है कि या तो यह प्लेट नष्ट नहीं किये गये थे (duplicate plates) तैयार किये गये। इस प्रकार बोर्ड को ७०० रुपया का नुकसान हुआ जो कि सम्भवतः गबन किया गया।

१९५३–५४ में २,५०० रिक्शा ड्राइवर प्लेट बोर्ड द्वारा बनाये गये जिसमें से २,१२५ इशू किये गये और बाकी नष्ट कर दिये गये । १९५४–५५ के renewal application में जो प्लेट नम्बर प्रार्थियों ने दिये थे वे २,१२५ से अधिक थे। आडिट का अनुमान है कि या तो२,१२५ से अधिक संख्या वाले प्लेट को किसी बाहरी एजेन्सी द्वारा बनवाया गया है और उसका धन बोर्ड में नहीं जमा किया गया या जो सर्टिफिकेट प्लेट्स को नष्ट किये जाने के बारे में दिया गया है वह विश्वास करने योग्य नहीं है । आडिट का अनुमान है कि इस शीर्षक के अन्तर्गत ३,२८८ रुपये का गबन हुआ है ।

सन् १९५४–५५ में २,५०० रिक्शा ड्राइवर लाइसेन्स प्लेट बोर्ड द्वारा बनवाये गये तथा १४३८ प्लेट इसू किये गये । जबकि renewal application में सब से अधिक संख्या वाला प्लेट जो कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में दिया था । वह ३,९३० था । इस प्रकार २,४९२ प्लेटों का लाइसेन्स धन बोर्ड में जमा नहीं किया गया और सम्भवतः गबन किया गया । जो कि लगभग ७,५०० रुपया है ।

सितम्बर, १९५५ तक बोर्ड द्वारा १,७०० साइकिल रिक्शा ड्राइवर प्लेट इशू किये १,७०१–२,५५० और ३,१०१ से ३,६०० तक की प्लेट स्टाक में थी । लेकिन आडिट द्वारा चेक किये जाने पर १,७०१–३,१०० तक के डुप्लीकेट प्लेट्स पाये गये । इस प्रकार ४,२०० रुपये का बोर्ड को नुकसान हुआ जो कि सम्भवतः गबन किया गया ।

सन् १९५५–५६ में ३५० बैलगाड़ी लाइसेन्स प्लेट तैयार किये गये थे जिसमें से ३० प्लेट इशू किये गये । आडिट द्वारा चेक किये जाने पर ३१––३५० नम्बर तक के प्लेट स्टाक में पाये गये । renewal application में सब से अधिक संख्या जो बताई गई वह ८७ थी। इस प्रकार ५७ प्लेट डुप्लीकेट इशू किये गये । आडिट का अनुमान है कि इस प्रकार लगभग ४६० रुपये की हानि बोर्ड को हुई जो कि सम्भवतः गबन की गई ।

सन् १९५४–५५ में छोटी ठेला गाड़ियों के ३१ प्लेट मंगाये गये थे जिनमें से ३०२ प्लेट इशू किये गये । बाकी प्लेट नष्ट कर दिये गये । लेकिन आडिट को प्लेट संख्या ३०१, ३०५, ३०६, ३०७ दिखाये गये जिससे पता चलता है कि श्री बो लाइसेन्सिग इन्सपेक्टर ने जो सार्टीफिकेट इन प्लेटों के नष्ट किये जाने के बारे में दिया वह गलत था। बोर्ड को इससे २४ रुपये का नुकसान हुआ जो कि गबन किया गया ।

सन् १९५४–५५ में २०० इक्का लाइसेन्स तथा इक्का ड्राइवर लाइसेन्स प्लेट बनवाये गये थे जिनसे दोनों प्रकार की प्लेटों की संख्या जो इशू किये गये थे वे ८४ थी । आडिट के अनुसार प्लेट संख्या ८५–८९ भी इशू की गई थी जिसकी फीस बोर्ड में जमा नहीं की गई और सम्भवतः गबन की गई ।

पी० एस० यू० पी०––ए० पी० १५६ एल० ए०––१९५९––८४५ ।

अवर सचिव